राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 7] तेरहवीं विधान सभा के सातवें सत्र का सातवां दिवस [संख्या : 4

सोमवार,

29 अगस्त, 2011

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: डा.रघु शर्मा।

प्रदेश के विश्वविद्यालयों में स्थाई कुलपति की नियुक्ति

59. डा. रघु शर्मा (केकड़ी): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्तमान में राज्य के कितने विश्वविद्यालयों में स्थाई कुलपति पदस्थापित नहीं हैं तथा कितने समय से इन पदों पर अस्थाई कुलपति पदस्थापित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिन विश्वविद्यालयों में स्थाई कुलपति की नियुक्ति नहीं की गई है, उनमें कुलपति का कार्यभार किसे सौंपा गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ऐसे विश्वविद्यालयों में स्थाई कुलपति की नियुक्ति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

ऊर्जा मंत्री (डा. जितेन्द्र सिंह): (1) निम्नांकित विश्वविद्यालयों में स्थाई कुलपति पदस्थापित नहीं है:-

1. जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर में 24.6.2011 से
2. महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर में 31.3.2011 से
3. कोटा विश्वविद्यालय, कोटा में 2.7.2011 से

(2) जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर में श्री भंवरसिंह राजपुरोहित को, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर में संभागीय आयुक्त, अजमेर को एवं कोटा विश्वविद्यालय, कोटा में संभागीय आयुक्त, कोटा को कुलपति का कार्यभार सौंपा गया है।

(डा. जितेन्द्र सिंह)

(3) कुलपतियों के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही महामहिम राज्यपाल महोदय के सचिवालय द्वारा की जाती है। महामहिम कुलाधिपति महोदय द्वारा नियुक्त सर्च कमेटी द्वारा सुझाये गये पैनल में से विश्वविद्यालयों के अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार कुलाधिपति द्वारा कुलपति के पद पर नियुक्ति दी जाती है। कुलपतियों की नियुक्ति प्रक्रिया में लगने वाले समय के कारण कुलपतियों के उक्त पद रिक्त हैं।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन है, यह मुझे भी मालूम है कि कुलपति की चयन की प्रक्रिया क्या होती है, उसमें समय कितना लगता है, लेकिन विश्वविद्यालय की स्वायत्ता की जहां हम बात करते हैं, ये तीन विश्वविद्यालय जहां पर आपने फरमाया कि स्थाई कुलपति नहीं हैं, इनमें दो में आपने संभागीय आयुक्त को चार्ज दिया है, एक में आपने एक प्रोफेसर को दिया है। क्या शिक्षाविदों की कमी है आपके पास जो दो जगह पर संभागीय आयुक्त को आपने चार्ज दिया है? मैं तो सीधा-सीधा आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि कोई निश्चित समय में यहां भी किसी शिक्षाविद को, जब तक स्थाई कुलपति की नियुक्ति नहीं होती है, तब तक चार्ज देने का सरकार विचार रखती है? सैकिण्ड, यह जो चयन की प्रक्रिया है निश्चित समयावधि में इनके चयन की प्रक्रिया पूरी हो, इसके लिए सरकार की तरफ से आप क्या प्रयास कर रहे हैं? मैं समझता हूं, आपको तो पूरा मालूम ही होगा, माननीय मंत्री महोदय कि चयन की प्रक्रिया के जो अलग-अलग चरण हैं, उनमें लगता है कि काफी समय लगेगा, उसको जल्दी कैसे हम लोग पूरा कर पाएं? ये दो चीजों पर आप अपना उत्तर दें।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा चयन प्रक्रिया, प्रथम में, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको अर्ज करना चाहूंगा कि कोटा विश्वविद्यालय के पद करीबन डेढ़ महीने से रिक्त हैं, जोधपुर विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर का पद माथुर साहब के देहांत से दो महीने से रिक्त है, अजमेर में आफकोर्स, आप उस जिले से पधारते हैं, वहां पर साढ़े चार महीने से रिक्त है। अध्यक्ष महोदय, वाइस चांसलर की जो चयन की प्रक्रिया है, वह एक अलग प्रक्रिया है। उसके अन्दर विश्वविद्यालय के सिंडीकेट का मैम्बर होता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का एक प्रतिनिधि होता है और एक चांसलर-नामिनी होता है। अलग-अलग

(डा. जितेन्द्र सिंह)
विश्वविद्यालयों में यह प्रक्रिया करीब एक-सी है। कोटा विश्वविद्यालय में सरकार के दो प्रतिनिधि हैं जिनको नियुक्त किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से इसमें थोड़ा विलम्ब होता है, क्योंकि जो पैनल आफ थ्री बनता है, जो भी सर्च कमेटी के तीन मैम्बर हैं, इनके सामने डिफरेंट जो भी एप्लीकेंट्स होते हैं, शिक्षाविद् होते हैं विभिन्न राज्यों से भी, उनकी तरफ से उनके बायोडेटाज आते हैं, वे डाइरेक्टली आते हैं। अध्यक्ष महोदय, उनमें से जो भी बायोडेटाज वन-टू-थ्री माननीय चांसलर महोदय के सामने पेश होते हैं और डिफरेंट उनकी स्टेजेज हैं। जैसे उसमें राज्य सरकार की सहमति से वाइस चांसलर की नियुक्ति होती है, नम्बर एक। यह, अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रोसेस के बारे में कहा। स्वयं आप बहुत सीनियर हैं, यूनिवर्सिटी में भी बोर्ड आफ मैनेजमेंट के सदस्य रहे हैं, आपको इसका पता है। मैं यही विश्वास दिला सकता हूं अध्यक्ष महोदय, केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य को कि विश्वविद्यालय आटोनामस बाडी है और जो भी उसके अन्दर डिसीजन्स होते हैं, माननीय चांसलर महोदय के अपने आदेशानुसार होते हैं। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही, यह एक महत्वपूर्ण इश्यू है। संभागीय आयुक्त के कम्पेरेटिवली जो शिक्षाविद् होगा, उसका अपना क्लिनिकल एक्सपेरिएंस ज्यादा होगा और वह ज्यादा सही तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर सकेगा विश्वविद्यालय में। तो केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य को यही विश्वास दिला सकता हूं कि आपकी भावना से राज्य सरकार माननीय महामहिम को अवगत कराएगी। यह मुझे पूर्ण विश्वास है कि अतिशीघ्र इसके ऊपर, जो भी आपने मुझे इसमें निर्देश दिये हैं, उसमें मैं यही उनसे आग्रह करूंगा कि अर्लिएस्ट इसके अन्दर शिक्षाविद् को लगाया जाए।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह काम मेरी समझ में ऐसा लगता है कि कुलाधिपति महोदय के पास जो सिफारिश सरकार भेजती है, उसके आधार पर कुलाधिपति महोदय फैसला करते हैं। अगर आप रिकमंड करें कुलाधिपति महोदय को, मैं तो वैसे आपसे आश्वासन चाह रहा हूं कि आप किसी निश्चित समयावधि में महामहिम महोदय को लिखकर दें कि एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर को चार्ज दिया है, जब तक कुलपति के चयन की प्रक्रिया चल रही है, तो दो विश्वविद्यालयों में भी किसी प्रोफेसर को चार्ज देने में दिक्कत कहां है? आपकी सिफारिश पर कुलाधिपति महोदय निर्णय करते हैं तो आप अपनी तरफ से कब तक भेज देंगे? नाम सहित उसमें भेजना

(डा. रघु शर्मा)

पड़ता है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह जरा बता दें, क्योंकि विश्वविद्यालय का जो एकेडेमिक एटमोस्फियर है, वह एकेडेमिशियन से ज्यादा नहीं समझ सकता दूसरा आदमी और हम इसको सरकारी विभाग की तरह चलाना चाहें तो वह ठीक नहीं होगा। विद्यार्थियों के और इंस्टीट्यूशन के इंट्रेस्ट में मैंने आपको निवेदन किया है इसलिए मैं आपसे यह गुजारिश करना चाहता हूं कि आप कोई समयावधि में कब तक कुलाधिपति महोदय को अपनी सिफारिश भेजने का विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: श्री देवनानी जी। श्री देवनानी जी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री महोदय से प्रश्न है, क्या अजमेर विश्वविद्यालय में सर्च कमेटी बन गई है? यदि नहीं तो कौन, किस स्तर पर कौनसे मैम्बर की नियुक्ति नहीं हुई और यदि हुई तो बाकी मैम्बर्स की नियुक्ति कब-कब हुई? सर्च कमेटी की मीटिंग हुई है या नहीं?

श्री अध्यक्ष: एक मिनट, दिगम्बर सिंह जी, आप भी पूछ लीजिये, उसके बाद आप जवाब दे दें।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा कि इस प्रक्रिया में काफी समय लगता है, माननीय मंत्री महोदय ने भी अपने जवाब में यह कहा कि यह चयन की प्रक्रिया काफी लम्बी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा, क्या आपके पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि इस प्रक्रिया को आप शोर्ट कर सकते हों और एक निश्चित अवधि के अन्दर वाइस चांसलर की नियुक्ति हो और उस अवधि में जब तक वाइस चांसलर की नियुक्ति नहीं हो पाती है, तब तक किसी शिक्षाविद् की नियुक्ति हो क्योंकि राजस्थान के अन्दर इनकी कमी नहीं है? मैं केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य की बात से पूरी तरह से सहमत हूं उनके विचारों से, कि इसमें जब तक चयन नहीं होता, प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक किसी शिक्षाविद् को ही वाइस चांसलर बनाया जाए न कि प्रशासनिक अधिकारी को। मैं यह आपसे जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अजमेर से आने वाले सीनियर सदस्य जो स्वयं हायर एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं, आपने प्रश्न किया, आप तो स्वयं जानते हैं कि यूनिवर्सिटी आटोनामस बोडी है

(डा. जितेन्द्र सिंह)
और यह सारा जो सिस्टम है, वह चांसलर आफिस से कंडक्ट होता है। जो भी विश्वविद्यालय में बोर्ड आफ मैनेजमेंट के सदस्य हैं, these are all totally secret affairs और चांसलर आफिस इसको कंडक्ट करता है।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): मैंने नाम नहीं पूछा है, मैंने पूछा है कि बनी है कि नहीं। मैंने यह नहीं पूछा कि नाम बताएं। मुझे मालूम है, वह सीक्रेट होता है। बनी है कि नहीं, मीटिंग हुई कि नहीं?

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): Hon'ble Sir, you yourself have been Higher Education Minister and you know it very well that the confidential matters of Chancellor's Office, they do not like coming out of their Offices. लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, राज्य सरकार की अपनी प्रक्रिया थी, राज्य सरकार में अपना सिस्टम अतिशीघ्र होने जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से इसमें इंटरफियरेंस होना चाहिए था। कोटा का उदाहरण दूं, इसमें सरकार का कोई भी प्रतिनिधि नहीं होता है, सिम्पली इसके अन्दर विश्वविद्यालय का एक बोर्ड आफ मैनेजमेंट में होता है, एक यू.जी.सी. का होता है, एक गवर्नर नोमिनी होता है। स्टेट गवर्नमेंट का रिप्रजेंटेटिव सिर्फ कोटा में है। अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की जो अपनी मंशा थी, दोनों कोटा में जो होना है यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर का सलेक्शन, राज्य सरकार ने दोनों प्रतिनिधियों की नियुक्ति कर दी है। फिर भी, अध्यक्ष महोदय, माननीय अजमेर से आने वाले बहुत सीनियर हमारे मैम्बर हैं, आनरेबल डीग से आने वाले भी, कुम्हेर से माननीय सदस्य ने जो कहा है और हमारे केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है, यह एक छात्रों के हितों से जुड़ी हुई इम्पोर्टेंट समस्या है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि माननीय कुलाधिपति को मैं यह मैसेज पहुंचाऊंगा ताकि अर्लिएस्ट इसके अन्दर चयन प्रक्रिया चालू हो।

श्री अध्यक्ष: श्री गोविन्द डोटासरा।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): नहीं, तब तक शिक्षाविद् का तो अजमेर में आश्वासन दें।

श्री अध्यक्ष: मैं अगला प्रश्न पुकार चुका हूं।

सीकर जिले में नवसृजित उचित मूल्य की दुकानें

60. **श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला सीकर में वर्तमान में उचित मूल्य की कितनी दुकानें

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

स्वीकृत हैं तथा उनमें से कितनी कार्यरत नहीं हैं? विधान सभा क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिला सीकर की जनसंख्या के अनुपात में स्वीकृत दुकानों की संख्या मानदण्डों के अनुसार कम है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार जिला सीकर में नई दुकानें सृजित एवं स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक तथा कितनी एवं नहीं, तो क्यों? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार रिक्त एवं नई स्वीकृत दुकानों के लिए राशन डीलर नियुक्त कर दुकानें चालू कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (श्री बाबूलाल नागर): (1) सीकर जिले में वर्तमान में 874 उचित मूल्य की दुकानें स्वीकृत हैं तथा उनमें से 63 दुकानें रिक्त हैं। विधान सभा क्षेत्रवार रिक्त दुकानों की सूची परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) सीकर जिले में जनसंख्या व राशनकार्ड के अनुपात में स्वीकृत दुकानों की संख्या मानदण्डानुसार उचित है। सीकर जिले में जनता की सुविधा के लिए 74 नई राशन की दुकानों का सृजन किया जा चुका है तथा उनका लाटरी के आधार पर आरक्षण निर्धारित किया जा चुका है। रिक्त व नवसृजित कुल 137 राशन दुकानों की आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। नवसृजित दुकानों का विधान सभावार विवरण परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

(3) सीकर जिले में रिक्त व नई कुल 137 दुकानों की भर्ती के लिए लाटरी से आरक्षण निर्धारित कर दिया गया है। राशन दुकानों के आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। रिक्त व नवसृजित दुकानों की विधान सभावार सूची परिशिष्ट 'क' व 'ख' के अनुसार है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कि वर्ष 2004 से 2008 के मध्य राजनीतिक कारणों से विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में 20 दुकानों के डीलरों को निलम्बित किया गया और दूसरों से अटैच कर दिया गया और उसके बाद में नयी भर्ती भी नहीं की गई। 20 दुकानें ऐसी हैं जो आज भी रिक्त हैं, उनको दूसरी जगह अटैच करना पड़ रहा है। 40 दुकानें

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

जनसंख्या अनुपात में केवल विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में और खुलनी थीं लेकिन पूर्व सरकार ने राजनीतिक कारणों से वहां नहीं खोलीं। कहने का तात्पर्य है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि 60 दुकानें केवल लक्ष्मणगढ़ विधान सभा क्षेत्र में हैं जो राशन के डीलर सुविधाजनक प्राप्त नहीं कर पा रहे।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न क्या है, प्रश्न?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): प्रश्न यह है कि ये जो रिक्त हैं, ये कब तक खोल दी जाएंगी और इतना लम्बा समय क्यों निकला, इसकी देरी के क्या कारण हैं? हमारी सरकार का यह संकल्प है कि गरीबों तक...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न क्या है, प्रश्न?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सुविधाजनक स्थान पर राशन पहुंचे, तो कब तक 60 दुकानें लक्ष्मणगढ़ की खोल दी जाएंगी, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से?

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी। मंत्रीजी, जवाब दें।

एक माननीय सदस्य: तीन साल में क्या किया। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): यह बात सही है, अध्यक्ष महोदय कि 2006 के बाद राशन की दुकानें चाहे नवसृजित हों और चाहे रिक्त हों, उनकी 2009 तक आबंटन की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई। अध्यक्ष महोदय, 2009 में आबंटन प्रक्रिया विभाग द्वारा शुरू कर दी गई, इसके बाद विधान सभा में माननीय मुख्य मंत्रीजी का बजट भाषण आया उसमें 300 ऋद्धि-सिद्धि योजना और 200 जनजाति क्षेत्रों में लैम्प्स, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 500 दुकानों की इनको देने की घोषणा की। अध्यक्ष महोदय, उस घोषणा के बाद जैसे ही प्रक्रिया शुरू हुई थी, हमने सहकारिता विभाग को लिखा, उनसे लैम्प्स की सूची और ऋद्धि-सिद्धि योजना की सूची प्राप्त की। उस पीरियड में दुकानों की आबंटन की प्रक्रिया रोक दी गई। अध्यक्ष महोदय, इसके बाद राज्य सरकार ने राशन की दुकानों में पचास प्रतिशत आरक्षण-एससी 16 प्रतिशत, एसटी 12 प्रतिशत, ओबीसी 21 प्रतिशत और 1 प्रतिशत अतिरिक्त ओबीसी, यह पचास प्रतिशत का आरक्षण किया। अध्यक्ष महोदय, न्यायालय से स्थगन आ गया, न्यायालय से स्थगन रिक्त होने के बाद पूरे राज्य में निर्देश दे दिये गये जिला कलेक्टर्स को और डीएसओज को कि वह आबंटन प्रक्रिया शुरू करें। अध्यक्ष महोदय, आबंटन प्रक्रिया शुरू होते ही, यह बात सही है कि प्रश्न लगने तक सीकर जिले की राशन आबंटन की प्रक्रिया की कोई विज्ञप्ति जारी नहीं

(श्री बाबूलाल नागर)

हुई थी। लेकिन अभी दो रोज पूर्व सीकर जिले में भी जो रिक्त दुकानें थीं और जो नवसृजित दुकानें थीं, उनकी आबंटन प्रक्रिया की विज्ञप्ति जारी हो गई है। मैं माननीय सदस्य को विश्वास देता हूं कि पूरे राजस्थान में...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हो गई बात।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): जहां भी ये रिक्त दुकानें हैं, नवसृजित दुकानें हैं, उसकी प्रक्रिया चल रही है और जल्दी उसकी नियुक्ति कर दी जाएगी।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़। अगला प्रश्न, श्री राजेन्द्र राठौड़ ।

फसली ऋण सीमा में वृद्धि से लाभान्वित कृषक

61. **श्री रोहिताश कुमार** (बानसूर) एवं **श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सहकारी भूमि विकास बैंक से किसानों को लम्बी अवधि के लिए कुआं निर्माण, ट्रैक्टर, पम्पसैट इत्यादि के लिए मिलने वाले ऋण की सरकार द्वारा देय गारंटी पर देय कमीशन की राशि में कोई बढ़ोतरी की गई है? यदि हां, तो कितनी तथा इसके लिए किसानों को कितना अधिक ब्याज देना होगा?

(2) क्या यह भी सही है कि सहकारी भूमि विकास बैंक से फसली ऋण लेने वाले किसानों को केन्द्र सरकार द्वारा घोषित नीति अनुसार समय पर कर्ज चुकाने पर तीन प्रतिशत की राहत नहीं मिल रही है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि केन्द्रीय सहकारी बैंक के अधीन आने वाली ग्राम सेवा सहकारी समिति और मिनी बैंकों में समय पर फसली ऋण चुकाने पर पांच प्रतिशत से अधिक सात प्रतिशत ब्याज वसूलने की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो कितने किसानों से ऋण राशि अधिक वसूल की गई व सरकार ने इस संदर्भ में क्या-क्या कार्यवाही की?

(4) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा फसली ऋण की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख करने की घोषणा की जा चुकी है? यदि हां, तो जिला अलवर, चूरू व भरतपुर में इस योजना अन्तर्गत कितने किसानों को एक-एक लाख रुपये का ऋण वितरित किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

सहकारिता मंत्री (श्री परसादीलाल): (1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा

(श्री परसादीलाल)

गारंटी कमीशन की राशि को 0.10 प्रतिशत से बढाकर 1.00 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके लिए भूमि विकास बैंकों से ऋण लेने के लिए किसानों को 1.00 प्रतिशत अधिक ब्याज देना होगा।

(2) जी हां। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा केन्द्र सरकार की घोषित नीति के अनुसार समय पर ऋण का चुकारा करने वाले किसानों को 3 प्रतिशत की राहत दिये जाने की अनुमति भूमि विकास बैंकों को नहीं दी गई है जिसके कारण किसानों को राहत नहीं दी जा सकी।

(3) जी हां। केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., भरतपुर के 36657 कृषकों से 85.34 लाख रू. एवं केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0,जयपुर के 46862 कृषकों से 90.94 लाख रुपये की ब्याज राशि अधिक वसूल की गई।

राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लि., जयपुर द्वारा सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों को उनके क्षेत्र में आने वाली ग्राम सेवा सहकारी समितियों को आवश्यक निर्देश दिये गये हैं। जयपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. द्वारा वसूल की गई अधिक ब्याज राशि दिनांक 30.6.2011 तक संबंधित कृषकों के खाते में जमा करा दी गई है। केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., भरतपुर द्वारा 13716 कृषकों से अधिक वसूल की गई ब्याज की राशि 31.34 लाख रुपये दिनांक 12.8.2011 तक संबंधित कृषकों के खाते में जमा करा दी गई है। शेष कृषकों की राशि शीघ्र ही संबंधित कृषकों के खातों में जमा करा दी जाएगी।

(4) जी हां। अधिकतम ऋण एक लाख की देयता कृषक की साख सीमा पर निर्भर करती है। अलवर, भरतपुर एवं चूरू केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा बढ़ी हुई साख सीमा अनुसार कृषकों को ऋण वितरण करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अतः ग्राम सेवा सहकारी समितियों की नई साख सीमा बढ़े हुए फसली ऋण के अनुसार तैयार की जा रही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, खण्ड एक में मंत्री महोदय ने स्वीकार किया कि सरकार ने गारंटी कमीशन 0.01 से बढ़ाकर 1 प्रतिशत किया, यानि नौ प्रतिशत गारंटी कमीशन बढ़ा है। मंत्री महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि यह नौ गुणा ज्यादा गारंटी कमीशन बढ़ने पर...

एक माननीय सदस्य: 0.09

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): 0.10 से 1 प्रतिशत हुआ है, गुणा देख लो आप, नौ गुणा बढ़ा है, अध्यक्ष महोदय। मेरा, मंत्री महोदय, आपसे यह सवाल है कि इससे सरकार को कितनी आय होगी? क्या यह सही है कि इस

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

गारंटी कमीशन के कारण भूमि विकास बैंक जो आज की तारीख में साढ़े तेरह प्रतिशत ब्याज दर पर किसान को ऋण देते हैं, अब यह ब्याज दर बढ़कर 17 प्रतिशत के लगभग हो जाएगी, जबकि आज राज्य में कामर्शियल बैंक्स हैं, उनकी औसत ब्याज दर साढ़े बारह से तेरह प्रतिशत है? क्या यह किसान के साथ अन्याय नहीं है, नम्बर एक? नम्बर दो, खण्ड दो में आपने कहा, सरकार की योजना है, समय पर जो फसली ऋण चुका देता है उसको तीन प्रतिशत की रियायत सरकार देती है, केन्द्र सरकार का पैसा है, केन्द्रीय सहकारी बैंक हैं उनमें यह योजना लागू है, जीएसएस में यह योजना लागू है, तो भूमि विकास बैंक ने क्या गुनाह किया, इसमें क्यों नहीं लागू कर रहे? नम्बर तीन, आपने खण्ड तीन में स्वीकार किया कि सीसी बैंक, भरतपुर में 36657 किसानों से, सीसी बैंक, जयपुर में 46862 किसानों से 85 लाख और 90 लाख की अधिक राशि वसूल की गई ब्याज की, ब्याज की दर से अधिक राशि वसूल जिन अधिकारियों-कर्मचारियों ने की, आपने एक के खिलाफ भी कोई कार्यवाही की क्या? आपने सर्कुलर जारी किया, उस सर्कुलर की पालना नहीं हुई। आप बताएं, मेरा खण्ड चार के बारे में सवाल है कि 9 मार्च, 2011 को सदन के नेता ने इस विधान सभा में घोषणा की, लगातार केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य से लेकर आगे तक सब लोगों ने तालियां थपथपाईं कि किसानों को अब ज्यादा फसली ऋण एक लाख रुपए मिलेगा। इतने माह गुजर जाने के बाद भी आपने खुद स्वीकार किया है कि भरतपुर, चूरू और अलवर में एक भी किसान की साख सीमा नहीं बढ़ाई। वस्तुस्थिति यह है, अध्यक्ष महोदय, आप तो खुद किसान रहे हैं, किसान चाहे किसान क्रेडिट कार्ड लो, चाहे किसान कोई ऋण लो, उस ऋण के अन्दर वह भूमि को प्लैज करता है, जब उसकी भूमि की कीमत एक लाख से ज्यादा है तो आपने एक भी किसान को अब तक इस बढ़ी हुई साख के अनुसार ऋण वितरित क्यों नहीं किया, बताइए आप?

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा खण्ड-1 का कि राज्य सरकार द्वारा कमीशन गारंटी की रेट बढ़ाने के कारण एक प्रतिशत ब्याज अधिक वसूल करेंगे, आप कह रहे हैं 17 परसेंट हो गया। अभी यह रेट 15 परसेंट तक 0.5 परसेंट नाबार्ड ने और बढ़ा दी है, इसलिए 15 परसेंट से ज्यादा यह रेट नहीं जाएगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): 15 परसेंट तो जाएगी न?

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): दूसरी बात, सीएलडीबी की छूट की

(श्री परसादीलाल)

बात है, तीन परसेंट छूट साख पर मिलनी चाहिए। हमने भारत सरकार को बार-बार पत्र लिखा है। सीसीबी के अलावा स्टेट कोआपरेटिव बैंक के माध्यम से केवल सीसी बैंकों पर ही ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा जो लोन दिया जाता है, उसी पर तीन परसेंट छूट का उन्होंने एलान किया है। उनकी गाइडलाइन में भी यही है। दूसरा आपने कहा कि आपने अधिक पैसा वसूल कर लिया है। माननीय सदस्य, मैं पूरे हाउस को भी कन्विंस करना चाहता हूं कि हमने सात परसेंट जो भारत सरकार ने अनाउंस किया था कि आप पहले सात परसेंट ब्याज रेट वसूल करेंगे, सात परसेंट से ज्यादा हमने नहीं वसूला है। भारत सरकार की गाइडलाइन है, उनके सर्कुलर में है कि जो किसान समय पर सात परसेंट का चुकारा करेगा, हम उस किसान को अतिरिक्त दो परसेंट सहायता देंगे, जब हमारे क्लेम दो-तीन परसेंट के यहां पर जाएंगे। इस साल उन्होंने तीन परसेंट का किया, गत वर्ष दो परसेंट का था, उससे पहले एक परसेंट का था, हमने वे क्लेम भेज दिये कि किसान से सात परसेंट की जगह भारत सरकार से जब आएगा, तब हम बैंकों का दे देंगे। मुख्य मंत्रीजी ने निर्देश दिये, किसान से दो परसेंट पहले ही छोड़ दें, आप पाँच परसेंट वसूल करें। मैं माननीय सदस्य को और पूरे हाउस को कन्विंस करना चाहता हूं कि इस साल तक तीन परसेंट की भारत सरकार ने हमको छूट दी है, हम छह हजार करोड़ का ऋण इस साल अब किसानों को देंगे उस पर केवल चार परसेंट पर वसूली करेंगे। जहां तक एक लाख की घोषणा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट में की है, हमने सारी ग्राम सेवा सहकारी समितियों को, सारे हमारे बैंकों को यह कहा है कि नई साख सीमा बनाएं। माननीय सदस्य को जानकारी है कि एक बार साख सीमा बनने के बाद वह तीन साल तक चलती है, हमने सभी बैंकों को निर्देश दिये हैं कि आप नई साख सीमाएं बनाएं। मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहूंगा कि आपकी सरकार के समय तो 18 हजार से किसान को ज्यादा देते ही नहीं थे। पिछले बजट में मुख्य मंत्रीजी ने पचास हजार किया, इस साल एक लाख तक, हर किसान को नहीं, जिनकी सीमा एक लाख तक है। कृषक मित्र योजना में हमारे सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक जो हैं, माननीय सदस्य, आपके समय उस पर साढ़े तेरह परसेंट वसूली करते थे, उसको भी हमने चार परसेंट ही कर दिया बड़े किसानों को देने के लिए। इसलिए ऐसी कोई वह नहीं है। इस साल हमारी प्रक्रिया प्रकियाधीन है, जिन किसानों की साख सीमा बनकर आएगी ग्राम सेवा सहकारी समितियों से, जिनका एक लाख होगा, उनको एक लाख देंगे। आपको जानकारी है कि आपके

(श्री परसादीलाल)

समय तीन हजार करोड़ से भी कोआपरेटिव बैंकों का ऋण नहीं बढ़ा था, हमने उसको बढ़ाकर छह हजार करोड़ से ज्यादा सात हजार करोड़ का ऋण किया है। जो एक परसेंट कमीशन बढ़ा है उसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन किया है, प्रक्रियाधीन है, जल्दी ही फैसला हो जाएगा। मुख्य मंत्रीजी के ध्यान में इस चीज को हम लाएंगे।

श्री अध्यक्ष: जसवंत यादव, डा. जसवंत यादव।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं मूल प्रश्नकर्ता हूं, सिर्फ एक सवाल ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आपको मैंने अलाउ नहीं किया है, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी बड़ी +++ रहे हैं, मंत्रीजी ने खुद स्वीकार किया है कि गारंटी ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: +++ शब्द को एक्सपंज कर दें।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): यह शब्द जो है न, यह संसदीय शब्द नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मंत्रीजी बड़ी वाहवाही कर रहे हैं सदन के नेता की तरफ देखकर मुस्करा-मुस्करा कर। सदन में आप खुद ने स्वीकार किया है कि अब भूमि विकास बैंक गारंटी कमीशन बढ़ाने के कारण से 15.3 परसेंट ब्याज दर देनी पड़ेगी, पहले यह 13 परसेंट थी। यह आपने बहुत अच्छा काम किया। इस भूमि विकास बैंक से कितने किसान जुड़े, मंत्री महोदय यह भी बता दें? आप कह रहे हैं खण्ड-3 में, अध्यक्ष महोदय, मैं पढ़कर सुना रहा हूं, 'केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., भरतपुर के 36657 कृषकों से 85.34 लाख रु. एवं केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., जयपुर के 46862 कृषकों से 90.94 लाख रुपये की ब्याज राशि अधिक वसूल की गई।' यह खुद आप स्वीकार कर रहे हो कि आपने ब्याज की राशि को अधिक वसूल किया है। फिर आप कह रहे हैं, इसमें किसी का दोष नहीं है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि साढ़े चार महीने हो गये, क्या राजस्थान में एक भी ऐसा किसान नहीं मिला जिसकी साख सीमा बढ़ी हुई हो और जिसको आपने एक लाख तक का लोन दिया हो? तीन हजार और छह हजार की बात कर रहे हैं, यह किसान के साथ अन्याय कर रहे हो आप गारंटी कमीशन बढ़ाकर।

श्री अध्यक्ष: भाषण नहीं, प्रश्न हो गया। जसवंत यादव।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): अध्यक्ष महोदय, किसान अपनी जमीन की रजिस्ट्री ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: केवल जसवंत यादव को मैंने अलाउ किया है, कृपया आप विराज जाएं। अंकित नहीं होगा।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): अध्यक्ष महोदय, मेरा एक जवाब तो आ गया फिर भी मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पहले आप इनको प्रश्न पूछ लेने दीजिए। मैंने इनको अलाउ किया है, माननीय सदस्य।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय मंत्री महोदय किसान हैं और माननीय मुख्य मंत्रीजी किसान नहीं हैं, मंत्रीजी फिर भी किसान के साथ ज्यादती कर रहे थे, सात परसेंट वसूली कर रहे थे। तो क्या, मंत्रीजी, कभी आपकी मुख्य मंत्री महोदय से वार्तालाप नहीं हुई? जब केन्द्र सरकार घोषणा कर रही है कि इसके ऊपर हम राहत देंगे, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट में कहा, फिर किसान एक-एक पैसे के लिए परेशान होता है, उससे आप सात परसेंट वसूल करते रहे। जब मुख्य मंत्रीजी ने उसके अन्दर इन्टरवीन किया तब जाकर आपने उसको पांच परसेंट किया। आप मुझे तो इतना-सा बता दें कि आप किसान विरोधी हैं या किसान पक्ष के हैं।

श्री अध्यक्ष: विराजें आप, मंत्रीजी।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब भी साथ में आ जाएगा ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: उनका जवाब आने दें। पहले जवाब आ जाने दीजिए।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): इसी के साथ में आ जाएगा, सेम है।

श्री अध्यक्ष: अन्य किसी माननीय सदस्य का अंकित नहीं होगा। मंत्री जी के अलावा किसी का अंकित नहीं होगा।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): ×××

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। पहले जवाब आने दीजिए, अंकित नहीं होगा, माननीय सदस्य। (व्यवधान) मंत्रीजी को बैठने के लिए कह दूं मैं?

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जैसा कि खण्ड-3 में सवाल उठाया कि आपने सात परसेंट की वसूली की है ...(व्यवधान)

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा, माननीय सदस्य। जवाब आ जाने दीजिए। अंकित नहीं होगा।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): ...(व्यवधान)... यह वसूल सात परसेंट की जा रही थी, ज्योंही हमारी जानकारी में आया, हमने फिर उसके बाद निर्देश दिये। 7 अप्रैल को निर्देश दिया कि दो परसेंट की जो भारत सरकार की सब्सिडी है, भारत सरकार जो सब्सिडी देगी, हम किसानों को पहले ही लाभान्वित कर देंगे। उसके लिए पांच परसेंट ...(व्यवधान)... हम किसानों के खाते में दो परसेंट वापस जमा करा देंगे।

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): मैं कहना चाहूंगा, राजेन्द्र जी राठौड़ साहब, तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य, आपको तो किसानों के लिए बोलने का हक ही नहीं है। आपने 2006 में घोषणा की थी कि हम दो परसेंट किसानों को सबवेंशन सब्सिडी देंगे, आपने तीन साल में एक पैसा नहीं दिया। हमने तीस करोड़ रुपए गत साल और 72 करोड़ इस साल दिये। (व्यवधान)...एक पैसा आपने नहीं दिया। फाइल पर ऑर्डर है, आपके मुख्य मंत्रीजी ने ...(व्यवधान)...किसानों को दो परसेंट सबवेंशन सब्सिडी देंगे, दो साल में एक पैसा नहीं दिया आपने।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): ...(व्यवधान) हमारे मुख्य मंत्रीजी ने 30 करोड़ दिये और ...(व्यवधान) 72 करोड़ अभी बैंको को ...(व्यवधान)... किए जिससे हमने 2 परसेंट ब्याज दिया। आपने एक पैसा नहीं दिया दो साल में बैंकों में जिसके कारण से सात परसेंट कम रिकवरी नहीं हुई ...(व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री अध्यक्ष: श्री कैलाश भंसाली, श्री कैलाश भंसाली।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: अन्य किसी माननीय सदस्य का अंकित नहीं होगा। अगला प्रश्न पुकार चुका हूं ...(व्यवधान)...

जोधपुर केन्द्रीय कारागृह का आकस्मिक निरीक्षण

62. **श्री कैलाश चन्द भंसाली** (जोधपुर): क्या कारागार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर जेल में वर्ष 2010-11 में मोबाइल एवं सिम मिले थे? यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार हैं? क्या उनके विरूद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही अमल में लाई गयी? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जोधपुर केन्द्रीय कारागृह का वर्ष 2010-11 से जून, 2011 तक आकस्मिक निरीक्षण किस-किस अधिकारी द्वारा किया गया? उक्त निरीक्षण में क्या-क्या खामियां पायी गयीं? क्या उन खामियों को पूर्ण कर लिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि उक्त केन्द्रीय कारागृह में जैमर लगे होने के बावजूद भी मोबाइल कार्य करते हैं? यदि हां, तो क्यों? क्या भविष्य में उच्च क्षमता का जैमर या कोई ऐसा आधुनिक उपकरण राज्य सरकार यहां लगाने का विचार रखती है जिसमें मोबाइल कार्य नहीं कर सकें? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: ...(व्यवधान) जब से यह सत्र शुरू हुआ है पहली बार प्रश्नकाल आया है, कुछ माननीय सदस्यों के प्रश्न और आ जाने दीजिए, बैठ जाइए कृपया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण (श्री रामलाल): (1) जी हां। यह सही है कि जोधपुर जेल में वर्ष 2010-11 (1 अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2011 तक) में मोबाइल एवं सिम बंदियों के पास एवं लावारिस बरामद हुए हैं। बंदियों के पास बरामद हुए मोबाइल एवं सिम के संबंध में उन्हें राजस्थान कारागार नियमों के

(श्री रामलाल)

प्रावधान अनुसार कारागार दण्ड से दण्डित किया गया है एवं लावारिस रूप में बरामद किए गए मोबाइल एवं सिम अनुसंधान हेतु पुलिस विभाग को भिजवाये गये हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-ए पर उपलब्ध है।

(2) वर्ष 2010-11 से जून, 2011 तक की अवधि में केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर के महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, अतिरिक्त महानिदेशक कारागार, महानिरीक्षक कारागार तथा उप महानिरीक्षक कारागार रेंज जोधपुर के द्वारा समय-समय पर अनौपचारिक निरीक्षण किये गये हैं। निरीक्षण में कारागृह परिसर में जैमर पूर्णतः प्रभावी नहीं पाये गये, स्टाफ की कमी एवं भवन की मरम्मत की आवश्यकता भी पायी गयी।

जैमर व्यवस्था के प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए आपूर्तिकर्ता भारत इलेक्ट्रोनिक लिमिटेड द्वारा समय-समय पर उपकरण ठीक करवाये गये हैं। लेकिन समस्त कारागृह क्षेत्र में सदैव जैमर प्रभावी नहीं हैं। इस प्रणाली को पूर्णतः प्रभावी करने के लिये भारत इलेक्टोनिक लिमिटेड से पत्राचार जारी है।

(3) जी हां। यह सही है कि केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर में जैमर लगे होने के बावजूद भी तकनीकी एवं व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण कारागृह के कुछ हिस्सों में यदा-कदा मोबाइल उपयोग किये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त 3जी मोबाइल उपकरण को स्थापित जैमर जाम करने में असमर्थ है, जिसके कारण जैमरों के उन्नयन पर विचार किया जा रहा है।

(विवरण के लिए परिशिष्ट-1 देखें)

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मूल प्रश्नकर्ता को तो पूछ लेने दीजिये पहले।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि बंदियों को तो इन्होंने दंडित किया है परन्तु जो अधिकारी इसका दायित्व निभाने वाले हैं, उनको किन-किन को दंडित किया गया? किस प्रकार से इतने सारे मोबाइल, अभी एक साथ 55 मोबाइल पाये गये? जोधुपर जेल में भरतभूषण भट्ट की हत्या हुई थी उसके बावजूद भी ऐसा कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है कि नये मोबाइल और नहीं आएं। इसी के साथ अनुसंधान किया गया उसमें निरीक्षण में क्या कमियां पायी गयीं, वो बताई जाएं। खण्ड-2 में अनौपचारिक निरीक्षण किया गया। अनौपचारिक निरीक्षण कागजों में नहीं होता है, उसका कोई रेकार्ड नहीं होता है। औपचारिक निरीक्षण, किनकी जिम्मेदारी है और क्यों नहीं किया गया, इसका जवाब दिया जाए?

(श्री कैलाश चन्द भंसाली)
इसी प्रकार से जैमर प्रभावी नहीं है, उसका मूल कारण नहीं बताया गया है। तकनीकी कारण के साथ-साथ में कहा गया है कि बहुत-सी कठिनाइयां हैं। मेरा यह निवेदन है कि वे कौनसी कठिनाइयां हैं कि जैमर प्रभावी नहीं है? सारा जेल का जो वातावरण है, हमने अभी एक वहां पब्लिक मीटिंग की थी उसमें सब लोगों ने कहा, यहां बहुत धांधलीबाजी होती है परन्तु सुपरिन्टेंडेंट साहब ने कहा कि मेरे आने के बाद यहां इस प्रकार की कोई बात नहीं हुई है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं, परन्तु फिर भी जेल की जो व्यवस्था है, वहां 12 आतंककारी कैद हैं, वहां से सारी सूचनाएं जाती हैं, आती हैं, तो इस पर मंत्री महोदय प्रकाश डालें।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्ता ने जो बात कही हैं, निरीक्षण में अनौपचारिक रूप में तीन खामियां पायी गयी हैं। जेल के एडिश्नल डी.जी., आई.जी. और डी.आई.जी. तीनों ने निरीक्षण किया जिसमें मुख्य रूप से तीन खामियां पायी गयीं- एक तो भवन की मरम्मत के संबंध में, एक जैमर प्रभावी रूप से काम नहीं कर रहे हैं और एक स्टाफ की मुख्यत: कमी पायी गयी। तीनों कमियों की वजह से इन चीजों में काफी कठिनाइयां आती हैं जेल में तलाशी के दौरान। पहली कमी बजट के अभाव में है, तो मुख्य मंत्रीजी ने पिछली बार लगभग 66 लाख रुपये सभी जेलों को दिये जिसमें 17 लाख रुपये जोधपुर जेल को दिये जिसका काम अभी सुचारु रूप से चल रहा है। इस कमी को पूरा किया गया उनके निरीक्षण के बाद। दूसरी कमी जो जैमर की थी, जैमर मुख्य रूप में जब राजस्थान सरकार ने भारत सरकार को लिखा और टेलीफोन विभाग ने भारत संचार लिमिटेड कंपनी है...

श्री अध्यक्ष: जैमर तो मोबाइल अन्दर पहुंचने के बाद काम करना रोकेगा, पहुंचता कैसे है अन्दर?

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): उस पर मैं आ रहा हूं। तीन कमियां पायी गयीं जिसमें एक तो भवन वाली है जिसकी पूर्ति चल रही है। दूसरी कमी जो जैमर पहुंचता कैसे है, इसके बारे में जोधपुर जेल में ... (व्यवधान)।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): मोबाइल कैसे पहुंचा? (व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): जोधपुर जेल में जो मोबाइल पहुंचता है...

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): बचा रहे हो अधिकारयों को ...(व्यवधान) कर्मचारियों को बचा रहे हो।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय अध्यक्ष महोदय, जेल के अन्दर जो मोबाइल पहुंचता है, जोधपुर जेल में उद्योगशाला है वो जेल से थोड़ी दूरी पर है, तारबंदी करके वहां आर.ए.सी. की एक पूरी बटालियन 120 आदमियों की अलग से लगा रखी है। दंडित अपराधी और विचाराधीन बंदी दोनों को जब काम करने के लिए दूसरी जगह उद्योगशाला में ले जाया जाता है तब वहां पर कई लोग, उनके परिजन या दूसरे लोग फेंक देते हैं इस वजह से। जेल का नियम है कि सूर्यास्त के बाद में जेल में कोई प्रवेश नहीं होता है, लेकिन अक्सर काम करके बंदी जब जेल में आते हैं उसी समय कुछ पेशियों में जाने वाले जो बंदी हैं वो भी कोर्ट से आते हैं। स्टाफ की कमी की वजह से जो तलाशी ली जाती है...

श्री अध्यक्ष: तलाशी नहीं हो पाती प्रॉपर।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): ...जिसके अन्दर कई बार ऐसी चीज आ जाती है। सिम छोटी होती है, कई बार बरामद हुई है उनके मुंह के अन्दर निकली है, कई बार जूतों के अन्दर निकली है। तलाशी ली जाती है उस समय पकड़ी जाती है, उसके खिलाफ कार्यवाही की जाती है। बंदियों के अन्दर जाने के बाद में जब किसी भी कैदी के पास चली जाती है तो जेल प्रावधानों के अनुसार उसको दंडित किया जाता है। उसमें 182 जोधपुर जेल में बरामद हुए मोबाइल और 73 लावारिस, 62 नहीं है, माननीय प्रश्नकर्ता ने जो कहा है, उसमें सामने आयी। जांच हुई उसमें यह खुशी की बात है, ऐसे मोबाइल जो बरामद हुए उस जांच में उनकी काल डिटेल निकाली गई, उसमें उनके अक्सर अपने परिचित या परिजनों से ही बातचीत करना पाया गया। पिछली बार जब घटना घटी चित्तौड़ जेल के अन्दर, तब मुख्य मंत्रीजी ने चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की। उनके बहुत अच्छे सुझाव आये। उन सुझावों की पिछली बार बजट में घोषणा मुख्य मंत्रीजी ने कर दी और वो लागू भी हो रहे हैं। बहुत खतरनाक जो कैदी हैं उन कैदियों को अलग से जेल जो अजमेर में बनायी जा रही है, उसके अन्दर स्थानांतरित कर दिया जाएगा, तब यह दिक्कत नहीं आएगी। बाकी बातचीत करना, यह तो ह्यूमन राइट और हाई कोर्ट के आदेश हैं, आज तिहाड़ जेल में टेलीफोन बूथ लगाये जा रहे हैं उनके परिजनों से बात करने के लिए। कई तरह की दिक्कतें आती हैं लेकिन सबसे अच्छी बात है कि वो कोई ऐसी गतिविधि में लिप्त नहीं पाये

(श्री रामलाल)
गये उनकी काल डिटेल में। फिर भी जो बरामद हुए हैं और जो पकड़े गये हैं उनको दंडित किया गया है।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): सरकार की तरफ से एक-एक मोबाइल दे दो सबको। (व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): जो नियम हैं जेल के, उनके अनुसार उसका एक्शन हुआ। उन दंडितों को जो सुविधा दी गई है...

श्री नाथूराम सिनोदिया (किशनगढ़): अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ... (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष: आपको प्रश्न पूछने का मौका दे दूंगा, आप विराजें।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): जो जेल के प्रावधान हैं उनके अनुसार उन सभी लोगों को दंडित किया गया है। जहां तक स्टाफ का सवाल है। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं। जवाब आने दीजिये। जवाब आने दीजिये पहले।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है। मूल प्रश्नकर्ता का जवाब आ जाने दीजिये मेहरबानी करके। बाद में आपको अलाउ करने की बात देखी जाएगी, पहले जवाब तो आने दीजिये।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है। परफारमेंस दिखाएं, पर अभी अंकित नहीं हो रहा है।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक स्टाफ का सवाल है, स्टाफ में ऐसी लिप्तता नहीं पायी गयी है जोधपुर जेल के अन्दर इसलिए कार्यवाही नहीं हुई। राजस्थान में दूसरी जगह एकाध जगह और पाया गया जिसमें डिसमिस भी हुए हैं। जोधपुर जेल में जो मूल प्रश्नकर्ता ने पूछा है, वहां स्टाफ की लिप्तता नहीं पायी गयी। जो लिप्तता पायी गयी, कैदियों द्वारा ही बरामद हुए हैं। बंदियों से पुलिस को दी गई है और पुलिस ने पूछताछ की है। तीसरी कमी आयी है वहां के स्टाफ की

(श्री रामलाल)

कमी, पिछले साल नियमों में संशोधन कर साढ़े पांच सौ आदमियों की भर्ती की जा रही है बहुत ही जल्दी। लेकिन जोधपुर जेल में वो कमी इसलिए नहीं है कि एक सौ बीस आदमियों की आर.ए.सी. बटालियन लगा रखी है, इसलिए वहां स्टाफ की कोई कमी नहीं है।

श्री अध्यक्ष: किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य। मैं मौका दे रहा हूं।

श्री नाथूराम सिनोदिया (किशनगढ़): अध्यक्ष महोदय, अजमेर में मेरे बच्चे का मर्डर हो गया और वो मुल्जिम अभी जेल से फोन कर रहे हैं गवाहों को कि गवाही मत दो, नहीं तो तुम्हारा मर्डर कर देंगे। सबके पास फोन हैं और वो शहजाद नाम...। एक मिनट, साहब। शहजाद नाम का एक आजीवन...

श्री रूपाराम डूडी (डीडवाना): ...(व्यवधान) किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है। (व्यवधान) छोटी जेल से लेकर...(व्यवधान)...

श्री नाथूराम सिनोदिया (किशनगढ़): और एक मैडम भार्गव है जेलर उसने खुद ने अपने पॉवर से एक कैदी को छोड़ कर मेरे बेटे को मरवाया है।

श्री रूपाराम डूडी (डीडवाना): मेरे डीडवाना में जेल को काट कर के 6 मुल्जिम फरार हो गये।

श्री नाथूराम सिनोदिया (किशनगढ़): और वो आज भी फरार बैठा है वहां। वो बीकानेर जेल में जाकर बैठ जाता है और कई दिनों तक नहीं आता है यहां। वो माल खाता है बैठा-बैठा। मंत्रीजी को फोन करते हैं तो इनकी मेहरबानी है कि ये वहां से भिजवाएं यहां पेशी पर। एक तो यह बात मेरी सुन लो, आप बैठो, मंत्रीजी, कि आज इस विधान सभा में मोबाइल काम नहीं कर रहे हैं न, उसी तरह से उस जेल में लगवाएं ताकि मोबाइल काम नहीं कर सकें। नहीं तो वह गवाही नहीं देने देता। और जेल में रजिस्ट्रियां हो रही हैं।

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर): ×××

श्री नाथूराम सिनोदिया (किशनगढ़): जेल में रजिस्ट्रियां हो रही हैं जमीन की, मुल्जिम जमीन बेच रहे हैं। रजिस्ट्रार वहां जाता है, वहां रजिस्ट्री होती है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं हो रहा है पहले उनका जवाब आ जाने दीजिए। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा।

श्री नाथूराम सिनोदिया (किशनगढ़): उस मैडम भार्गव ने अपने पावर से मुल्जिम को छुड़ाया है जिसको आजीवन कारावास हो रखा था और वह आकर मेरे बेटे का मर्डर कर गया। वह वापस फोन कर रहा है, उसके एक छोरा हो गया जिसके लिये घी भिजवाया है । जेल में जितना भ्रष्टाचार है वह कहीं नहीं है। उस अधिकारी को बर्खास्त कर जेल में भेजो, उसने अपने पावर से उसको छोडा है। कलक्टर ने नहीं छोड़ा, कमेटी ने नहीं छोड़ा, उसने अपने सात दिन के पावर में उसको छोड़ा है। और वह आज तक वहां आराम कर रही है। वह भार्गव औरत है जिसने खुद उसे छोडा है। जिसको आजीवन कारावास हो रहा था, उसको छोड़ कर मेरे बेटे का मर्डर करवाया है। (व्यवधान) और आज भी रूपनगढ़ थाने में फोन आता है कि अगर गवाही दे दी तो आपका मर्डर कर देंगे।

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर): ×××

श्री अध्यक्ष: जवाब दें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की पीड़ा जायज है। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, हा-हुल्ला करने से बात का उत्तर नहीं आ पाएगा, यह उत्तर नहीं आ पाएगा। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की पीड़ा जायज है। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आप हाउस को कंट्रोल करो तो मैं कुछ कहूं।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री अध्यक्ष: आप मंत्रीजी का जवाब तो सुनिए, आप जवाब तो सुनिए। (व्यवधान) मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, आप जवाब तो सुनिए। मंत्री जी का जवाब तो सुन लो पहले। किशनगढ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात पूछी है उसका जवाब तो आने दीजिए। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: उनका जवाब तो आने दीजिए।

श्री अमराराम (दांतारामगढ): ऐसी सरकार की नाकामी के खिलाफ मैं और मेरा दल वाकआउट करते हैं।

(मार्क्सवादी पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मंत्री जी को जवाब तो देने दीजिए। चलिए, जाइए। मंत्रीजी, जवाब दें।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय अध्यक्ष महोदय, किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य की बिलकुल जायज पीड़ा है। बहुत बड़ी घटना हुई है, छोटी-मोटी घटना नहीं हुई है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप जवाब आने दीजिए प्लीज।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): अध्यक्ष महोदय, हाउस को कंट्रोल में करें तो कुछ बात बताऊं।

श्री अध्यक्ष: यह काम तो मेरा है, मैं कर रहा हूं, आप तो अपनी बात कह दो।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): अध्यक्ष महोदय, उस समय इतनी बड़ी घटना घटी कि पूरी रात जब मुख्य मंत्रीजी का प्रोग्राम था, हमने स्वयं दो-तीन विधायकों को भेजा, हम लोग गये हैं, उस घटना की पूरी बारीकी से जांच हुई एसओजी से। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप पहले जवाब आने दीजिए। अंकित नहीं होगा।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री अध्यक्ष: मैं अलाउ नहीं करूंगा, अंकित नहीं होगा। मंत्रीजी का जवाब आने दीजिए।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: मैं अलाउ नहीं करूंगा, जवाब आने दीजिए। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: आप जवाब आ जाने दीजिए, आप जवाब आ जाने दीजिए। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। फिर फायदा क्या है?

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): ...(व्यवधान).. इसकी पूरी जांच की जाएगी। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: ...(व्यवधान) जवाब तो सुन लीजिए, जवाब सुनने को ही तैयार नहीं हैं। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री अध्यक्ष: जवाब आ जाने दीजिए, अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्या, आप इतनी वरिष्ठ सदस्य हैं, जवाब आ जाने दीजिए।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री अध्यक्ष: जवाब आ जाने दीजिए। किसी माननीय सदस्य का अंकित नहीं हो रहा है। किसी माननीय सदस्य का अंकित नहीं हो रहा है। किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है, मंत्रीजी उसका जवाब दें। उसके बाद आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आसन से परमिशन ले लें। इस प्रकार से सदन नहीं चल पाएगा। मंत्रीजी, जवाब दें।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय अध्यक्ष महोदय, किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात उठाई ...

श्री अध्यक्ष: इन्होंने एक बात और कही है, उसको ध्यान दे लें। इन्होंने कहा है कि जेल में रजिस्ट्री हुई है। अगर वह अनियमित है तो 15 दिन में डीजी लेवल के अधिकारी से जांच करवा कर आप रिपोर्ट प्रस्तुत कर दें।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): बिलकुल जांच की जाएगी, बिलकुल। आपकी जो व्यवस्था है उससे सहमत हैं, सरकार पूरी जांच कराएगी। ठीक है, एमएलए साहब। दूसरी बात रही जोधपुर जेल की ...

श्री नाथूराम सिनोदिया (किशनगढ़): वह मैडम भार्गव आज भी किशनगढ़ की, अजमेर की जेल में जा रही है, वह मैडम जेलर थी उसने उसको छोड़ा ।

श्री रूपाराम डूडी (डीडवाना): अध्यक्ष महोदय, उस भार्गव ने उसको पैरोल पर छोड़ा। कलक्टर से रिपोर्ट मांगी और कलक्टर ने मना कर दिया कि इस मुल्जिम को पैरोल पर नहीं छोड़ा जाएगा। उसके बावजूद मैडम भार्गव ने उसको छोड़ा और उस आदमी ने इनके लड़के का मर्डर किया। उस भार्गव को 120 बी का मुल्जिम बनाना चाहिये था, आज तक उसको सस्पैंड करने के अलावा कोई कार्यवाही नहीं हुई । मैं यह पूछना चाहता हूं कि उस भार्गव के खिलाफ क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय अध्यक्ष महोदय, किशनगढ़ और डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात रखी, इस पर आपने व्यवस्था दी, पूरी जांच करके तथ्यों से इनको अवगत कराया जाएगा और दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष: जवाब आ जाने दीजिए।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): दूसरा जोधपुर का जो मामला रहा उसमें जो जैमर लगे हुए हैं वे दो साल पहले जब ऐसी घटनाएं घटीं, तब मुख्य मंत्रीजी के आदेश से वे लगे थे। पहले यह व्यवस्था राजस्थान में नहीं थी। 57 जैमर राजस्थान में मिले जिनमें से 8 जोधपुर की जेल में लगे हैं। जोधपुर की जेल शहर के अन्दर है, शहर के अन्दर होने से उसकी फ्रीक्वेंसी बढाई जाती है तो वहां के आसपास की कालोनियों की शिकायत आती है कि हमारे मोबाइल बंद हो जाते हैं। मानवाधिकार का भी आदेश है कि इन जेलों को आप बाहर भी शिफ्ट नहीं कर सकते हो। इसलिए मुख्य मंत्री ने जब कमेटी बनाई उस कमेटी में, सभी माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूंगा कि पूरे राजस्थान में ऐसे जो कैदी हैं जो आदतन मोबाइल से अपराध करते हैं उनको चिह्नित किया गया है, अजमेर जेल में उनको शिफ्ट किया जाएगा जहां पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, जैमर पूरी तरह से काम करेंगे। जोधपुर जेल के जैमर 2जी टाइप के जैमर हैं और अब 3जी मोबाइल आ गये हैं इस वजह से इसका अपग्रेडेशन करना है। इसके लिये भारत सरकार के टेलीफोन विभाग को लिखा गया है। इसका पैसा भी राज्य सरकार ने दे दिया है, बहुत जल्द ही वह सुविधा भी पूरी हो जाएगी। तीसरी बात माननीय राजेन्द्र राठौड़ जी ने जो उठाई, यह तो बात उठाने के हकदार ही नहीं हैं। इन्होंने तो जो कारनामे मोबाइल पर किये हैं वे रेकार्ड में आ रहे हैं और यह इस चीज को

(श्री रामलाल)

यहां उठा रहे हैं सदन के अन्दर। तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा, जेल के सरगनाओं के काम करते थे, इनके रेकार्ड में ये चीजें हैं, उसमें आईजी, पुलिस के खिलाफ राज्य सरकार ने कार्यवाही की है। सीबीआई जांच कर रही है उसकी। (व्यवधान) और यहां खडे होकर बोल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, आई एम आन ए पाइंट आफ क्लैरिफिकेशन, आई एम आन ए पाइंट आफ क्लैरिफिकेशन।

श्री अध्यक्ष: विराजें, विराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्रीजी ने मेरी ओर इंगित करके कहा कि मैंने मोबाइल के टेलीफोन के जरिये कई कारनामे किये । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: क्लैरिफिकेशन का अधिकार होता है सदस्य को । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, वैसे नियम और प्रक्रियाओं में है कि जो प्रकरण किसी भी इन्वैस्टीगेशन एजेंसी के यहां जांच में हो उसके बारे में सदन में चर्चा नहीं हो सकती, फिर भी मैं कह रहा हूं कि राजनीतिक प्रतिशोध के कारण आप जिस तरह एजेंसीज का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस्तेमाल करके किसी व्यक्ति का राजनीतिक जीवन नष्ट करना चाहते हैं, फौलाद का सीना लेकर पैदा हुआ हूं, आपकी हर चुनौती को स्वीकार करता हूं। (व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): राजस्थान के अख़बार बोल रहे हैं। राजस्थान के तमाम अख़बार इन चीजों को बोल रहे हैं। (व्यवधान) सदन में छाती ठोककर कहते हैं, राजस्थान के एक-एक अख़बार में नाम आते हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, अगर इस पर बहस करानी है तो नियम में नोटिस देकर समय...(व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): राजस्थान के सारे अख़बार इन चीजों को बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त करें । (व्यवधान) चर्चा समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): घबराकर इस तरह का आरोप लगाएंगे...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री केसाराम।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैं घबराने वाला नहीं हूं। पांच बार आया हूं विधान सभा में। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री केसाराम।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): और छठी बार फिर आऊंगा, चुनौती है मेरी। बात करते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री केसाराम। विराजें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय.....

श्री अध्यक्ष: आप भी कोई पूरक प्रश्न पूछ रहे हैं क्या? (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): प्रश्न था.....

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल में पाइंट आफ आर्डर तो होता नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): पाइंट आफ आर्डर उठा ही नहीं रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: फिर क्या है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): प्रश्न के बारे में, अध्यक्ष महोदय प्रश्न यह है....

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): कोई नियम तो बताओ, काहे के...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप विराजें। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सदन के उप नेता हैं तो इसका मतलब यह थोड़े ही है कि कुछ भी बोलने लग जाएंगे कभी भी। (व्यवधान) कोई नियम या प्रक्रिया तो बताओ आप।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): आप कौन से नियम में बोलते हो, रघु शर्मा जी ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न पुकार लिया है।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): रघु शर्मा जी बार-बार बीच में बोलते हैं। (व्यवधान) कौनसे नियम के तहत बोलते हैं ?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजिये, मैंने अगला प्रश्न पुकार लिया है।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): हम लोग सही बात बोलने के हकदार नहीं हैं, कमाल है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महादेय, मंत्रीजी के जवाब देने की सीमाएं तय हैं, मंत्रीजी ऊट-पटांग जवाब नहीं दे सकते। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सभी की सीमाएं हैं।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): यह कौन तय करेगा, आप तय करेंगे या अध्यक्ष जी तय करेंगे । (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): कोई ऊट-पटांग जवाब नहीं दिया है । (व्यवधान) मंत्रीजी ने बिलकुल टू दी पाइंट जवाब दिया है। बिलकुल टू दी पाइंट जवाब दिया है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री केसाराम चौधरी।

स्टेट मोटर गैराज द्वारा वाहनों का नीलामी प्रकरण

63. **श्री केसाराम चौधरी** (मारवाड़ जंक्शन): क्या राजस्थान स्टेट मोटर गैराज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या मोटर गैराज विभाग द्वारा पुराने वाहनों के विक्रय किये जाने हेतु कोई नियम/नीति बनाई गई है? यदि हां तो उन नियमों/नीतियों का विवरण सदन की मेज पर रखे?

(2) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में कितने-कितने पुराने वाहन किस-किस माडल/कम्पनी के नाम के नीलामी में विक्रय किये गये? वाहनों की विक्रय की गई राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि मोटर गैराज विभाग द्वारा कतिपय ऐसे वाहनों को भी नीलामी में विक्रय कर दिया गया है, जिन्हें कुछ समय पूर्व ही क्रय किया गया था? यदि हां तो ऐसे वाहनों का विवरण मय क्रय की गई राशि के सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त विभाग द्वारा क्रय एवं विक्रय किये गये वाहनों पर कितनी राशि का टैक्स दिया गया तथा कितनी राशि टैक्स से प्राप्त हुई? प्रत्येक वाहन का पृथक-पृथक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) सरकार द्वारा मंत्रीगणों को मोटर गैराज विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहनों के प्रति वर्ष कितने किमी. तक का खर्चा वहन किया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रीगणों द्वारा मोटर गैराज विभाग से

(श्री केसाराम चौधरी)

उपलब्ध कराये गये वाहनों के वर्ष 2009 से 31 जुलाई, 2011 तक प्रत्येक वाहन कितने-कितने किमी. चले? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) सरकार द्वारा विभिन्न मंत्रीगणों व जिला प्रमुखों को उपलब्ध कराये गये सरकारी वाहन कब-कब दुर्घटनाग्रस्त हुए तथा इन दुर्घटनाओं के लिए कौन दोषी है और दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(8) क्या गत तीन वर्षो में स्टेट मोटर गैराज के वाहनों की अनियमितताओं के कारण पुलिस में मुकदमे दर्ज किये गये? यदि हां तो उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

राज्य मंत्री, सम्पदा एवं मोटर गैराज (श्री भरोसीलाल): (1) जी हां। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के भाग द्वितीय के नियम 16 से 27 तक अनुपयोगी सामग्री (नाकारा वाहन) के निस्तारण/नीलामी की प्रक्रिया निर्धारित है। नियमों की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) गत तीन वर्षों में नाकारा वाहनों की नीलामी से प्राप्त राशि व उक्त वाहनों के मेक, माडल आदि का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) जी नहीं ।

(4) विभाग द्वारा गत तीन वर्षो में क्रय किये गये वाहनों पर भुगतान किये गये टैक्स राशि का विवरण परिशिष्ट 'स' एवं विक्रय किये गये वाहनों पर प्राप्त किया गया टैक्स राशि का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(5) मंत्री परिषद के माननीय सदस्यों को मोटर गैराज विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहनों के स्थानीय उपयोग हेतु नि:शुल्क 2400 लीटर पेट्रोल प्रति वर्ष उपलब्ध कराया जाता है। दौरे हेतु काम में लिये जाने वाले वाहन के उपयोग की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। आदेश की प्रति परिशिष्ट 'द' पर संलग्न है।

(6) मंत्री परिषद के सदस्यों को मोटर गैराज विभाग से उपलब्ध कराये गये वाहनों के द्वारा वर्ष 2009 से 31 जुलाई, 2011 तक चलन का विवरण परिशिष्ट 'य' पर संलग्न है।

(7) मंत्री परिषद के माननीय सदस्यों को स्टेट मोटर गैराज द्वारा एवं जिला प्रमुखों को पंचायती राज विभाग द्वारा वाहन उपलब्ध कराया जाता है। मंत्री परिषद के माननीय सदस्यों एवंम् जिला प्रमुखों को आबंटित वाहनों के दुर्घटना से संबंधित विवरण क्रमश: परिशिष्ट 'र' व 'ल' पर संलग्न है।

(श्री भरोसीलाल)

(8) जी हां । गत तीन वर्षों में स्टेट मोटर गैराज के वाहनों के संबंध में पुलिस में दर्ज मुकदमों का विवरण परिशिष्ट 'व' पर सलंग्न है ।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, नाकारा नीलामी की प्रक्रिया निर्धारित है और एक वर्ष से ज्यादा पड़ा रहने पर वाहन को नाकारा घोषित कर दिया जाता है, मगर कई वर्षों से स्टेट गैराज और कई गैराज के वाहन कई जगह नीलामी के लिए पड़े हैं और सरकार उनका घाटा भुगत रही है और टैक्स का भी हर्जाना बढ़ रहा है, तो ऐसे कितने वाहन हैं जिनकी नीलामी वर्षों से नहीं हो रही है, नम्बर एक? नम्बर दो, मंत्रियों को 2400 लीटर पैट्रोल प्रति वर्ष उपलब्ध कराया जाता है उपयोग के लिए और दूसरी समय सीमा नहीं है वाहन की, तो फिर इनमें से दोनों में से कोई न कोई एक व्यवस्था ऐसी कर दी जाए ताकि मंत्रियों की सीमा बिलकुल क्लियर हो जाए, तो आराम तो रहे। यह अलग-अलग दिखाने से क्या फायदा है ? नम्बर तीन, आपने ये जिला प्रमुखों की और नई-नई गाड़ियां एक्सीडेंट में खराब हुई हैं, उसके बारे में किसी में तो रोजड़े बता दिये, किसी में कुछ बता दिया। बिलकुल एफ एफ न्यू गाड़ियां रात को कहां घूमने जाती हैं, न मालूम कहां इसका उपयोग होता है, यह समझ में नहीं आता ।

श्री अध्यक्ष: जन हित में उपयोग होता है। (व्यवधान) जन हित में उपयोग होता है।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): तो ऐसे साधनों पर क्या सरकार रोक लगाने का विचार रखती है? (व्यवधान)

श्री भरोसीलाल (राज्य मंत्री, सम्पदा एवं मोटर गैराज): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 16 से 27 तक मोटर गैराज के नियम बने हुए हैं उनमें स्पष्ट लिखा हुआ है। 2008-09 में 824 वाहन नीलाम किये गये हैं जिनके तहत 4,01,13,480 रुपये की आय हुई है, उनसे टैक्स आया है। 2009-10 में 559 वाहन नीलाम किये गये हैं जिनके 3 करोड, 59 लाख 73 हजार 100 रुपये आये हैं। 2010-11 में 734 वाहन नीलाम किये गये हैं, 5 करोड़ 48 लाख 60 हजार रुपये की आय हुई है। नाकारा वाहनों की सीमा है, 2-7 पर या 2 लाख किलोमीटर चलनी चाहिये, दोनों में से कोई भी जो प्रक्रिया पूरी करते हैं उसके हिसाब से वाहन नीलाम किये जाते हैं। तीसरा नम्बर प्रमुखों को, बिन्दु संख्या 7 में जो बताया है कि अजमेर जिला प्रमुख को उपलब्ध कराया गया

(श्री भरोसीलाल)

सरकारी वाहन टाटा सफारी 24.7.2011 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया, आकस्मिक रूप से गाय के आ जाने से उसे टालने के प्रयास में वाहन के पेड़ के टकराने से दुर्घटना हुई, कोई दोषी नहीं माना है। चूरू जिला प्रमुख को उपलब्ध कराई गई कार 14.1.2008 को बच्चों को बचाने के प्रयास में दुर्घटनाग्रस्त हुई। राजसमंद में जिला प्रमुख राजसमंद को उपलब्ध कराया गया वाहन 24.11.2000 को दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिला परिसर से प्राप्त सूचनानुसार उक्त दुर्घटना के लिए कोई दोषी नहीं है। इस तरह तीन वर्षों में मोटर गैराज के पुलिस में जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उनमें सिर्फ चार मुकदमे दर्ज हुए हैं। (व्यवधान)

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: पहले मूल प्रश्नकर्ता को तो पूछ लेने दीजिए। आप कृपया नियमों का ध्यान कर लें, मूल प्रश्नकर्ता को पूछने दीजिए।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): मैंने पूछा है कि जिला प्रमुखों की जो गाड़ियां एक्सीडेंट हुई हैं वे बिलकुल नई गाड़ियां हैं। छह गाड़ियां जिला प्रमुखों की एक्सीडेंट हुईं उनमें सभी रात के समय क्यों हुईं? क्या इनको रात को भी गाड़ी अलाउ है, रात में क्यों हुई? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप क्या पूछ रहे हैं? (व्यवधान) बहुत देर हो गई है, आप पूछ लीजिए, क्या पूछ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री भरोसीलाल (राज्य मंत्री, सम्पदा एवं मोटर गैराज): मैंने फिर भी, माननीय सदस्य को...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: एक मिनट, एक मिनट...(व्यवधान)

(12.00 बजे)

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): मैं यह पूछना चाह रहा था, हुकुम, किसी जिला प्रमुख को तो एम्बेसेडर कार दी हुई है किसी जिला प्रमुख को आप कह रहे हैं टाटा सफारी दी हुई है, जो सरकारी गाड़ी है उसके लिये, 2010 में सरकार ने एक गाड़ी खरीदी उसमें माप-तौल कितने साल तक चलाने का है, कितने किलोमीटर है, दो लाख किलोमीटर आपने कहा। (व्यवधान) अच्छा, इन सभी गाड़ियों पर लाल बत्ती लगी हुई होती है, लाल बत्ती लगने से एक्सीडेण्ट रेशो कम हो जाता है, यह बात सत्य है, इसके बावजूद लाल बत्ती वाली गाड़ी से कैसे एक्सीडेण्ट होते हैं?

श्री भरोसीलाल (राज्य मंत्री, सम्पदा एवं मोटर गैराज): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त। विराजिये, मंत्रीजी, प्रश्नकाल समाप्त।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है..

व्यवस्था का प्रश्न

आसन खड़े रहते अधिकारी दीर्घा में आवागमन

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, यह देखिये, आसन पैरों पर है और आफिसर्स गैलरी से अधिकारी जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: श्री पुष्पेन्द्र सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बाली के... आसन पांवों पर है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): वह देखिये, आसन पैरों पर है और यह क्या है? अभी भी खड़े हैं, क्या है यह? सदन का अपमान है यह।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): आप क्या बता रहे हैं। आप खुद खड़े हैं।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): यह तो ध्यान आकर्षित कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैंने तो ध्यान आकर्षित करने के लिये किया है।

व्यवस्था

आसन के पांवों पर खड़े रहने के दौरान आफिसर्स गैलेरी के आफिसर्स उठ कर नहीं जा सकते

श्री अध्यक्ष: यह चेतावनी देने के बाद दूसरी बार ऐसी घटना घटी है। मार्शल, जरा मालूम कर लें, कौन-कौन उठ करके, खड़े होकर गये हैं। उनको बुला लें। और जो उठकर गये हैं मैं उनको सदन में माफी मांगने के लिये बाध्य करुंगा, कह दीजिए।

एक माननीय सदस्य: बाहर गये हैं, बाहर।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष: मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

1. श्री पुष्पेन्द्र सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बाली के गांव,

(श्री अध्यक्ष)

ढाणियों एवं कस्बाई क्षेत्रों के कुए-बेरो पर रहने वाले किसान परिवारों को, मात्र रात्रि में ही विद्युत सप्लाई करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

2. श्री ओम बिरला सदस्य की ओर से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति नियमित व निर्बाध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

3. श्रीमती अनीता सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नगर की डीग तहसील में राशन डीलरों के चयन में कथित भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में।

4. श्री पेमाराम, सदस्य की ओर से जिला सीकर में बढ़ती हुई अपराधिक घटनाएं व बिगड़ती हुई कानून एवं व्यवस्था की स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं।

5. श्री गुलाबचन्द कटारिया, सदस्य की ओर से उदयपुर सहकारी उपभोक्ता थोक भण्डार के वर्तमान महा प्रबन्धक द्वारा की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

6. श्री अमराराम, सदस्य की ओर से राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति छिन्न-भिन्न होने के कारण आम जन में भय व्याप्त होने के सम्बन्ध में।

7. श्री राजेन्द्र राठौड़ एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में सरकारी विद्युत कम्पनियों द्वारा 17.91 रुपये प्रति यूनिट निजी सोलर उत्पादन कम्पनियों से सोलर ऊर्जा क्रय करने से राज्य पर पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय भार के सम्बन्ध में।

8. श्री विट्ठल शंकर अवस्थी, सदस्य की ओर से आर.वी.पी.पी.एल; भीलवाड़ा की बेशकीमती जमीन व्यक्ति विशेष को कौड़ियों में देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में तो असमर्थ हूं फिर भी माननीय सदस्य श्री गुलाबचन्द कटारिया, श्री अमराराम,

(श्री अध्यक्ष)
श्री राजेन्द्र राठौड़ एवं श्री विट्ठल शंकर अवस्थी को अपने-अपने प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

उदयपुर सहकारी उपभोक्ता थोक भण्डार के महाप्रबन्धक द्वारा की जा रही अनियमितताएं

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं, मैं पिछले दो सत्र से इस बात की कोशिश कर रहा था। उदयपुर थोक भण्डार में जो एम.डी. है उसकी एक नहीं, सैकड़ों गलतियां पिछले 6-7 महीने से जन चर्चा में हैं। इतनी बार मैंने यहां ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया, स्थगन प्रस्ताव लगाया, प्रश्न पूछे, लेकिन मुझे लगता है कि विभाग इन अधिकारियों की गलती ढूंढने का प्रयास करके उनको ठीक करना या दण्ड देना नहीं चाहता, बल्कि हो यह रहा है कि उनकी ढाल बन करके इनको कैसे बचाया जाए। आपने मुझे समय दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। मैं आपके ध्यान में ला रहा हूं विषय को, मंत्री महोदय, अगर कोई अन्दर के मन में इंसानियत हो तो विचार कर लेना और नहीं हो तो कोई बात नहीं। इस कुएं में तो भांग पड़ चुकी, जितनी और पड़नी हो, उतनी पड़ जाए। यह मैं बहुत दुःख के साथ कह रहा हूं। भारी अनियमितताएं होते हुए भी वहां के एमडी. को जिस ढंग से, अगर आप मुझे समय देंगे तो मैं इनके डाकूमेंट्स सहित इस सदन में प्रूव करुंगा कि गलतियां होते हुए भी सम्बन्धित व्यक्ति ने इस व्यक्ति को किस ढंग से बचाया है। अगर आप मुझे समय देंगे तो मेरे पास एक-एक कागज उपस्थित है इस बात का कि उसने इस थोक भण्डार के अन्दर गेहूं ले जाने का काम एम.डी. को इस आदेश के साथ दिया। बहुत अफसोस के साथ इसको सदन में आज आपने मुझे समय दे दिया तो मैं रखता हूं। होना क्या है, यह तो अब ईश्वर जाने या आप जानो।

श्री अध्यक्ष: नहीं, मैं क्या जानूं? आपने कहा, ईश्वर जाने या आप जानो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): क्या?

श्री अध्यक्ष: आपने कहा, ईश्वर जाने या आप जानो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): आप जानें।

श्री अध्यक्ष: मैंने तो समय दिया है, मैं क्या जानूं?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): नहीं, नहीं, आपने समय दिया, इसलिये कह रहा हूं। जिला रसद अधिकारी, उदयपुर ने 26.02.2010 को एक

(12.07 बजे)

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

आदेश निकाला। और उस आदेश में कहा कि टेण्डर द्वारा किसी फर्म, व्यक्ति, एजेंसी से परिवहन नहीं कराया जाएगा। यह सुनिश्चित कराएं कि परिवहन स्वयं द्वारा ही किया जाएगा। सहमति/असहमति पत्र भेजें। आपके व्यवस्थापक जो भी हैं, वहां के एम.डी. ने उनको यह पत्र भेजा 26/2 को। उसके बाद फिर उन्होंने एक रिमाइण्डर भेजा 10/3 को और उस रिमाइण्डर में लिखा कि परन्तु अभी तक पत्र नहीं होने से अग्रिम कार्यवाही में विलम्ब हो रहा है। फिर उसके बाद आपका जो प्रबन्धक है, वह लिखता है, उक्त प्रासंगिक विषय में निवेदन है कि उदयपुर भण्डार वर्ष 2010-11 के थोक विक्रेता का कार्य उक्तानुसार करने में सहमति प्रदान करता है, यह चिट्ठी है 30/3 की। 31/3 को कलक्टर ने कौन-कौन सा, कहां-कहां से यह आपको उठाना है, इसके बारे में अपना पत्र लिखा। कलक्टर ने पत्र के अन्त में यह लिखा कि समस्त थोक विक्रेता परिवहन कार्य स्वयं करेंगे। परिवहन कार्य अन्य किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को ठेके पर नहीं दिया जाएगा। यह सारा का सारा हुआ। उसके बाद आपके एम.डी. ने एक निजी कम्पनी को, एक कोई चौधरी ट्रांसपोर्ट, प्रतापनगर हैं, मन चाहे, चौधरी ट्रांसपोर्ट, प्रतापनगर को दिनांक 13/5 को दे दिया। उस दिये हुए कागज को भी आप अगर देखें, जो दोनों के बीच में एम.ओ.यू. हुआ, उस एम.ओ.यू. की कापी निकालकर, मुझे बहुत अफसोस है कि आपके सारे के सारे कोआपरेटिव के अधिकारी यहां मौजूद थे लेकिन यह प्रस्ताव आने के बाद भी कोई इस बात को देखता नहीं कि इस पर चर्चा होगी, इसका क्या असर होगा। और आप भी कोई एकदम, एट-रैण्डम ऐसे तैयार तो नहीं हो गये कि एक-एक तारीख का कोई जवाब देने की स्थिति में हैं। लेकिन फिर भी मैं अपना प्रयत्न करता हूं। उसके बाद इस चौधरी ट्रांसपोर्ट कम्पनी को जो प्रतापनगर की है, दिया, उसके साथ एम.ओ.यू. हुआ। उस एम.ओ.यू. को देखना, आज की तारीख में भी उसके दोनों पक्षों की सहमति नहीं है। केवल एक पक्षीय सहमति के आधार पर उसको यह ट्रांसपोर्ट करने का मौका दिया। इस ट्रांसपोर्ट करने में जिस प्रकार का गबन हुआ, गेहूं जो उठाया उसको बाजार में बेचते हुए ए.सी.डी. ने रैड-हैण्डेड उन दोनों ट्रकों को पकड़ा, उसका केस बनाया। केस

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

बनाने के बाद, मुझे दुःख इस बात का हुआ कि आप और हम सब लोगों का मन ईमानदार और बेइमान के बीच में अन्तर करने का नहीं है। उन कर्मचारियों का क्या दोष है जिनको आपने सस्पैण्ड व निलम्बित किया? क्योंकि वे छोटे-मोटे कर्मचारी हैं? एम.डी. ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण से यह एम.ओ.यू. करके इनको ट्रांसपोर्ट करने का अधिकार दिया, जिसके लिये पत्र में बिलकुल मना था कि आप स्वयं के पास जो साधन हैं उसी से इसका ट्रांसपोर्ट करेंगे, आप किसी दूसरे से इसका ट्रांसपोर्ट नहीं कराएंगे। मैंने जब विधान सभा में सवाल पूछा तो आपने यह भेजा कि चूंकि हमारे पास साधन नहीं था। तो 'ना' लिख देते ना, उन्होंने आपको मजबूर तो नहीं किया। उन्होंने यह कहा कि अपनी सहमति-असहमति दोनों में से जो चाहो, वह दे दीजिए। जब आपने सहमति दी, इसका मतलब कलक्टर यह लिख रहा है कि आप अपने व्हीकल से ले जाओगे। लेकिन यह मिलीभगत है यह कह कर कि 22 प्रतिशत बिलो इसका टेण्डर था कि 22 प्रतिशत बिलो देने वाला देता ही इसलिये है कि आपके गेहूं के ले जाने और खाने-पीने में उसको कई गाड़ियां मिल जाती हैं। किराया आप अनाउंस कर दो। इनको ढोने के लिये कोई किराया नहीं होगा तो इस राजस्थान में ऐसे महारथी बैठे हैं जो बिना पैसे भी आपका माल ढोने के लिये तैयार हो जाएंगे। इसका मतलब आपको और मेरे को दोनों को अच्छी तरह से समझ में आता होगा कि इसका परिणाम क्या है।

सभापति महोदय, यह जो बच्चों का गेहूं है, छात्रावास का, यह दो रुपये किलो का गेहूं सप्लाई होता है। लेकिन आपके इस एम.डी. ने दो रुपये की जगह 16 रुपये किलो का गेहूं इन छात्रावासों में सप्लाई किया और उसका पैसा उठाया। यह अधिकार उसको नहीं होते हुए भी उसने उठाया, उसकी कोई कार्यवाही नहीं। आश्चर्य मुझे यह है कि आपका यह जवाब आता है। यह जो आपका एम.डी है, बारां में उसने 313 बोरी का गबन किया। 313 बोरी का गबन। उस गबन के तहत इससे 4,30,786 रुपये की वसूली की गयी और दो वेतन वृद्धि इसकी रोकी गईं। आप जो जवाब भेजते हो हमारे को, उसमें लिखा है कि इसकी कोई वेतन वृद्धि नहीं रोकी गई। मैं आपको एक नहीं ये सारे कागज दिखा सकता हूं कि इसकी वेतन वृद्धि रुकी हुई है। यह आपके डाकूमेंट के आधार पर प्रूव कर रहा हूं। यह आपके उप सचिव की दस्तखत से जांच रिपोर्ट। यह है राज्यपाल महोदय के आदेश से शासन उप सचिव। शासन उप सचिव लिख रहा है, सत्यापन करने से श्री एम.डी. की कार्यवाही, इसमें तीन वेतन वृद्धि जो हैं न, इसकी दो वेतन वृद्धि रोकी गईं। राज्यपाल के आदेश से

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

इसकी रुकी हैं और वह आपके विभाग ने रोकी हैं। उसके बाद भी आप जो जवाब भेज रहे हो, उस जवाब में कह रहे हो कि उसकी कोई वेतन वृद्धि नहीं रोकी गई। उसके बाद आप फिर देखो, इसका एक नहीं, आप अगर 50 चाहो तो मैं आपको सबूत दे दूंगा। यहां बैठकर, माननीय सभापति महोदय, नरेगा के अन्दर इन्होंने किट खरीदे, एक-दो नहीं, हजारों की तादाद में। मुझे आप अगर जवाब देना चाहो तो यह बता देना कि ये नरेगा के किट कितने खरीदे गये और नरेगा के किटों में है क्या चीज। आधा इंच, एक इंच की तो पट्टी होगी, एक इसमें ट्यूब है और 10 गोलियां हैं, साढ़े तीन सौ रुपये में आपने नरेगा पर काम करने वाले सारे के सारे लोगों को ये किट उपलब्ध कराये। इस किट में भी आप देखिए, बड़ा आश्चर्यजनक काम यह है कि इसमें एक दवाई है, उस दवाई का जो रेट है वह आपने देखा होगा। उसने जयपुर से खरीदी, मतलब उसने उदयपुर से नहीं खरीदी। जयपुर से इस किट का सामान जो खरीदा है, उदयपुर में वही, उसी कम्पनी की, उसी मार्के की ट्यूब 4 रुपये 60 पैसे में मिलती है। यह है- 'ओविच', उदयपुर में यह 4 रुपये 50 पैसे या 60 पैसे में मिलता है। उसका बिल है मेरे पास। इसको इसने 6 रुपये 80 पैसे में जयपुर से खरीदा। हजारों की तादाद में। हजारों की तादाद में खरीद करके आपने इसको बाजार में बेचा क्योंकि यह इतनी महंगी कभी जाती नहीं। जितने किट आपके बच गये थे, दस हजार किट बच गये थे, इन दस हजार किट को आपने अपनी दुकानों पर जबरन उन बच्चों को बेचने के लिए मजबूर किया, नहीं तो क्योंकि एक्सपायरी डेट हो जाएगी। और इनकी एक्सपायरी डेट हो गई। आज भी आपकी जितने भी दुकानें हैं, वहां पर हजारों की तादाद में यह किट आपके पास पड़ा हुआ मिल जाएगा। लाखों रुपये का चूना लगाया। लाखों रुपये का चूना लगाया लेकिन आपको इसकी कोई चिंता नहीं।

यही नहीं, महाराणा भूपाल चिकित्सालय है इसमें जो आपका जन औषधि केन्द्र है, इसमें आपको जेनेरिक दवाइयां खरीदनी थीं। उसकी जगह आपने ब्रांडेड कम्पनियों की महंगी दवाइयां खरीद कर यहां दे दीं। उसके कारण से 35 लाख रुपये का पेमेंट इस हास्पिटल ने आज दिन तक आपका रोक रखा है। इसका आज दिन तक रोक रखा है। कभी आरोप लगाने का शौकीन नहीं हूं, न मेरा मन कभी गवाही देता है, लेकिन इसके खिलाफ इतनी शिकायतें हैं, पिछले एक साल के मेरे पत्रों को इकट्ठा करेंगे तो 20 पत्र तो मेरे होंगे। मैंने इस सदन में प्रश्न लगाया, मैंने इसमें आठ-आठ ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाये, मैंने स्थगन प्रस्ताव लगाया।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

लेकिन विभाग के अधिकारी और आपको जूं तक नहीं रेंगी। उसका कारण है क्योंकि यह सारा मिलीभगत का काम चल रहा है। मैं आज आरोप लगाता हूं, +++ मुझे बहुत अफसोस है, दुःख के साथ कह रहा हूं मैं, मुझे बहुत शर्म महसूस हो रही है कि मुझे आज इतने हल्के शब्दों पर जाना पड़ रहा है लेकिन +++ हर महीने यहां उदयपुर आता है। नहीं हो तो इसके ठहरने की जगह की लिस्ट मंगा लीजिए। (व्यवधान) आप टिकट मंगा लीजिए। ऐसा है, माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, जो सदन के सदस्य नहीं हैं, उनके बारे में किन नियमों में माननीय विधायक महोदय बात फरमा रहे हैं?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ऐसा है, महोदय, आज के अख़बार में जो आया है न तो किसी को शर्म हो न तो ...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): अख़बार को कोट करना नियमों में नहीं है माननीय।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): कौनसा? (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): अख़बार को कोट करना भी नियमों में नहीं है, माननीय। आप नियमों में बात करिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अख़बार में छपा है।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सदन में, सदन की बात, सदन से संबंधित बात कहिये। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ऐसा है, अगर चोरों को बचाने का प्रयास करोगे न तो याद रखना एक अन्ना नहीं हजारों अन्ना पैदा हो जाएंगे और तुम और मेरे को बाहर फेंक देंगे। समझ लेना। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): आप तो नियमों में फरमाएं। आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, बात को नियमों में फरमाएं, मेरा आपसे यही निवेदन है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): मैं नियमों के तहत आया हूं। डाकूमेंट के साथ आया हूं। मैं जो कुछ भी कह रहा हूं, पूरा तारीख वाइज कह सकता हूं। इसके बारे में भी आपको यह लगता है, ए.डी.जे. कोर्ट नम्बर-1 ने

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

2009 में फैसला किया, तीन अपराधियों को नामजद किया। आपका रजिस्ट्रार कह रहा है कि ये तीनों दोषी हैं। कोर्ट ने इनको किसी प्रकार का स्टे नहीं दिया है। आप कह रहे हैं कि स्टे दिया। अब...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब थोड़ा समाप्त करो आप। आप जानते हैं कि कुछ अपनी समय सीमा है। उसके अन्दर तो अपने को रहना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, दो मिनट की इजाजत दी है। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजिये।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): भाषण की थोड़े ही दी है। दो मिनट में अपनी बात रख दें।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं जवाब देना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): न्यायालय ने उसकी जमानत खारिज कर दी। जिनकी जमानत थी उसको खारिज कर दिया।

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): आप तो सुनिये। आपको सुनना है। आप क्यों घबरा रहे हो?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): आपके रजिस्ट्रार ने इन तीनों कर्मचारियों को दोषी मानते हुए निलम्बित करने का आदेश दिया। (व्यवधान)

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): सच कड़वा होता है, इसको सुनो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): उसको आपने निलम्बन फाइल के ऊपर, वह फाइल के आदेश मेरे पास हैं...(व्यवधान)

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): मैं कह रहा हूं, जवाब दे रहा हूं। बता रहा हूं मैं आपको। आप सुनिये तो सही। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजिये, माननीय सदस्य।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): आपके रजिस्ट्रार ने साफ लिखा है कि यह ...(व्यवधान) आपने कहा, यह कोई अधिकारी नहीं है और उस पर स्टे लगा हुआ है। मेरे पास यह सारा का सारा सूचना के अधिकार के तहत, मैं, मंत्री महोदय, कपड़े जरूर साफ हो सकते हैं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, एक मिनट। माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करो। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): पर आज का केस लोकायुक्त ने जिस प्रकार का प्रकट किया और आपको स्वयं को उन्होंने सम्मन किया। आपके दो अधिकारियों को सम्मन करके उनके बयान रेकार्ड किये। वे दोनों अधिकारी वहां कहकर आये हैं कि हमने तो हमारी तरफ से फाइल पर रिकमंड कर दिया तीनों को सस्पैंड करने का, लेकिन मंत्री महोदय इसको सस्पैंड नहीं करना चाहते। यह नोटिंग मेरा नहीं है। यह जो आपके लोकायुक्त है, उसकी फाइल पर दर्ज है। आज गम्भीरता के साथ, आप सब सदन के माननीय सदस्य, यह जो बहुत साफ-सुथरे कपड़े हम पहनते हैं न, इसका स्कैंडल इन तीनों अधिकारियों को, जिन्होंने प्लाटों का लेन-देन और फर्जी प्लाटों का हिसाब-किताब किया, 2009 से लेकर 2011 तक फाइल पर हण्ड्रेड परसेंट यह कह रहा है, वह दोषी है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): और इसको बचा कौन रहा है? उसको बचा रहा है मंत्री। आपका यह पहला मंत्री होगा जिसको लोकायुक्त ने सम्मन जारी कर दिया। जो आपके पास, मैं कह रहा हूं...(व्यवधान)

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): मैं बता रहा हूं। (व्यवधान) आप बैठिये। मैं बता रहा हूं। आप बैठिये। आप विराजिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): कल-परसों हमारे पास आ जाएगा अगर डाक से निकल चुका है। (व्यवधान) डाक से निकल चुका है। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): आप सुनिये मेरी बात को।

श्री सभापति: आप बैठिये। आप मेरी बात को सुनिये, आप बैठिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): मिल जाएगा। कल नहीं तो परसों ...(व्यवधान) इस सदन के किसी मंत्री को भ्रष्टाचार के अन्दर लोकायुक्त काल कर सकता है तो ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजिये अब।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ...(व्यवधान) करने का कोई अधिकार नहीं है। कोई अधिकार नहीं है। नहीं, माननीय सभापति महोदय, बहुत विनम्रता से बात कह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य, आप कह चुके हैं, अब आप विराजिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): विभाग के सारे के सारे अधिकारियों ने लोकायुक्त के पास ...(व्यवधान) अपने बयान रजिस्टर, रेकार्ड करके आये हैं कि हमको मंत्री ने फाइल पर रोका है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप सारी बात बोल चुके, अब आप विराजें। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ...(व्यवधान) बाकी हम तो इनका निलम्बन का आदेश आज से छह महीने पहले कर चुके हैं, और यह सारा का सारा और नामजद इनको सम्मन हुआ है ...(व्यवधान)

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): आप सुनो न मेरी बात को ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): मैं कह रहा हूं, सम्मन आ रहा है। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): आप सुनो मेरी बात को। आपने कहा है तो मेरी भी बात सुनिये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: मंत्री इस्तीफा दे।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): आप मेरी बात सुनिये।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा। उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री सभापति: आसन पैरों पर। कुछ भी अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, बैठिये। आप विराजिये। कटारिया साहब, आप इस सदन के वरिष्ठ माननीय सदस्य हैं, आप विराजिये। कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है। बोलिये-बोलिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय सभापति महोदय, नहीं, मेरे पर आरोप लगाया है।, मैं जवाब दूंगा।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, एक मिनट। मैं आपको अलाउ करूंगा। मंत्री महोदय, मैं आपको अलाउ करूंगा न, आप विराजिये। आप बैठिये तो सही। आप बैठिये तो सही, मैं आपको अलाउ करूंगा।

(श्री सभापति)

माननीय सदस्य, आप इस सदन के वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ नेता रहे हैं। आप मंत्री भी रहे हैं, आप इस सदन के वरिष्ठ सदस्य भी हैं। मैं नहीं कहना चाहता, आपकी बहुत अच्छी स्वच्छ छवि भी है, हमारे सम्भाग से भी आप आते हैं। (व्यवधान) जिस तरह से आज आप सीधा, मैं जब यहां पर बैठा हूं आपको कोई बात कहनी है, आप फरमाएं, आप सीधा-सीधा ही मंत्रीजी से कह रहे हैं। अगर आप जैसा वरिष्ठ सदस्य ऐसा करेगा तो दूसरे कनिष्ठ, जो वर्तमान में अभी जीतकर आये हैं नये-नये सदस्य, वे क्या परिपाटी सीखेंगे? मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपसे तो एक ऐसा संदेश जाना चाहिये हर व्यक्ति को, कि हमको किसके साथ किस तरह का आचरण करना चाहिये, चाहे वह सत्ता पक्ष के लोग हों, चाहे प्रतिपक्ष के लोग हों। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा और मैं यह भी आपको कहना चाहूंगा, जो माननीय सदस्य ने किसी भी रूप में पुत्र के ऊपर जो व्यक्तिगत आरोप लगाये हैं, उनको मैं एक्सपंज करता हूं। मंत्रीजी अगर बोलना चाहें, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): नहीं, कोई आरोप नहीं, मैं उनकी बातों का जवाब दूंगा। सभापति महोदय, माननीय बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, बहुत विद्वान हैं, लोक सभा में भी रहे हैं, यहां भी नेता रहे हैं, होम मिनिस्टर भी रहे हैं। शायद आपको तथ्यों की जानकारी नहीं है और आपको किसी भू-माफिया ने गलत गुमराह किया है। पहली बात तो यह है कि जो महाप्रबन्धक लगा है, वह मेरे टाइम से नहीं, वह आपकी डिजायर से लगा है। आपकी सरकार के, सुनिये...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): मैं कह रहा हूं, मेरी जिन्दगी में कभी डिजायर हो, मैं कह रहा हूं, मेरी डिजायर सम्भव ही नहीं है। मैं कभी किसी को लगाने की डिजायर ही नहीं करता हूं।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): आप मेरी पूरी बात सुनिये, मैंने आपको पूरा सुना है। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप मंत्रीजी को तो बोलने दें।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): मेरी सुन तो लीजिये। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): मैं आपकी बात को स्वीकार कर रहा हूं, मुझे निश्चित रूप से आसन को सम्बोधन...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप सुन तो लीजिये, कोई बात होगी। आवश्यक समझूंगा मैं आपको वापस मौका दूंगा। अब आप विराजें।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): वह आपकी सरकार के समय आपकी डिजायर से लगा था। दूसरी बात, आपने जो भी आरोप लगाये, गेहूं के उठान में जो किया, उसकी मैं सम्बन्धित कलक्टर से तीन दिन में रिपोर्ट मंगवाऊंगा और अगर वह दोषी होगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। दूसरा आपने आरोप लगाया लोकायुक्त का, आपको फाइल की जानकारी भी है? किसके कहने से बोल रहे हैं? अगर लोकायुक्त ने मेरे को, मेरे सेक्रेटरी को, मेरे आर.सी.एस. को कभी सम्मन दिया हो तो मैं सदन की सदस्यता छोड़ दूंगा, नहीं तो आप छोड़ देना। वैसे ही बिना तथ्यों के बोल रहे हैं। बिना तथ्यों के बोल रहे हैं और जिस कोर्ट का आप हवाला दे रहे हैं, उस कोर्ट में इस्तगासा पेश हुआ, उसने सिर्फ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। कोई निलम्बन का आदेश हो तो आप बता दें कोर्ट का, मैं मंत्रिमण्डल से इस्तीफा दे दूंगा, बोलो। बिना तथ्यों के ही आप जैसे सीनियर आदमी? मैं आपको बहुत विद्वान समझता हूं, पर आज आपने अपना हल्कापन दिखाया। मेरे ख्याल से आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती है। अगर आप लोकायुक्त का सम्मन मेरे रजिस्ट्रार का, मेरे सेक्रेटरी का या मेरा भी बता दें, मैं सदन की सदस्यता से इस्तीफा देकर घर चला जाऊंगा।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): आपसे स्पष्टीकरण चाहा गया है। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): सुनिये, सुन तो लीजिये। पूरी बात सुनिये मेरी। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): या तो सदन में आप रहेंगे या सदन में मैं रहूंगा। आप सदन के तीन सदस्यों की कमेटी बनाकर इस सारे प्रकरण को दिखवाओ। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): पूरा हाउस जांच कर ले। पहले सुनिये तो सही। (व्यवधान)

श्री सभापति: बैठिये। श्री अमराराम जी। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): मैं कह रहा हूं जो सुनिये। (व्यवधान)..पूरी बात सुन लीजिये आप। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): लोकायुक्त ने...(व्यवधान) यह जो सम्मन हुआ है...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप तो विराजो। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): सभापति महोदय, आप सुनिये न पूरी बात। आपके हाथ जोड़ता हूं। सुन लें मेरी बात। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): मैं यह कह रहा हूं कि ... (व्यवधान) मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूं न...(व्यवधान)

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): आप विद्वान हैं, बहुत बड़े आदमी हैं। हम एस.सी., एस.टी. के लोग हैं, हमारी सुन लो, हाथ जोड़कर कहते हैं हम आपको। दूसरी बात, सभापति महोदय, इन्होंने कहा, कोई कोर्ट ने फैसला दे दिया है। माननीय सदस्य, कोर्ट ने सिर्फ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है, निलम्बन का आदेश आप बता दो, कोर्ट ने दिया हो, मैं अभी मंत्रिमण्डल से इस्तीफा दे दूंगा। आप हाउस में गलत तथ्यों को पेश कर-करके जोर-जोर से बोलकर लोगों को दबाना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजें। आप विराजो। श्री अमराराम जी। (व्यवधान) मंत्रीजी, आ गयी बात।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): सुनिये पूरी बात। स्पष्टीकरण दूंगा, उन्होंने बोला जो। कोर्ट ने जो आदेश दिया, आज तक उसका किसी थाने में कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। अपीलांट कोर्ट में उसकी अपील कर दी, फाइल वहां है। कोर्ट को मुकदमा दर्ज कराना है, जिस दिन कोर्ट मुकदमा दर्ज करा देगा, हम अधिकारियों को सस्पैण्ड कर देंगे गलती की होगी तो। कौन बचा रहा है? आप वैसे ही कह रहे हो अख़बार के कहने से। भू-माफिया हैं, ये सीकर के भू-माफिया हैं जिन्होंने जमीन को उल्टा-सीधा किया है। आप इनकी पैरवी कर रहे हैं, आपको +++ आनी चाहिये। इतने सीनियर लोग हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): नहीं, सवाल ही नहीं। मैं आपको तारीख बता रहा हूं, 4.7.11 को आपके दोनों के दोनों को, तपेश कुमार को और आपका दूसरा, इन दोनों को ...(व्यवधान)

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): मेरे किसी अधिकारी को सम्मन नहीं दिया है। फाइल मंगवाई है, फाइल भेज दी। अगर लोकायुक्त यह कहेगा इनको सस्पैण्ड करो, हम सस्पैण्ड कर देंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): फाइल लोकायुक्त ने मंगा ली। (व्यवधान)

श्री सभापति: जब इतनी बात कह दी, माननीय सदस्य, फिर क्या बात करते हो? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): मैं भी तैयार हूं, अगर मैंने गलत आरोप लगाया ...(व्यवधान).

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): सभापति महोदय, मैं पूरे हाउस को इस बात के लिये अधिकृत करता हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: कोई अंकित नहीं होगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): ×××

श्री सभापति: मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, मामला बहुत साफ है। माननीय गुलाबचन्द जी कटारिया ने बात कही और मंत्रीजी ने उसका खण्डन कर दिया। मंत्रीजी ने आफर किया कि सदन की समिति बना दो। मैं आपसे एक ही आग्रह करता हूं कि आपके सारे डाकूमेंट बता रहे हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा, कई बार सदन में ऐसा हुआ है कि अध्यक्ष महोदय उस पत्रावली को मंगाकर अपने पास देख लेते हैं। आप पत्रावली को मंगा लें और पत्रावली देख लें, न तो आपको विधान सभा छोड़ने की जरूरत है, न आपको छोड़ने की जरूरत है। एक बार आप उस पत्रावली को मंगाकर देख लें। बातें क्लीयर हैं कि लोकायुक्त ने नोटिस दिया कि नहीं दिया, ए.डी.जे. कोर्ट ने केस बनाने का आदेश दिया कि नहीं दिया, फाइल को देखने से सारी बातें क्लीयर हो जाएंगी। इसलिये आप उस फाइल को मंगाकर देख लें और इस मामले को समाप्त करें। क्योंकि इतने बड़े वरिष्ठ माननीय सदस्य ने यह बात कही है, इस फाइल को यहां पर मंगवाया जाए।

श्री सभापति: दोनों ही वरिष्ठ हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): दोनों ही वरिष्ठ हैं, वह भी वरिष्ठ हैं।

श्री सभापति: प्रतिपक्ष के उप नेता, वरिष्ठता में किसकी कमी है, न उनकी कमी, न इनकी कमी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, वह भी वरिष्ठ हैं, इसलिये फाइल को आप यहां मंगा लीजिये।

श्री सभापति: दोनों वरिष्ठ हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): दोनों वरिष्ठ हैं, इसलिये फाइल को मंगाकर आप देख लें, बात खतम हुई।

श्री सभापति: अमराराम जी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप फाइल मंगा लो।

श्री सभापति: मैं व्यवस्था दे दूंगा। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): आप फाइल मंगा लीजिये, आप जिसको कहेंगे वह छोड़कर चला जाएगा। आप जिसको आदेश दोगे, वह इस सदन को छोड़कर चला जाएगा। आप फाइल मंगा लीजिये। कोई चिन्ता की बात नहीं है। (भारी व्यवधान)

श्री सभापति: कोई अंकित नहीं करें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): ×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री सभापति: अमराराम जी। माननीय सदस्य, मैंने आपको अलाउ नहीं किया है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): ×××

श्री सभापति: मंत्रीजी, मैंने एक्सपंज कर दिया है। मंत्रीजी, एक्सपंज कर दिया है उसको। विराजो। अमराराम जी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्री सभापति: मैं मंगवा लूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री सभापति: आप तो विराजो। मैं व्यवस्था दे दूंगा, विराजो आप। आप विराजो तो सही।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, सदन के दो वरिष्ठ माननीय सदस्य हैं, मेरी आपसे प्रार्थना यही है कि बिना मतलब प्रतिष्ठा दांव पर लगती है, आप इस फाइल को मंगा लीजिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, फाइल मंगा लेंगे, वहां पर दोनों को बुला लेंगे और बात खतम हो जाएगी।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): व्यवस्था की बात आ गयी। दो वरिष्ठ सदस्यों के बाद में तीसरे वरिष्ठ सदस्य ने और फरमा दिया है जो जीतकर आये हैं।

श्री सभापति: मैं व्यवस्था दे दूंगा। आप अमराराम जी को तो बोलने दीजिये।

श्रीमती कान्ता गरासिया (गढ़ी): एकतरफा ही ये आरोप सिद्ध नहीं होते हैं, तो जब मंत्रीजी इस्तीफा देने की बात करते हैं तो कटारिया जी .. (व्यवधान)

श्री सभापति: श्री अमराराम जी, आप बोलिये।

राज्य में बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति के चलते आम जन में व्याप्त भय

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): दोनों में से एक तो देगा। गलत होगा, वह देगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि राज्य में कानून-व्यवस्था जर्जर हो रही है, आज आम आदमी में भय है। जो माफिया और अपराधी है, वे बेखौफ होकर थानों का उपयोग कर रहे हैं और रक्षक भक्षक बन चुके हैं। सभापति महोदय, अभी कुछ ही महीने पहले छोटी सादड़ी थाने में, आप अन्दाजा कीजिए, एक मासूम नाबालिग लड़की को उसके पिता के साथ थाने में लाया जाता है और इससे ज्यादा अफसोसजनक बात नहीं हो सकती कि उस थाने के निवास स्थान में, उसी थाने के परिसर में उस नाबालिक लड़की का उसके बाप की उपस्थिति में मुंह काला किया गया। इससे ज्यादा अफसोसजनक और राजस्थान को कलंकित करने वाली बात नहीं हो सकती। हमारे मुख्य मंत्रीजी ने उस नाबालिक लड़की को दस लाख रुपये दिए। राजस्थान की रक्षा करने वाले रक्षक ही अगर भक्षक हो जाएं, राजस्थान के कानून की रक्षा करने वालों के द्वारा नाबालिक लड़की का उस थाना परिसर में उसके बाप की उपस्थिति में अगर मुंह काला किया जाता है, मैं समझता हूं,

(श्री अमराराम)

यह काला कारनामा मुख्य मंत्री या गृह मंत्री की बेटी के साथ होता तो क्या दस लाख देकर उसके मरहम भरे जा सकते थे? इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। ऐसे अपराधियों को बर्खास्त करने की बजाय कानून का सहारा लिया जा रहा है, नोटिस दिये जा रहे हैं।

केवल यही नहीं, चेचट थाने में एक महिला कांस्टेबल का रेप किया जाता है और निर्मम हत्या की जाती है। आज थाने रक्षक की बजाय भक्षक बने हुए हैं। रींगस थाने में, पाली में, हर थाने में आज निर्दोष लोगों की हत्या की जा रही है। जितनी हत्याएं एक साल में थानों के अन्दर हुई हैं, थाने की कस्टडी में हत्याएं हुई हैं, एक भी थाने का इन्चार्ज सींखचों के अन्दर नहीं है। हमारे गृह मंत्रीजी कहते हैं कि राजस्थान के थाने माफियाओं के केन्द्र बने हुए हैं। (व्यवधान) मांगने दो। पांच-सात थानेदारों को लिफ़ाफ़ा पकड़ाते तो बात समझ में आती।

राजस्थान का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल खाटू श्यामजी, जहां ड्राई है, चार-चार शराब की दुकानें थाने की नजरों के सामने चलती हैं। आप भी जाते हैं, और बहुत से मंत्री खाटू श्यामजी में शीश नवाने के लिए जाते हैं। राजस्थान की सरकार ने उस धार्मिक स्थल को ड्राई घोषित कर रखा है। बार-बार शिकायत की जाती है। यह पुलिस से मिलीभगत नहीं है तो क्या खाटू में शराब बिक सकती है? उसमें से आधा हिस्सा पुलिस के थानेदारजी का है। हमारे मुख्य मंत्रीजी कहते हैं कि हर थानेदार को पता है कि चोर कौन है, फिर भी चोरी नहीं पकड़ी जाती। एक-एक गांव में, शहर में नहीं, रोजाना हत्याएं, डकैती, दिन-दहाड़े भरे बाजार बैंक लूटे जा रहे हैं। सीकर में एस पी के कार्यालय के सामने दिन-दहाड़े महिला की चैन स्नेचिंग होती है, पुलिस का कांस्टेबल पीछे दौड़ता है। उसके एक घंटे बाद फिर एक और हो जाती है। एक ही गांव में दो-दो जगह घर फोड़ी होती है मुकन्दपुरा में। उसी के पास ट्रैक्टर चोरी होता है। गांव में जीप चोरी होती है मूंडवाड़ा में। आज तक नहीं पकड़ी जा रही। अपराधियों को पकड़ने की बजाय उनकी मदद की जाती है क्योंकि पुलिस से मिलीभगत है। जिस तरह से पुलिस आपराधिक कार्य कर रही है, नाजायज कार्य कर रही है उसका नतीजा है कि एक साल में रोजाना एक जगह पुलिस जनता से पिटी है क्योंकि नियमानुसार कार्य करती नहीं। माफियाओं को अवैध संरक्षण प्रदान करती है। खनन माफियाओं को संरक्षण प्रदान करती है। उनके खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो झूठा मुकदमा दर्ज

(श्री अमराराम)

करके उसको पीटा जाता है। पाटन थाना हो, थानेदार के इतने अपराध होने के बाद, एक साल तक अपराध होने के बाद पाटन के थानेदार को हटाया जाता है। अवैध खनन करने वालों को पकड़ने के बावजूद भी उनके खिलाफ आवाज उठाने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाती है। उस थानेदार के खिलाफ कार्यवाही नहीं की जाती क्योंकि बड़े लोगों का संरक्षण है। इसलिए आज यह हालत है। बिजली फ्लाइंग के नाम से दस प्रतिशत उनको तनख्वाह दी जाती है, अगर वह दो लाख की वी सी आर भरकर आएगा तो वह बीस हजार रुपये लेता है। ये किस बात के हैं? उसको तनख्वाह नहीं दे रहे हैं क्या? वह अवैध वसूली के लिए गांवों में जाते हैं और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं। मुकदमा दर्ज होता है उस पर कार्यवाही नहीं होती क्योंकि वे लुटेरे हैं। आज ये हालात हैं। हत्या को आत्महत्या में बदल देते हैं। यह मैं नहीं कह रहा, इस सरकार का मंत्री कहता है कि ढाई लाख रुपये लेकर हत्या को आत्महत्या में बदल देते हैं। जब मंत्री की कोई नहीं सुन रहा है, राजस्थान की छह करोड़ जनता की बात कौन सुनेगा? इसलिए पुलिस का इकबाल खतम होता है और जनता गुस्से में पुलिस पर हमला करती है। उसका नतीजा है, गृह मंत्रीजी का उत्तर है कि एक साल के अन्दर एवरेज रोजाना एक दिन पुलिस पिटी है।

मेरा तो आपके माध्यम से यही निवेदन है कि जब तक डिजायर से थानेदार लगेंगे, सुविधा शुल्क देकर थाना लेंगे, सुविधा शुल्क और सत्ता पक्ष के नेताओं की डिजायर से पुलिस अधिकारी लगेंगे तो यही हाल होगा।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आपकी डिजायर भी आती है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): मेरी डिजायर तो नहीं है। लेकिन क्यों नहीं हटते? 17 सी सी का आर्डर होने के बाद, गृह मंत्रालय का आर्डर होने के बाद एक-एक महीने तक नहीं हटते। कौन है इसके पीछे? मेरा तो आपसे निवेदन है कि राजस्थान की जनता की हिफाजत करने के लिए, आज राजस्थान की कानून-व्यवस्था जिस प्रकार से जर्जर हुई है, तार-तार हुई है, इसको मिटाने के लिए गृह विभाग को सख्त कार्यवाही करनी चाहिए और ऐसे लोग जो माफियाओं और खनिज माफियाओं से मिले हुए हैं, शराब माफियाओं से मिले हुए हैं, हत्यारों और चोरों से मिले हुए हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए ताकि आम जनता में विश्वास कायम हो और अपराधियों में खौफ हो। सख्ती करने से निश्चित रूप से खौफ होगा। मैं कह सकता हूं कि सीकर जिले में दो साल तक अपराधी को अगर कोर्ट जमानत भी

(श्री अमराराम)

दे देता था तो अपराधी जमानत करवाकर बाहर नहीं आता था। लेकिन आज कौनसा कारण है कि अपराधी जेल से अपराध का गिरोह चला रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं?

अभी प्रश्नकाल में किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आजीवन कारावास में थे जिनकी सभी ने उसकी पैरोल खारिज कर दी लेकिन जेल की सुपरिंटेंडेन्ट ने उनको पैरोल दे दी और उन्होंने उसकी हत्या कर दी। हत्या ही नहीं कर दी, वे खुलेआम गवाहों को टेलीफोन कर रहे हैं कि यदि गवाही देंगे तो वही होगा जैसे कि विधायक महोदय के बेटे का हुआ। इससे ज्यादा अफसोसजनक बात क्या हो सकती है। जब हमारे सत्ता पक्ष के विधायक के बेटे की हत्या करने वाले सरकार को चैलेंज कर रहे हों तो फिर मैं समझता हूं, बचा ही क्या है। अभी भी समय है कि गृह विभाग ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही करे। ऐसे अपराधी जो जेल में बैठकर चोरों का गिरोह चला रहे हों, भू-माफिया चला रहे हों, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए और ऐसे अधिकारी जो मिले हुए हैं और धार्मिक क्षेत्रों को अपवित्र कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए जिससे आम आदमी में विश्वास पैदा हो और अपराधियों में भय हो। सभापति महोदय, आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, ...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): एक मिनट। मैं तो आपसे यह अपेक्षा करता हूं कि जब कभी भी आपकी जानकारी में इस प्रकार का तथ्य आए कि किसी बेकसूर को पुलिस तंग कर रही है या कसूरवार को छोड़ने का प्रयत्न कर रही है तो मेहरबानी करके मेरे नोटिस में जरूर लाएं, मैं निश्चित तौर पर कार्यवाही करवाऊंगा।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): पुलिस कार्यवाही नहीं कर रही। कोटपूतली में शराब फैक्ट्री है, वहां का एडीशनल एस पी उनका झण्डा उतार रहा है। वहां पर हरियाणा से पांच-पाच अपराधी पिस्तौल लेकर आते हैं। उनको तो गिरफ्तार नहीं करते हैं। जे के टायर में रघुनन्दन शहीद होता है। शहादत मनाने के लिए आपकी पुलिस मना करती है, लेकिन अपराधियों को नहीं पकड़ती है। मैं तो लिखकर गया था, आपके सामने कह रहा हूं, आज रींगस में थाने में कस्टडी में हत्या हुई है, कोई जेल में है? पाली में हत्या हुई एक

(श्री अमराराम)

दलित के बेटे की, कोई जेल में है? कोई नहीं है। अजमेर में, हर जगह हुई। आप तो यह बता दें जिन थानों में कस्टडी में हत्या हुई, एक भी थानेदार कौन है जो जेल के सीखचों में बंद है? मैं मान जाऊंगा आपने कार्यवाही की है।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र राठौड़।

महंगी सोलर ऊर्जा की खरीद

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, जब से यह सरकार आयी है, ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने का एक घिसापिटा रेकार्ड लगातार बजा रही है। चुनाव घोषणा पत्र से लेकर हर बजट के अन्दर हम पढ़ते हैं, कभी बजट का 52 फीसदी ऊर्जा क्षेत्र में खर्च करने की बात करते हैं, कभी आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं। आज जिस तरह के हालात हैं, सभापति महोदय, आज विद्युत उपलब्धता के बारे में राजस्थान का आम व्यक्ति त्रस्त है। घोषित और अघोषित गांवों में कटौती 15-15, 16-16 घंटे है और इन सब के बीच में सोलर ऊर्जा के उत्पादन के नाम पर सरकारी खजाने में सेंध लगायी जा रही है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, इसी 11 अगस्त को देश के उद्योगपति अनिल अंबानी आये, मंत्री महोदय ने उनकी आवभगत की। उन्होंने कहा कि मैं आठ हजार करोड़ का निवेश करूंगा, 500 मेगावाट सोलर एनर्जी पैदा करूंगा। बात सही भी है, राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियां अनुकूल हैं, हमारे पास जमीन है। सभापति महोदय, 25.05.2010 को राज्य नियामक आयोग ने एक फाइनल टैरिफ आर्डर निकाला और तीनों विद्युत कम्पनियों को अधिकृत किया कि वो 100 मेगावाट सोलर एनर्जी के पावर परचेज एग्रीमेंट कर लें। मंत्री महोदय, आपने भी 19.04.11 को अपनी सोलर ऊर्जा नीति की घोषणा की। पिछली सरकार की जो नीति थी उसमें कुछ अमैंडमेंट किये और उसके अन्तर्गत आपने राजस्थान रिन्युअल एनर्जी कारपोरेशन लिमिटेड बनाया जिसको इसकी नोडल एजेंसी रखा। सभापति महोदय, इसमें सबसे बड़ा प्रावधान किया यह किया गया कि राज्य में जो सोलर ऊर्जा संयंत्र लगाएगा, उसको मात्र दस फीसदी डी.एल.सी. रेट पर भू-आबंटन होगा। एक मेगावाट के लिए लगभग तीन हैक्टेयर जमीन की आवश्यकता है, आपको मालूम होगा। सभापति महोदय, पूरे राजस्थान के अन्दर 659 विद्युत कम्पनियों ने अपना रजिस्ट्रेशन आर.आर.आई.ई.सी. में कराया, आपके पास लम्बे-चौड़े प्रस्ताव आये और आपने इन सबको लगभग बीस हजार एकड़ से ज्यादा भूमि दस फीसदी डी.एल.सी. रेट पर दे दी।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अब चूंकि नियामक आयोग ने प्रतिबंध लगाया था कि 100 मेगावाट से ज्यादा पावर परचेज एग्रीमेंट आप नहीं कर सकते, आपने ऊर्जा सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनायी। कमेटी ने छंटनी चालू की और न जाने किस आधार पर 11 कम्पनियों को छांट लिया और 68 मेगावाट सोलर उत्पादन करने के लिए उनका चयन कर लिया। अब, मंत्री महोदय, आपको मालूम है कि राजस्थान के अन्दर राजस्थान इलैक्ट्रिसिटी एक्ट, 03 के अन्तर्गत नियामक आयोग के सामने टैरिफ के लिए याचिका प्रस्तुत होती है। इन कम्पनियों ने भी अपनी याचिका प्रस्तुत की और नियामक आयोग ने 15 रुपये से लेकर 12 रुपये 58 पैसे तक प्रति यूनिट से इनकी दर का निर्धारण किया।

सभापति महोदय, अब होता है असली खेल चालू जब तेरहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भारत सरकार बीस हजार मेगावाट सोलर एनर्जी उत्पादन की बात करती है। जवाहर लाल नेहरू नेशनल सोलर एनर्जी मिशन बनता है और पहले चरण में एक हजार सोलर एनर्जी उत्पादन की बात भारत सरकार करती है। इसके अन्तर्गत जब भारत सरकार ने प्रस्ताव आमंत्रित किये तो एक हजार की जगह पर बारह हजार के प्रस्ताव आ गये और केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग को, क्योंकि वह भारत सरकार का उपक्रम है, केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के सामने याचिका प्रस्तुत हुई कम्पनियों की कि कितने रुपये प्रति यूनिट आप लोग विद्युत उत्पादन के लिए देंगे।

मंत्री महोदय, 02.04.10, 17 रुपये 91 पैसे प्रति यूनिट की दर आयी केन्द्रीय नियामक आयोग की। चूंकि प्रस्ताव ज्यादा आये थे इसलिए केन्द्रीय नियामक आयोग और जवाहर लाल नेहरू मिशन में यह तय हुआ कि इनसे काउंटर आफर मांगी जाए। काउंटर आफर आयी और इससे पहले जिन कम्पनियों का रजिस्ट्रेशन आपने राजस्थान में किया था, उन्होंने आपसे माइग्रेशन की परमिशन मांगी। उनको लगा कि वहां उनको ज्यादा पैसा मिलेगा। आपने माइग्रेशन की परमिशन दे दी। वहां तय हुआ काउंटर आफर में, सभापति महोदय, 12 रुपये 24 पैसे प्रति यूनिट की बिजली आयी। उसके बाद ये जो कम्पनियां हैं, सभापति महोदय, हिन्दुस्तान में एक हजार मेगावाट में 610 मेगावाट राजस्थान में प्लाण्ट लगा रही हैं और 610 मेगावाट के अन्दर इन 66 मेगावाट को अलग कर दूं तो बाकी सब लोगों ने इस बात के लिए भारत सरकार से एग्रीमेंट किया कि वो 12 रुपये 24 पैसे प्रति यूनिट की दर से विद्युत क्रय करेंगे।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अब न जाने किस आदेश से आपके चेयरमैन और मैनेजिंग डाइरेक्टर ने 2010 के अन्दर तीनों विद्युत कम्पनियों को एक पत्र लिख दिया कि 28 सितम्बर तक आप इन सारी कम्पनियों से, जो 11 कम्पनियां थीं, उनसे पावर परचेज एग्रीमेंट 17 रुपये 91 पैसे से कर लो और 25 वर्ष तक के लिए कर दो। मंत्री महोदय, मेरा आरोप है, पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर सोलर एनर्जी के अन्दर सबसे महंगी बिजली खरीदने का एग्रीमेंट आपने किया है, 25 साल तक का किया है। ये आपकी कम्पनियां सारी कम्पनी एक्ट में रजिस्टर्ड हैं, न बोर्ड आफ डाइरेक्टर की मीटिंग बुलाई और बिना फाइनेंस डिपार्टमेंट की एप्रूवल के आपने पांच रुपये पचास पैसे प्रति यूनिट महंगी बिजली 25 साल तक खरीदने का करार कर दिया।

अब होगा क्या? 610 मेगावाट के जो राजस्थान में संयंत्र लगे हैं वो अपनी बिजली देंगे 12 रुपये, 13 रुपये में और आप एग्रीमेंट कर रहे हो 17 रुपये में। यह इस तरह का खेल आप क्यों कर रहे हैं? जमीन हमारी, महंगी बिजली हम लें सस्ती बिजली दूसरी जगह चली जाए। इन कम्पनियों के पीछे कौन-कौन लोग थे, उसकी बात तो आप ही बताओगे।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह खुला भ्रष्टाचार है, बिना विद्युत कम्पनी के बोर्ड आफ डाइरेक्टर के आपने राजस्थान के खजाने में सेंध लगायी है 25 साल तक की। मंत्री महोदय, मेरा आरोप है, दो हजार करोड़ रुपये, आज चूंकि भ्रष्टाचार पर बहस होगी, दो हजार करोड़ रुपये आप ज्यादा दे रहे हैं और यह राजस्थान के खजाने के अन्दर सेंध लग रही है। मैं समझता हूं, मंत्री महोदय, अगर मैं कहीं सदन में गलत कह रहा हूं, सदन में गलत तथ्य प्रस्तुत कर रहा हूं तो निश्चित तौर पर आप दें।

इसी तरह कोटा में और 50 मेगावाट, मैं किस-किस की बात करूं। सोलर एनर्जी के नाम पर राजस्थान में लूट-खसोट बंद करो। मंत्री महोदय, आज कानून पर बात हो रही है और मैं तो समझता हूं कि आप स्वीकार करो कि गलतियां हो गयीं, आपके सी.एम.डी. ने कर दीं। किसके इशारे से कीं, यह 11 कम्पनियों के परदे के पीछे कौन खड़ा है, मैं इसकी चर्चा नहीं करना चाहता, वर्ना आरोप-प्रत्यारोप की बात चालू हो जाएगी। मैं चाहूंगा कि मेरी इन बातों का आप उत्तर दें।

श्री सभापति: श्री विट्ठल शंकर अवस्थी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैं आरोप लगा कर जा रहा हूं, मंत्री

(श्री राजेन्द्र राठौड़)
महोदय आरोप को स्वीकार कर रहे हैं, यह मानूं मैं? (व्यवधान) मौन स्वीकृति?

श्री सभापति: आप विराजो।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने आरोप लगाया कि सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है।

श्री सभापति: विराजो, विराजो।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): बिजली कम्पनियों से मिली हुई है और सरकार जवाब नहीं देना चाहती।

श्री सभापति: आप विराजो। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): सभापति महोदय, राजस्थान से पूरे देश में राख को बेचा जा रहा हो और राजस्थान से सीमेंट फैक्ट्रियों को राख नि:शुल्क भेजी जा रही हो ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजो, माननीय सदस्य।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): यह क्या घपला हो रहा है, इसका भी जवाब मंत्रीजी दे दें। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): आप तो फैशन शो करो, फैशन शो। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो, विराजो। मंत्रीजी, आप बोल रहे हैं, जवाब देंगे? आप बोलना चाहेंगे? (व्यवधान) आप तो विराजो, मंत्रीजी खड़े हैं। आप विराजो।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): फैशन शो में जाओ साफा लगा कर। (व्यवधान)

श्री जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं हाउस के और मैं समझता हूं, बहुत ही संयमित व्यक्तित्व के धनी हैं। उन्होंने नेशनल सोलर मिशन का जो राजस्थान का अभी सेण्टर से एलोकेशन हुआ है, उसका बताया। मैं थोड़ा शार्ट में आपको बताना चाह रहा हूं कि भारत सरकार द्वारा 2013 तक एक हजार मेगावाट का लक्ष्य रखा गया था सोलर एनर्जी के जनरेशन का। राजस्थान में जैसलमेर, जोधपुर और बहुत ज्यादा इलाका सोलर के लिए विश्व

(श्री जितेन्द्र सिंह)

में अपने आप में महत्वपूर्ण है, नवादा के बाद सबसे बड़ा रेगिस्तान है। सभापति महोदय, जोधपुर में है, हमारे जैसलमेर है, वो सबसे बड़ा सेण्टर है जहां सोलर एनर्जी का सबसे बड़ा कन्सनट्रेशन है। आगे आने वाले वर्षों में सोलर का टाइम होगा because there will be no gas and coal. माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार ने जवाहर लाल सोलर मिशन में 850 मेगावाट का एलोकेशन किया उसमें से 595 मेगावाट राजस्थान को एलोकेट हुआ। मैं माननीय सदस्य को बधाई देना चाहूंगा, वह जो रेट है वह बिड से होती है, उसमें हाइएस्ट बिडर जो होता है उसके अनुसार हाइएस्ट बिडर को वह एलोकेट होती है। उसमें तो करीबन ग्यारह रुपये समथिंग का उनका रेट था। फोटो वोल्टिक सैल तो हम पांच मेगावाट तक देते हैं, सोलर थर्मल हम सौ मेगावाट तक देते हैं। इसमें विभिन्न कम्पनियां आयीं और उन्होंने रेट किया भारत सरकार को, वह करीबन ग्यारह रुपये समथिंग है। मैं एग्जैक्टली क्योंकि आपने एट रैन्डम मुझे कहा। उसमें भी भारत सरकार की अपनी सब्सिडी है और उस सब्सिडी के माध्यम से पांच रुपये स्टेट गवर्नमेंट के हमें मिलेंगे क्योंकि हम उसके अन्दर जो बिजली होती है उसका बंडल करते हैं थर्मल पावर के साथ और बेचते हैं। उसके आधार पर ग्यारह रुपये समथिंग रेट है, राजस्थान को वह मात्र पांच रुपये पड़ेगी। यह 595 मेगावाट जो हमें जवाहर लाल सोलर मिशन से मिला है, उसका मैं आपको बताना चाहूंगा।

बाकी अभी जो आपने फर्माया है, इस तरह का न तो कोई फाइनल कमिटमेंट किसी भी कम्पनी से हुआ है। बहुत सारे इन्वैस्टर्स आएंगे। सभापति महोदय, 695 इन्वैस्टर्स आये हैं राजस्थान में और क्योंकि सबसे ...(व्यवधान)

श्री सभापति: मंत्रीजी को तो बोलने दो।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): मैं अपना एक्सप्रेस करके बता रहा हूं। और जो कोई है तो मैं उसका जवाब दूंगा।

श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर (लोहावट): मंत्रीजी, इश्यू यह है कि ग्यारह कम्पनीज को आप जब 10-11 रुपये की बात कर रहे हो तो उनको 18 रुपये में कैसे बिजली आपने ...(व्यवधान) आप फोटो वोल्टिक यह मत बताइये।

श्री सभापति: आप तो विराजो।

श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर (लोहावट): We are concerned with about 11

(श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर)

companies. जो ग्यारह कम्पनीज हैं जिनको आप 17.91 में बिजली दे रहे हैं। आप खुद कह रहे हैं, लोएस्ट बिड दस रुपये कुछ पैसे है, यह आठ रुपये का फर्क क्यों आ रहा है ? (व्यवधान)

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): जवाहर लाल सोलर मिशन में जो डिसीजन भारत सरकार द्वारा किया गया था, मैं उसका एक्सप्रेस कर रहा हूं। जो आपने फरमाया, मैं आपका जवाब दूंगा, काइन्डली उसको मुझे रिटन में आप दे दें। मैं आपको व्यक्तिशः जवाब दूंगा। मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप जांच कराने की बात कह दो, मैं लिखकर देता हूं। आप कह दो, मैं जांच कराऊंगा। जांच करा लो न दूध का दूध...

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): आप दीजिए, मैं उस पर बिलकुल जांच कराऊंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): जांच करवाएंगे न आप?

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): बिलकुल, बिलकुल।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): तो कह दो जांच करवाऊंगा मैं।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): मैं बिलकुल करा लूंगा, सभापति महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह जांच करवाएंगे सभापति महोदय।

श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर (लोहावट): मंत्रीजी, इश्यू यह ग्यारह कम्पनीज का है। दो हजार करोड़ का पच्चीस साल में ...(व्यवधान) स्टेट को दो हजार करोड़ का लास होगा ...(व्यवधान)

श्री सभापति: मंत्रीजी जवाब दे चुके हैं।

श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर (लोहावट): यह कोई छोटा अमाउंट नहीं है, सभापति महोदय।

श्री सभापति: श्री विट्ठल शंकर अवस्थी ।

श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर (लोहावट): दो हजार करोड़ को कम मानते हैं आप? Is it a small amount?

श्री सभापति: श्री विट्ठल शंकर अवस्थी। (व्यवधान) आप विराजो।

श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर (लोहावट): दो हजार करोड़ का पड़ेगा पच्चीस साल में।

भीलवाड़ा की एक बेशकीमती जमीन का व्यक्ति विशेष को कौड़ियों में आबंटन

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): सभापति महोदय, मेरे भीलवाड़ा में अभी मेवाड़ मिल के घोटाले के घाव भरे भी नहीं थे कि एक साठ बीघा बारह बिस्वा का नया घोटाला सामने आया है। मैं जो भी बात आपके सामने रख रहा हूं, वे सारे तथ्य मेरे पास आर टी आई से निकलवाये हुए कागज हैं, सारे सरकारी कागज हैं।

सभापति महोदय, मेवाड़ मिल के पास में राजस्थान वनस्पति प्रोडक्ट्स लि. करके डालडा मिल के नाम से एक मिल थी। सन् 1966 में वह मिल स्टार्ट हुई। सरकार ने उस जमीन को अपने पजेशन में लेकर बिलानाम खाते में दर्ज करके फिर कम्पनी को अलाट किया था। वह कम्पनी कमजोर होते होते बी आई एफ आर के पास गयी और उसने रिवाइवल स्कीम मांगी। सी सी पी एल नामक एक कम्पनी है, उसको सिर्फ ग्यारह करोड़ में वह जमीन बेच दी गयी है। मैं सारे तथ्य अब आपके सामने रखूंगा।

2006 में यह कम्पनी बी आई एफ आर ने आदेश किया कि सी सी पी एल को दी जाए। 2007 में जिला कलक्टर, भीलवाड़ा ने जब सरकार ने उनसे इस बारे में रिपोर्ट मांगी तो उन्होंने लिखा है, ''उक्त भूमि अवाप्ति पश्चात बिलानाम दर्ज होकर बिला नाम खाते से औद्योगिक प्रयोजनार्थ व्यावसायिक कम्पनी को आबंटन की गयी थी। भूमि अर्जन अधिकारी द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 1.3.1966 में आबंटित कुल भूमि की कुल मुआवजा राशि 61,702 तय की गयी थी। कम्पनी द्वारा उक्त राशि जमा नहीं होने से नियम 11 के तहत कम्पनी द्वारा चुकाई गयी 61,702 रुपये का सम्बन्धित व्यवसायी को विकास शुल्क एवं लीज रेंट के पेटे समायोजित किया गया।''

अतः एक प्रकार से सम्बन्धित व्यवसायी को उक्त भूमि बिना कीमत आबंटित की गयी थी। बी आई एफ आर द्वारा स्वीकृत स्कीम में भूमि के आवासीय से व्यावसायिक भू-उपयोग परिवर्तन हेतु विचार करने एवं संपरिवर्तन शुल्क नहीं लेने हेतु रिलीफ दी गयी है। उक्त भूमि के आवासीय से व्यावसायिक भू-उपयोग परिवर्तन पर भूमि की कीमत सौ करोड़ रुपये से भी अधिक है। 2007 में सौ करोड़ कलक्टर ने बताई थी, आज की तारीख में वह जमीन 500 करोड़ की है।

सभापति महोदय, केप्रिकोन क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी द्वारा अब तक दस करोड़ पैंतीस लाख ऋण पेटे बैंक आफ बड़ौदा एवं रीको को

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

भुगतान किया जाना आदेश से प्रतीत होता है एवं सड़सठ लाख रुपये की राशि भुगतान करने हेतु कहा गया है। इस प्रकार उक्त भूमि कुल ग्यारह करोड़ रुपये की राशि में ही कम्पनी को दी जा रही है। आगे कलक्टर साहब लिखते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवासीय/वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ उपयोग में आने वाली इस भूमि की कीमत सौ करोड़ रुपये से अधिक है जो केप्रिकोन क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी द्वारा भुगतान की गयी राशि से कई गुना अधिक है। इस प्रकार बेशकीमती बिलानाम आबंटित भूमि को बी आई एफ आर द्वारा स्वीकृत स्कीम में केप्रिकोन क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड को दिये जाने का निर्णय उचित नहीं है एवं पूर्णतया राज्य हितों के प्रतिकूल है जिसके कारण राज्य सरकार को कई करोड़ों का नुकसान होगा।

अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत बी आई एफ आर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.08.2006 जिससे स्कीम स्वीकृत किये जाने का आदेश किया गया है, वह उचित नहीं है एवं राज्य हित के मद्दे नजर प्रकरण में अविलम्ब अपील प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। अतएव अपील प्रस्तुत करने बाबत समुचित निर्देश सम्बन्धित को शीघ्र जारी करने का श्रम करावें। ।

सभापति महोदय, कलक्टर साहब ने यह चिट्ठी श्री अशोक सम्पतराम, प्रमुख शासन सचिव, उद्योग विभाग राजस्थान को 2007 में लिखी। 2010 में वापस सरकार ने रिपोर्ट मांगी। कलक्टर साहब बदल गये थे, दूसरे कलक्टर साहब आये, उन्होंने लिखा है, प्रकरण में आपके पत्र दिनांक 4.5.2007 के क्रम में जिला कार्यालय के पत्र दिनांक 24.9.2009 के उद्योग बंद होने, औद्योगिक प्रयोजनार्थ आबंटित भूमि सामान्य दर पर केप्रिकोन क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड को आबंटित की जाती है तो राजकीय भूमि का नुकसान होने तथा उक्त भूमि घनी आबादी के मध्य स्थित होने से नवीन उद्योग प्रारम्भ किया जाना भी उचित नहीं होने से उक्त भूमि राजकीय भूमि के रूप में दर्ज हो जाती है तो राजकोष को लाभ होने से यथा शीघ्र अपील प्रस्तुत किये जाने बाबत समुचित निर्देश सम्बन्धित को जारी करने का निवेदन किया है।

उसके बाद, सभापति महोदय, 21.2.2011 को ...

श्री सभापति: यह कितना लम्बा होगा?

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): सभापति महोदय, होने में है। किस तरह का घोटाला सामने आ रहा है, आज इसको देखो। इसके बाद,

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

सभापति महोदय, राजस्थान सरकार उद्योग ग्रुप-1 विभाग ने एक चिट्ठी जयपुर दिनांक 21.2.2011 को बैठक की सूचना के सम्बन्ध में जारी की है।

"उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि राजस्थान वनस्पति प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, भीलवाड़ा के प्रकरण में विचार-विमर्श हेतु माननीय मुख्य मंत्री महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 22.2.2011 को दोपहर दो बजे उनके सचिवालय स्थित कक्ष में बैठक आयोजित की गयी है जिसमें आपकी उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है। इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव महोदय से अनुमति प्राप्त कर ली गयी है।'' यह मीटिंग होने के बाद, सभापति महोदय, वापस एक चिट्ठी कलक्टर के पास जाती है वित्त विभाग की और उसमें उनसे जमीन की वैधानिक स्थिति के बारे में पूछा जाता है। कलक्टर ने यह चिट्ठी 10 मई, 2011 को इसी साल लिखी है। उन्होंने लिखा है, ''राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम 1953 की धारा-16 के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा-11 में अवार्ड जारी होने पर अवाप्त भूमि समस्त काश्तकारों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित की गयी है जिससे अवाप्त भूमि राजकीय भूमि में परिवर्तित हो गयी है एवं अवाप्त भूमि में खातेदारों का कोई हक नहीं रहा है। भूमि अर्जन अधिकारी द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 1.3.1966 में आबंटित भूमि की कुल मुआवजा राशि 61,702 रुपये तय की। प्रकरण में खातेदारों द्वारा भूमि समर्पित कर पुनः आर वी पी पी एल के पक्ष में आबंटित नहीं करायी है जिससे औद्योगिक भूमि आबंटन नियम...

(13.00 बजे)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, क्या है? मेरे खयाल में आधा घण्टे से ज्यादा हो गया है...(व्यवधान) पत्र पढ़ रहे हैं यह तो। पत्र पढ़े जा रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।...(व्यवधान)

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): 14(2) के अनुसार भूमि राजकीय भूमि के रूप में दर्ज होनी है...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): पत्र पढ़े जा रहे हैं। पत्र का नम्बर कोट कर दीजिये...(व्यवधान)

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): यह घोटाला है। सुनने दें घोटालों को।...(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सुनने में ही दर्द हो रहा है।...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): यह वैधानिक स्थिति तो कलक्टर ने पूरी कर दी..(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, स्थगन प्रस्तावों के ऊपर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति दी है आसन ने। (व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): सभापति महोदय, इनका टाइम चल रहा है। इनका टाइम, आप सुनिये...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप कितना समय और लोगे?

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): बस, पांच मिनट।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): यह घोटाला है। बड़ा घोटाला है।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): इस सरकार के घोटालों की परतें खुलती जा रही हैं...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समअप करो आप।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): और इसी वैधानिक स्थिति में कलक्टर आगे लिखता है, परन्तु आर वी पी पी एल की भूमि सामान्य दर पर सी सी पी एल को आबंटित की जाती है तो राजकीय भूमि का नुकसान होगा...(व्यवधान)

श्री सभापति: अब आप, माननीय सदस्य फिर मुझे मजबूर होकर...(व्यवधान)

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): तथा उक्त भूमि घनी आबादी के मध्य स्थित...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप मुझे मजबूर करेंगे तो मुझे अंकित नहीं होने का निर्देश देना पड़ेगा। अब समअप करो आप। (व्यवधान)

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): दो मिनट..(व्यवधान)

श्री सभापति: नहीं, आप समअप करो। (व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): सभापति जी, बहुत साल हो गये, सुनने दें घोटालों पर ...(व्यवधान)

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): दो मिनट सभापति महोदय...(व्यवधान)

श्री सभापति: स्थगन प्रस्तावों पर सिर्फ दो मिनट का...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष ने कहा ही यह है...(व्यवधान)

श्री सभापति: सात-आठ मिनट हो गये आपको...(व्यवधान)

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): सभापति महोदय, उसमें कलक्टर आगे लिखते हैं, वैधानिक स्थिति में परन्तु आर वी पी पी एल की भूमि सामान्य दर पर सी सी पी एल को आबंटित की जाती है तो...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): अगर यहां पर पत्र पढ़ने की इजाजत दी जा रही हो तो माननीय सदस्य पत्र पढ़ सकते हैं...(व्यवधान)

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): राजकीय भूमि का नुकसान होगा अतः उक्त भूमि घनी आबादी के मध्य स्थित होने से...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समअप करो...(व्यवधान) आप विराजो। (व्यवधान)

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): सभापति महोदय, यह श्री+++ की कम्पनी को, सी सी पी एल को 500 करोड़ की जमीन 11 करोड़ में दी गयी है...(व्यवधान)

श्री सभापति: अब आप विराजो...(व्यवधान)

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): मैं सदन से मांग करता हूं कि इसकी सम्पूर्ण जांच...(व्यवधान)

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। अब अंकित नहीं होगा। विराजो आप..(व्यवधान)

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): ×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, अगर किन्हीं माननीय सदस्य के बारे में आरोप लगा रहे हैं तो नियमों में आएं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, सदस्य के नाम पर जो यह आरोप लगाएंगे, उनका स्पष्ट...(व्यवधान)

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): नियमों में आइये आप। (व्यवधान)

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): ×××

श्री सभापति: विराजो आप।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): जो बात आ रही है, कोई भी अपनी बात कह सकते हैं। कोई नियमों की परवाह नहीं है...(व्यवधान) वरिष्ठ सदस्य आ रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। परम्पराओं की, नियमों की... (व्यवधान)

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): ×××

श्री सभापति: आप विराजो। माननीय सदस्य, विराजो।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): अगर पाक साफ हैं तो बोलें। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजिये...(व्यवधान)

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): ×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): आरोप अगर लगाएंगे तो आरोपों के सम्बन्ध में आपके भी बहुत सारे तैयार हैं। थोड़ी-सी गम्भीरता रखिये। आरोप लगा रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं...(व्यवधान)

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

श्री सभापति: 1. श्री ज्ञानचन्द पारख, सदस्य की ओर से पाली शहर की जूनी कचहरी की भूमि पर महाराणा प्रताप की अश्वारूढ़ प्रतिमा लगाने एवं वहां संग्रहालय का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

2. श्री पानाचन्द मेघवाल, सदस्य की ओर से जिला कोटा की तहसील रामगंजमण्डी की ग्राम पंचायत सालेड़ा खुर्द के ग्राम जगपुरा के माल के खसरा नम्बर 100, 101, 151 से 156 के सार्वजनिक रास्ते की भूमि पर कथित अतिक्रमण को हटाये जाने के सम्बन्ध में।

3. श्री अभिषेक मटोरिया, सदस्य की ओर से हनुमानगढ़ के राजकीय एन एम पी जी कालेज में व्याख्याताओं की कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

4. श्री ग्यारसाराम कोली, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बयाना की सड़कों की स्थिति खराब होने तथा बिजली की अघोषित कटौती होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

5. श्रीमती मंजू देवी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जायल के

(श्री सभापति)

ग्राम बड़ीखाटू की खानों को बन्द कर देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

6. श्री हरिसिंह रावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भीम-देवगढ़ की पेयजल समस्या का स्थायी समाधान करने के सम्बन्ध में।

7. डा. फूलचन्द भिण्डा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के ग्राम पंचायत छापुड़ाखुर्द में महानरेगा कार्यों में कथित भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में।

8. श्री कानसिंह कोटड़ी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सिवाना के उपखण्ड मुख्यालय सिवाना पर राजकीय महाविद्यालय खुलवाने के सम्बन्ध में।

9. श्री ज्ञानदेव आहूजा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) के प्रत्येक ग्राम पंचायत केन्द्र को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों से जोड़ने के सम्बन्ध में।

10. श्री ओम प्रकाश जोशी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र फलौदी की ग्राम पंचायत सांवरा गांव, बाप क्षेत्र के पम्पिंग स्टेशनों की संचालन व्यवस्था को दुरुस्त कर पेयजल के अपव्यय को रोकने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री ज्ञानचन्द पारख (अनुपस्थित)

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): ×××

श्री सभापति: आप विराजिये। अब आप विराजो। कुछ भी अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): ×××

श्री सभापति: श्री ज्ञानचन्द पारख (अनुपस्थित)

श्री पानाचन्द मेघवाल (अनुपस्थित)

श्री अभिषेक मटोरिया।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

हनुमानगढ़ के राजकीय एन एम पी जी कालेज में व्याख्याताओं की कमी

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): प्रकिया के नियम 295 के तहत जिला

(श्री अभिषेक मटोरिया)
हनुमानगढ़ के राजकीय एन एम पी जी कालेज में व्याख्याताओं की कमी से उत्पन्न स्थिति के बाबत।

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय एन एम पी जी कालेज में व्याख्याताओं की कमी से बिगड़ी हुई शिक्षा व्यवस्था की ओर ले जाना चाहूंगा। लम्बे समय के संघर्ष के बाद जब एन एम पी जी कालेज का सरकारीकरण हुआ, तब पूरे जिले के विद्यार्थियों में खुशी की एक लहर दौड़ गयी थी, परन्तु आज वे सभी विद्यार्थी निराश हैं। इसका मुख्य कारण महाविद्यालय में दो दर्जन से अधिक पद रिक्त होना है। गत दिनों कालेज शिक्षा निदेशालय ने कालेज में सीटें तो बढ़ा दी थीं लेकिन व्याख्याताओं की नियुक्ति नहीं की। छात्र संगठन आये दिन इन खाली पदों को भरने की मांग कर रहे हैं किन्तु सरकार ने इस ओर अब तक कोई ध्यान नहीं दिया और न ही कोई नियुक्ति की। सभी संकाय व्याख्याताओं की कमी से जूझ रहे हैं। विज्ञान संकाय में भौतिक विज्ञान के 3, रसायन विज्ञान के 2, वनस्पति विज्ञान का एक, गणित के 2 तथा जन्तु विज्ञान के 2 पद लम्बे समय से रिक्त हैं। इसी तरह राजनीति विज्ञान के 2, इतिहास के 4, अंग्रेजी के 3, अर्थशास्त्र के 2, हिन्दी के 2 और प्रयोगशाला सहायक के भी 2 पद रिक्त हैं। इतने सारे रिक्त पदों से यह साफ जाहिर होता है कि शिक्षा सत्र 2011-12 में महाविद्यालय में अध्ययनरत 2800 विद्यार्थियों की पढ़ाई की जिम्मेदारी मात्र कुछ एक व्याख्याताओं के ही जिम्मे है। और तो और, महाविद्यालय के अधिग्रहण के बाद कालेज प्रशासन अपने स्तर पर भी रिक्त पदों की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर रहा है। सरकारीकरण के बाद महाविद्यालय में शुल्क तो जरूर कम हो गया लेकिन पढ़ाई की स्थिति दिनों-दिन खराब हो रही है।

अत: मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करना चाहता हूं कि एन एम पी जी कालेज, हनुमानगढ़ में सभी रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाए ताकि वहां अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों को गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षा प्रदान की जा सके।

श्री सभापति: श्री ग्यारसाराम कोली।

बयाना की सड़कों की बदतर स्थिति एवं अघोषित बिजली कटौती

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): विधान सभा प्रक्रिया संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

(श्री ग्यारसाराम कोली)

मान्यवर, मैं उपरोक्त नियम के तहत बयाना विधान सभा क्षेत्र में सड़कों की बदतर स्थिति एवं अघोषित बिजली कटौतियों के बारे में सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। जिला मुख्यालय भरतपुर से बयाना की सड़क हो या भरतपुर से रूपवास सड़क या छोकरवाड़ा से बयाना रूदावल होकर बोकोली मोड़ हो, गहरे-गहरे गड्ढे पड़े हुए हैं। आये दिन सरकार के प्रभारी मंत्री हों या मुख्य मंत्री हों, आंख मूंदकर बैठकर चले आते हैं। आये दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, वाहन टूट जाते हैं लेकिन सरकार का रवैया मूक बधिर जैसा है। क्या सरकार जनता की हितैषी नहीं है? जनमानस त्रस्त है। बेहद परेशान है। सरकार का ध्यान अविलम्ब सड़कों को दुरुस्त कराने की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा।

दूसरी तरफ जब कृषि के लिये बिजली की आवश्यकता नहीं है फिर भी बिजली प्रति दिन 10 घण्टे बन्द रहने का क्या कारण है ? आम जनता की समझ से बाहर है। क्या सरकार नाम की चीज लुप्त हो गयी है जो न तो बच्चों, महिलाओं, वृद्धों के प्रति सजग है अपितु मूकदर्शक का रूप ले चुकी है। अविलम्ब ऊर्जा मंत्रीजी ध्यान देकर जिला भरतपुर की विद्युत व्यवस्था सुधारेंगे, माननीय, ऐसी आपसे अपेक्षा करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती मंजू देवी।

जायल के ग्राम बड़ी खाटू की खानों को बंद कर देने से उत्पन्न स्थिति

श्रीमती मंजू देवी (जायल): सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के तहत आपके माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र जायल के ग्राम बड़ीखाटू में वर्षों से चली आ रही खानों की ओर ध्यानाकर्षित करना चाहती हूं। विगत चार-पांच वर्षों से इन खानों को बंद कर रखा है और बापी पट्टे बंद कर दिये गये हैं जिसके कारण हजारों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि मेरे क्षेत्र में मात्र एक ग्राम खाटू में ही माइन्स हैं, लामोटी क्षेत्र की सैकड़ों खानें बंद हैं।

अतः बापी पट्टे जारी कर माइन्स चालू कराने का कष्ट करावें। साथ ही मैं जानकारी चाहती हूं कि क्या राजस्थान में अन्य क्षेत्र जोधपुर, मकराना, उदयपुर आदि स्थानों पर क्वारी लाइसेंस पर माइन्स चालू नहीं हैं? यदि वहां चालू हैं तो जायल क्षेत्र में इन्हें बंद क्यों किया गया है?

श्री सभापति: श्री हरीसिंह रावत।

भीम-देवगढ़ की पेयजल समस्या का स्थायी समाधान

श्री हरिसिंह रावत (भीम): सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत माननीय जल संसाधन मंत्रीजी से निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र भीम-देवगढ़ को जो कि भौगोलिक दृष्टि से पूरी तरह से मगरा क्षेत्र है, हमेशा पेयजल की गम्भीर समस्या का सामना करना पड़ता है। वर्तमान में भी यहां पर पानी की किल्लत के कारण जनता काफी परेशान है। इस कारण इस समस्या का स्थायी समाधान करना अत्यन्त आवश्यक है। अतः मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि क्षेत्र में पेयजल की इस गम्भीर समस्या के स्थायी समाधान हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना या अन्य कोई योजना द्वारा निम्नांकित स्रोतों से अभावग्रस्त क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था की जाए:-

1. निमझर बांध से देवगढ़ नगर एवं बीच में पड़ने वाले ग्राम नीमझर, मदारिया, आंजना, दौलपुरा आदि।
2. छापली हरी सागर से दिवेर, छापली, खीमाखेड़ा, बरजाल, बाघाना, विजयपुरा इत्यादि।
3. कामली के पास में बेलकियों की नाल पर एनिकट बनाकर नीचे ओपन वैल खोदकर भी यहां से नगर देवगढ़ की पेयजल का स्थायी समाधान किया जा सकता है।
4. इसी प्रकार राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत अन्य शेष पंचायत समिति भीम एवं देवगढ़ के ग्रामों को भी जोड़ा जाए।

अतः मेरा अनुरोध है कि उक्त योजनाओं द्वारा पेयजल व्यवस्था सुचारू बनाये जाने के संबंध में आवश्यक कदम उठाये जाएं एवं क्षेत्र में उक्त योजना का कार्य शीघ्र प्रारम्भ करवाया जाए।

श्री सभापति: डा. फूलचन्द भिंडा। (अनुपस्थित)

श्री कानसिंह कोटड़ी।

सिवाना उपखण्ड मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

श्री कानसिंह कोटड़ी (सिवाना): सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मैं राज्य सरकार एवं माननीय शिक्षा मंत्रीजी का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि

(श्री कानसिंह कोटड़ी)

उपखण्ड क्षेत्र सिवाना में 40 ग्राम पंचायतें एवं 129 राजस्व गांव आये हुए हैं। जनगणना 2001 के अनुसार उपखण्ड क्षेत्र की कुल 2,13,648 जनसंख्या है। वर्तमान में इस उपखण्ड क्षेत्र में राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय 9 एवं राजकीय सीनियर बालिका माध्यमिक विद्यालय 3 हैं, इस प्रकार कुल 12 हैं।

इस क्षेत्र में स्थानीय राजकीय महाविद्यालय नहीं होने के फलस्वरूप बालक-बालिकाओं को 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् अन्यत्र बालोतरा 40 किलोमीटर, जोधपुर 115 किलोमीटर, बाड़मेर 100 किलोमीटर दूर उच्च शिक्षा हेतु जाना पड़ता है। इस क्षेत्र के बालक-बालिकाओं के अभिभावकों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण बालक-बालिकाओं को उच्च शिक्षा हेतु अन्यत्र पढ़ाना मुश्किल है। साथ ही बालिकाओं के अभिभावक बालिकाओं को अकेली दूर भेजना नहीं चाहते हैं। जिसके फलस्वरूप बालक-बालिकाओं को उच्च शिक्षा से वंचित रहना पड़ रहा है। राज्य सरकार द्वारा शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है जिसमें भी विशेषकर बालिका शिक्षा को। इस उपखण्ड क्षेत्र में उच्च शिक्षा हेतु कोई राजकीय महाविद्यालय नहीं होने से आर्थिक स्थिति से कमजोर अभिभावकों द्वारा बालक-बालिकाओं को अन्यत्र रख कर उच्च शिक्षा दिलाना असम्भव है।

अतः जन मांग, जनहित एवं बालक-बालिकाओं के हितों को देखते हुए उपखण्ड मुख्यालय सिवाना पर राजकीय महाविद्यालय की स्वीकृति प्रदान कर जनता को राहत पहुंचाने का आग्रह करता हूं।

श्री सभापति: श्री ज्ञानदेव आहूजा। (अनुपस्थित)

श्री ओमप्रकाश जोशी।

फलौदी के पंपिंग स्टेशनों की संचालन व्यवस्था दुरुस्त कर पेयजल के अपव्यय की रोकथाम

श्री ओम जोशी (फलौदी): सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र फलौदी व आसपास के इलाके से राजीव गांधी लिफ्ट, फलौदी व पोकरण लिफ्ट नहरें चल रही हैं। राजीव गांधी लिफ्ट नहर से फलौदी शहर, ग्रामीण, जोधपुर शहर आदि विशाल क्षेत्र के लोगों को पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

ग्राम पंचायत सांवरा गांव के माण्डली व सांवरा गांव एवं ग्राम पंचायत

(श्री ओम जोशी)

बाप क्षेत्र के पी एस 3,4 एवं 5 पर एस्केप चैनल बने हुए हैं। इन पंपिंग स्टेशनों का संचालन कार्य विभाग द्वारा ठेकेदारों को दिया हुआ है। लापरवाही व विभिन्न कारणों से समय-समय पर भारी मात्रा में अमूल्य पेयजल इन पंपिंग स्टेशनों के मध्य आये एस्केप चैनल से बहकर हजारों बीघा खेती की जमीन पर फैल जाता है तथा 3-5 फीट तक के भराव के साथ काश्त योग्य भूमि को खराब कर रहा है।

इस विषय पर लम्बे समय से ध्यानाकर्षित किया जा रहा है। अभी हाल ही में इस समस्या का मौका अवलोकन किया गया परन्तु कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई। जानकारी करने पर पानी बहाव का कारण बिजली आपूर्ति में व्यवधान आदि बताया गया। इस पानी का स्थायी उपयोग हो सकता है, इसी क्षेत्र में निर्मित नेतावता माइनर में पानी दिया जा सकता है। बाप गांव में पानी अभी आर डी 92 से आता है। बड़ी मात्रा में व्यर्थ बहने वाले पानी से कई प्यासे गांवों को आपूर्ति कर समस्या का समाधान किया जा सकता है। एक तरफ 'जल है तो कल है' का सिद्वान्त यथार्थ साबित हो गया है तो दूसरी तरफ इस प्रकार व्यर्थ बहने वाला पानी कई मील क्षेत्र में निरन्तर पड़ा रहता है जिससे कृषि योग्य भूमि खराब होकर दलदल बन रही है। इस प्रकार लापरवाही से अपव्यय होने वाले मीठे पानी के बचाव की तकनीकी पुष्टता करवायी जाकर डिग्गी निर्माण से, रास्ते में आने वाले गांवों के तालाबों को भरने से, फलौदी व पोकरण लिफ्ट नहरों में पानी देकर सही उपयोग किया जा सकता है। क्षेत्र की जनता ऐसे हालात का उत्तर चाहती है तथा हम किंकर्तव्यमूढ होकर पुनः अधिकारियों को बताते हैं, परन्तु परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय जल संसाधन मंत्री महोदय से आशा करता हूं कि इस प्रकार होने वाले अमृत स्वरूप पेयजल का अपव्यय तत्काल रोका जाकर स्थायी समाधान करावें तथा पंपिंग स्टेशन की संचालन व्यवस्था दुरुस्त की जाकर आपसी तालमेल से नहरी पानी का अतिरिक्त बहाव रोकने की व्यवस्था सुनिश्चित करावें।

श्री सभापति: डा. फूलचन्द भिण्डा।

विराटनगर की ग्राम पंचायत छापुड़ाखुर्द में महानरेगा कार्यों में अनियमितताएं

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

निवेदन है कि ग्राम पंचायत छापुड़ाखुर्द में 2008-09, 2009-10 में महानरेगा में जाब कार्ड बनाने, मस्टररोल के माध्यम से फर्जी व्यक्तियों के नाम से उपस्थिति दर्ज कर सरपंच, पदेन सचिव तथा पोस्टमैन ने मिलकर लाखों रुपये का गबन किया है। गबन करने के लिए पति, पत्नी के अलग-अलग जाब कार्ड, सरकारी तथा अन्यत्र कार्यरत लोगों के जाब कार्ड, एक ही परिवार के एक से अधिक जाब कार्ड, पोस्टमैन के परिवार के नाम एक से अधिक जाब कार्ड, सरपंच के परिवार के नाम से एक से अधिक जाब कार्ड, एक ही नम्बर से दो-दो कार्ड, तीन-तीन कार्ड, एक ही व्यक्ति के नाम दो-दो जाब कार्ड, बिना रेकार्ड के जाब कार्ड जो इश्यू ही नहीं हुए, परन्तु मस्टररोल में दर्ज हैं।

सभापति महोदय, अकाल राहत में 2002 से 2005 में बनी कृपाल्या वाली ढाणी से ढोल्यावाली ढाणी तथा भोला स्वामी की ढाणी तक पुनः सड़क स्वीकृत करवाकर राशि उठायी गयी है। एक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन से ज्यादा दिन कार्य दर्ज कर सरपंच एवं पंचायत के पदेन सचिव ने फर्जी तरीके से भुगतान उठाया है। टीएफसी योजनाओं में सरपंच एवं पंचायत के पदेन सचिव ने बिना जल संग्रह टंकी बनाये 27 टंकियों का भुगतान लिया, जबकि मौके पर वे बनी हुई नहीं हैं। कुछ बनी दिखायीं वे भी पूर्व किसानों द्वारा बनायी हुई थीं जिसके भी शपथ पत्र भूमि मालिकों ने स्वयं बनायी हुई के दिये हैं। इस भ्रष्टाचार का उल्लेख राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस आथोरिटी, जयपुर ने अपने छठे इश्यू के 158 पृष्ठ पर उल्लेखित किया है। इस सारे प्रकरण में जॉब कार्ड बनाने, मस्टररोल पर सत्यापन के हस्ताक्षर भी किये। ये सभी कृत्य कानून की दृष्टि से भी अपकृत्य की श्रेणी में आते हैं। सरकार इनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करके वसूली करे।

श्री सभापति: आज दिनांक 29 अगस्त, 2011 को शून्य काल में बोलने के लिए 12 पर्चियां प्राप्त हुई हैं, जिसमें शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गयीं, जो निम्नांकित हैं- श्री कालीचरण सराफ, श्री अब्दुल सगीर खां, श्री मदन प्रजापत, श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा। श्री कालीचरण सराफ।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में बिना अनुमति भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी द्वारा पद ग्रहण

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय सभापति महोदय, मैं

(श्री कालीचरण सराफ)

आपके माध्यम से राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में बिना किसी प्रोविजन के, केन्द्रीय सरकार की बिना अनुमति के प्रशासनिक अधिकारी, सचिव के पद पर काबिज हैं, इस बाबत मैं अपनी बात कहना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, मैंने एक प्रश्न लगाया था, क्या यह सही है कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के किसी पद पर प्रशासनिक अधिकारी काबिज है, यदि हां तो किस पद पर कौन अधिकारी किस नियम के अन्तर्गत और कब से, विवरण सदन के पटल पर रखें। तो मुझे इसका जवाब मिला, ''जी हां'', भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री संजय दीक्षित राजस्थान क्रिकेट एशोसिएशन, (आर सी ए) में पहली बार 1 मार्च, 2009 में अध्यक्ष पद के लिए एवं दूसरी बार 7 दिसम्बर, 2009 को सचिव पद के लिए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के संविधान के तहत निर्वाचित हुए हैं। फिर मैंने पूछा, ''क्या यह भी सही है कि किसी प्रशासनिक अधिकारी को ऐसे पद पर काबिज होने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुमति लेनी आवश्यक है?'' तो मुझे जवाब दिया गया ''जी हां,'' केन्द्रीय सरकार से अनुमति आवश्यक है। फिर मैंने पूछा, ''यदि हां'' तो उक्त पद के लिए कब अनुमति ली गई, विवरण सदन के पटल पर रखें। तो मुझे जवाब मिला, ''उक्त पद के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई।'' तो मैं राज्य सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि संजय दीक्षित जैसे कितने दबंग अधिकारी हैं जिन्होंने केन्द्रीय सरकार से अनुमति नहीं ली और उसके बाद भी वे राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारी बने हुए हैं?

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अप्रैल, 2011 में एक विजय क्लब है जयपुर में, उसने सरकार से यह शिकायत की, चीफ सैक्रेटरी को यह शिकायत की और ज्ञापन दिया कि बिना अनुमति के संजय दीक्षित आर सी ए के सैक्रेटरी बने हुए हैं। आप आश्चर्य करेंगे, चीफ सैक्रेटरी ने डी ओ पी को जांच के लिए लिखा, डी ओ पी ने संजय दीक्षित को जवाब देने के लिए लिखा लेकिन संजय दीक्षित ने उस पत्र का जवाब देने की जरूरत नहीं समझी। आपको आश्चर्य होगा कि डी ओ पी के प्रिंसिपल सैक्रेटरी ने तीन बार संजय दीक्षितजी को पत्र लिखा और जवाब मांगा, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। चीफ सैक्रेटरी ने दीक्षित से स्पष्टीकरण देने के लिए कहा, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दीक्षित साहब ने बिना किसी हस्ताक्षर किए एक नोट बनाया और चीफ सैक्रेटरी को भेज दिया। उस पर साइन भी नहीं किये और उस नोट को चीफ सैक्रेटरी को भेज दिया। चीफ सैक्रेटरी ने उसे विधि विभाग को परीक्षण करने के लिए भेज दिया। विधि विभाग ने अनुशासनात्मक

(श्री कालीचरण सराफ)

कार्यवाही करने के लिए लिख दिया। आप आश्चर्य करेंगे, माननीय सभापति महोदय, कि चीफ सैक्रेटरी ने फाइल सी एम आफिस भेजी और सी एम साहब ने बिना कोई...

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान माननीय सदस्य के द्वारा जो विषय उठाया जा रहा है, उस ओर लाना चाहता हूं, पर्ची के माध्यम से जो विषय उठाया जा रहा है। पर्ची के माध्यम से वही विषय उठाया जा सकता है जो हाल ही की घटना हो और आप महीनों और सालों पुरानी जो चर्चा लेकर आए हैं, फिर भी आसन यदि अनुमति देता है...

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): सालों पुरानी घटना नहीं है, अभी प्रजेंट में चल रही है। ताला लगा हुआ है आर सी ए पर। विराजो आप। (व्यवधान) आप विराजो। आर सी ए पर ताला लगा हुआ है, मैं उस पर आ रहा हूं।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): आप निर्देशित करने का कष्ट न करें, यह आसन की व्यवस्था है। मैं विराजूं या खड़ा रहूं, यह आपका आदेश नहीं चलेगा।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): हां, बिलकुल नहीं चलेगा, पर आप विराजो।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): आप विराज जाइए।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): नहीं, मैंने तो पर्ची लगाई है और मैं पर्ची पर बोलूंगा।

श्री सभापति: आप मुझसे बात करें। आप मुझसे बात करें, मैंने आपको अलाउ किया है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): यह क्या है? आप इनको विराजने के लिए निर्देशित करें।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया व्यवस्था फरमाएं। जिन नियमों के तहत पर्ची की व्यवस्था को कायम किया गया है, उन नियमों को और उस व्यवस्था पर आप नजर फरमाएं। वर्षों पुराने मामले अगर इस प्रकार चर्चा में आने लगेंगे तो यह व्यवस्था नहीं बन पाएगी।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): वर्षों पुराना नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजो।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): हम भी नियमों की ओर ही आपका ध्यान दिला रहे हैं। नियम क्या हैं, इस ओर ध्यान दिलाना मेरा कार्य है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): नियमों का ध्यान दिलाएं मगर यह रीसेंट आकरेंस है, यह बंद है, बंद के कारण ही उठा रहा हूं यह विषय। जबरदस्ती, नाम आ रहे हैं आपके अधिकारियों के।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): यह विषय वर्षों पुराना है। वर्षों पुराना मामला है।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): ये वर्तमान हालात हैं, वर्षों पुराना नहीं है।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, जिन प्रश्नों का हवाला दिया जा रहा है, वह वर्षों पुरानी घटना है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): वर्षों पुरानी नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मुझे लगता है कि चीफ व्हिप साहब को डिस्टरबेंस करने की आदत पड़ गई है। जब पर्ची के लिए आपने मुझे अलाउ कर दिया। (व्यवधान) देखिए, फिर खड़े हो गये। आपके कोई स्प्रिंग लगी हुई है क्या? विराजो आप।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): माननीय सदस्य, व्यक्तिगत किसी तरीके की टीका टिप्पणी नहीं करें, मैं आपसे निवेदन करूंगा।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मैंने कोई टीका टिप्पणी नहीं की।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): मुझे क्या आदत पड़ गई है और क्या नहीं पड़ गई है, आपसे राय लेने की जरूरत नहीं है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): नियमों के बारे में मुझे क्या बताना चाहते हैं आप? (व्यवधान)... जबदस्ती।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): +++ सीमाओं के अन्दर रहिए आप। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए आप। आपको कोई बात कहनी है तो मुझे देखकर कहिए।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): क्या मतलब है आपका? सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मुझे आपका।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): अब यह मेरे से ही बात कर रहे हैं या आपसे बात कर रहे हैं?

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): शालीनता की...

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): अब मैं सीखूंगा आपसे शालीनता? ...(व्यवधान)...

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): शालीनता सीखनी है तो अपने मां-बाप से सीखिए।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): उसकी चिंता मत करिये आप। (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य, आप इतना अपने उससे बाहर न आएं, ठीक रहेगा और आसन की तरफ देखकर बात करें।

श्री सभापति: विराजो।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): तो मैं यह कह रहा था कि चीफ सैक्रेटरी ने वह फाइल सी एम साहब को भेज दी।

श्री सभापति: अब कितना लम्बा करेंगे?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): सी एम साहब ने बिना कोई टिप्पणी किए फाइल वापस भेज दी। उसके बाद मैंने प्रश्न लगाया तो, मैं सी एम साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने उसमें चार्ज शीट की मंजूरी दे दी। माननीय सभापति महोदय, आल इण्डिया सर्विस कण्डक्ट रूल, 1968 के नियम 13 के उप नियम 5 की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बिना केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के कोई भी प्रशासनिक अधिकारी चाहे वह आई ए एस हो या आई पी एस हो...

श्री सभापति: यह तो आप बोल चुके न, माननीय सदस्य। आ चुकी न यह बात।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ...(व्यवधान)... आप डिस्टर्ब न करें। तो मैं आपको रूल बता रहा था।

श्री सभापति: आ चुकी बात आपकी।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि कितना प्रभावशाली वह व्यक्ति है कि उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। माननीय सभापति महोदय, हमारे आर सी ए के

(श्री कालीचरण सराफ)
अध्यक्ष हैं केन्द्रीय मंत्री, सी पी जोशी साहब, उन्होंने उदयपुर में मीटिंग रखी आर सी ए की साधारण सभा की और उसमें वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए संजय दीक्षित को बर्खास्त कर दिया। आप उनकी जुर्रत देखिए, उनकी बर्खास्तगी करने के बाद हमारे जयपुर के सांसद जिन्होंने अन्ना हजारे के खिलाफ चुनाव लड़ने की चुनौती दी...(व्यवधान)... +++

श्री सभापति: इस पर्ची से क्या सम्बन्ध है उसका? आप कहां अन्ना हजारे को ला रहे हो?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): हां, मैं वही बोल रहा हूं। हां, साहब, मैं उसी सब्जैक्ट पर आना चाह रहा हूं। आप जुर्रत देखिए...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, मेंढक को जुकाम नहीं लगता है क्या?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): इसमें क्या हो गया?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मेंढक को जुकाम लगता है, हमारे सांसद भी चुनौती दे सकते हैं।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): अब आप देखिए कि पुलिस की मिलीभगत से 30 जुलाई को आर सी ए के आफिस के ताला लगा दिया संजय दीक्षित और महेशजी जोशी ने जाकर, बाउंसर भी अपने साथ ले गये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): बाउंसर क्या होता है?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): बलिष्ठ लोग, बाक्सर्स। उनको ले जाकर ताला लगा दिया। फिर सी पी जोशी साहब को पता लगा कि यह क्या हुआ तो उनके ग्रुप के लोग गये और उन्होंने दूसरा ताला लगा दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सिविल लाइन्स से आने वाले माननीय सदस्य भी साथ गए थे।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): हमारे सी एम साहब ने यह वक्तव्य दिया कि यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): मैं नहीं गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप खड़े होकर कह दो, आप खड़े होकर कह दो कि आप नहीं गये।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): एक मिनट। कालीचरणजी। माननीय सभापति महोदय, यह बहुत सीरियस मामला है और

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

मैं इतना कह सकता हूं कि संजय जिसका नाम ही गड़बड़ है, देखो, कितना हंगामा हो गया सदन में। यह +++ है, उसके खिलाफ इलाज होना चाहिए, यह तय बात है। ऐसे अधिकारी जो गलत कायदे कानून से कहीं भी, किसी भी संस्था में काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ इस सदन को एक मत होकर कार्यवाही करनी चाहिए। जो हम लोक सेवा गारण्टी कानून लेकर आ रहे हैं, उसकी सार्थकता भी इससे सिद्ध हो जाएगी। संजय दीक्षित जैसे लोगों का इलाज हो जाएगा तो राजस्थान का आम-अवाम समझेगा कि पूरा सदन ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही कर सकता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): बिलकुल ठीक कहा है लेकिन संजय दीक्षित के इशारे पर नाचने वाली कठपुतलियों का क्या होगा?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी कहा, मैंने एक वक्तव्य पढ़ा अखबारों में, कि यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आर सी ए पर ताले लगे हुए हैं। क्रिकेट को बड़ा नुकसान हो रहा है, क्रिकेट के खिलाड़ियों को बड़ा नुकसान हो रहा है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कहना चाहूंगा कि आज उस ताले लगे होने के बाद एक महीना हो गया, आज भी आरसीए के दफ्तर में ताले लगे हुए हैं, खिलाड़ी बेचारे मारे-मारे फिर रहे हैं। एक अक्टूबर से ईरानी ट्राफी होने वाली है, उसकी किसी को चिंता नहीं है। मैंने इसका बड़ा गहन अध्ययन किया कि राजनीतिज्ञ, हमारे सीपी जोशी साहब, महेश जी जोशी, संजय जी दीक्षित, आखिर क्रिकेट में ऐसा क्या है कि वहां जाकर वे अपना टाइम खराब करते हैं। तो मैंने ...(व्यवधान)... सुनिए, मैंने राजस्थान ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: सराफ साहब, कितना लम्बा करेंगे आप?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): साहब, दो मिनट और बोलूंगा ...(व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): क्रिकेट को तो लम्बा कर दिया, इनको भी करने दो। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): इसकी रिपोर्ट मैं बताना चाहता हूं आपको।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, जितनी आप इजाजत देंगे, उतना ही लम्बा करेंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति: अब आप इसको सम-अप करें। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): साहब, इतने में तो मैं अपनी बात खतम कर देता, आप दो मिनट और दीजिए।

49 करोड़ 60 लाख 78 हजार 450 रुपये की इनकी कुल सम्पतियां थीं 31 मार्च तक, कैश इन हैण्ड है 23 करोड़ 74 लाख 31 हजार 877 रुपये, प्रशासनिक खर्चा 3 करोड़ 34 लाख 51 हजार, प्रोफेशनल और लीगल खर्चा 1 करोड़ 8 लाख 59 हजार 311 रुपये। यह प्रति वर्ष की बात है। और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन चुनाव का खर्चा 11 लाख। मैंने ये मोटे-मोटे आज इसलिए बताये हैं कि हमारे राजनेता अपना काम छोड़कर यहां क्यों इतना टाइम बरबाद करते हैं। हमारे महेश जोशी जी को हमने पूछा कि आप इतने आरसीए के चेयरमैन बनने के लिए लालायित क्यों? तो उन्होंने कहा कि जयपुर के हितों की बड़ी अनदेखी हो रही है। मैं महेश जोशी से पूछना चाहता हूं, वह जब सांसद बने तो उन्होंने हमारी जयपुर की जनता से वादा किया था कि मैं यदि जयपुर का सांसद बन गया तो जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाऊंगा। आईआईटी जयपुर से चली गई (व्यवधान)

श्री सभापति: देखिए, माननीय सदस्य, उन्होंने जो चुनाव में कहा, जो जनता से वादे किये ...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): उनका अख़बार में स्टेटमेंट छपा है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): संजय दीक्षित का इलाज करना चाहती है या नहीं सरकार, यह बता दे मोटे तौर पर? (व्यवधान)

श्री सभापति: आप जो कहना चाह रहे हो, वह बता दें...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): क्यों गृह मंत्री जी बचाने बैठे हैं? ऐसे अधिकारियों को क्यों बचा रहे हैं गृह मंत्री जी? ...(व्यवधान) संजय दीक्षित का इलाज करना चाहते हो आप? है हिम्मत तो खड़े होकर कहो। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मैं मांग करना चाहता हूं, राजस्थान के गृह मंत्रीजी यहां बैठे हैं, संजय दीक्षित से कौनसी नस दबती है आपकी कि आज तक संजय दीक्षित पर कार्यवाही नहीं हुई? उन्होंने जो घोटाले किये करोड़ों रुपये के, उन पर आपने कोई कार्यवाही नहीं की। आरसीए के ताले लगे हुए हैं, दुर्भाग्यपूर्ण बताने से काम नहीं चलेगा, वे ताले कब तक खोले

(श्री कालीचरण सराफ)

जाएंगे और कब तक सस्पैण्ड किया जाएगा संजय दीक्षित को, यह बता दें? मैं मेरी बात समाप्त करता हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजें...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): विधि मंत्री के रूप में आपने उनके खिलाफ होने वाले किसी प्रकार के एक्शन की फाइल को क्यों रोक रखा है? (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजिए...(व्यवधान)... आप विराजिए...(व्यवधान)... माननीय सदस्य, आप विराजें...(व्यवधान) एक मिनट, आप विराजिए। (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): सभापति जी, मैं एक मिनट लूंगा ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: मंत्रीजी बोल रहे हैं।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): हां, बोल देंगे बाद में। इसी के बीच में, मेरा, सभापति जी, एक अनुरोध है कि संजय दीक्षित जी के जितने भी उन्होंने करप्शन किये, घोटाले किये, वे सब के सामने आ गये जो भारत सरकार की तरफ से रूल्स-रैगुलेशन हैं कि ऐसे अधिकारी काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं किसी भी संस्था में। उसके बाद भी वह अधिकारी अखबारों में बयान देते हैं, बयान देकर पूरे राजस्थान को बदनाम करते हैं। कहीं पर यदि वह आगे बढ़कर गैर-कानूनी काम कर रहे हैं तो, सभापति महोदय, मैं आपके जरिए मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ आप सख्त से सख्त कार्यवाही करें, उनको बाउण्ड करें जिससे राजस्थान में खेल हो सकें। आपने चार्जशीट दी है तो मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा, चार्जशीट के अलावा आप ऐसी कौन सी कार्यवाही उनके खिलाफ करने जा रहे हैं जिससे भविष्य में किसी अधिकारी की ऐसी गलतियां करने की हिम्मत नहीं हो? क्या आप उनकी वित्तीय अनियमितताओं की जांच करने की भी मंशा रखते हैं, मंत्रीजी? यह भी सदन को बता दें जिससे राजस्थान की जनता को भरोसा हो कि हम खेल करवाना चाहते हैं लेकिन ऐसे अधिकारियों का इलाज भी करना जानते हैं।

श्री सभापति: श्री अब्दुल सगीर खान।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, बड़ा गम्भीर मामला है।

श्री सभापति: आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री सभापति: सगीर खान जी, विराजिये।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैं तो बहुत पहले से तैयार था लेकिन यह बोले जा रहे हैं, एक-एक बात को रिपीट किये जा रहे हैं। वही तो प्रश्न में भी जवाब ले लिया, अब आज भी जवाब ले रहे हैं।

सभापति महोदय, यह तथ्य सही है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी संजय दीक्षित राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के मार्च, 2009 में अध्यक्ष और दिसम्बर, 2009 में सचिव चुने गये किन्तु उन्होंने इस पद को प्राप्त करने के लिए कहीं से भी कोई अनुमति नहीं ली। यहां मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी को किसी भी संस्था में किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ने हेतु अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम, 1968 के बने हुए हैं, के तहत सरकार से अनुमति लेनी होती है। अभी आपने हवाला दिया सैक्शन 13 का, 13 का 5 आपने पढ़ा, मैं फर्स्ट पढ़ देता हूं, सैकंड पढ़ देता हूं, थर्ड पढ़ देता हूं और फिफ्थ भी पढ़ देता हूं ''Private Trade or Employment. Subject to the provision of Sub-rule 2 of Rule 13, no member of the service shall, except with the previous sanction of the Government, hold an effective office or canvass for a candidate or candidates or an effective office in any body whether incorporated or not.'' थर्ड जो लास्ट आपने पढ़ा, उससे मैं एग्री करता हूं ''Contesting election to the sports body etc. Subject to the provision of Sub rule 2 of Rule 13, no member of the service shall, except with the previous sanction of the Central Government……'' आपने यह बात कही कि संजय दीक्षित ऐसी क्या चीज है कि जिससे सरकार की नसें दबती हैं। आप इतिहास में जाइए, संजय दीक्षित वह हस्ती थी जो ललित मोदी को नागौर से अध्यक्ष बनवाकर लाये थे और आरसीए का अध्यक्ष बनाया था। यह वह हस्ती थी।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आप अभी की बात करो।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): नहीं, हमें नहीं है जरूरत। हमें जरूरत नहीं है लेकिन यह जरूरत उस वक्त आपको थी, फिर आपने उसको मक्खी के जैसे निकाल कर फेंक दिया। आगे पढ़िये, आगे देखिए।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): क्या कार्यवाही कर रहे हो, वह बताइए।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): उसी पर आ रहा हूं। हां, मुझे आपकी मंशा पता लग गई, मैं आपकी मंशा के अनुसार काम करना चाहता हूं।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आपको सारी मंशाओं का पता रहता है, आप जवाब दो कि उनके खिलाफ कार्यवाही क्या कर रहे हो।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आपको राज़ी रखना चाहता हूं, आजकल आप बहुत राज़ी हैं।

श्री संजय दीक्षित द्वारा राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (आरसीए) के चुनाव में भाग लेने के लिए किसी पद पर कार्य करने की स्वीकृति केन्द्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों से, प्राप्त नहीं की। यह मैं आपको पहले भी कह चुका, पहले निवेदन कर चुका हूं। इस संबंध में कार्मिक 'क'(1) विभाग के पत्र 15.7.11 के द्वारा दीक्षित से टिप्पणी, स्पष्टीकरण चाहा गया था, जो आपने कहा कि चाहा गया था, बिलकुल सही बात है। उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, नहीं होने पर उनको स्मरण पत्र दिया गया। स्मरण पत्र 22.7.2011 को जारी किया गया और 26.7.2011 को उनके द्वारा सूचित किया गया कि वे राजस्थान उच्च न्यायालय प्रकरण में व्यक्तिगत रूप से पक्षकार हैं। अतः इस संदर्भ में उनके द्वारा गुणावगुण पर उत्तर देने से उनका केस प्रिजुडिस होगा। बावजूद इसके श्री दीक्षित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही (डिसिप्लिनरी एक्शन) आल इण्डिया डीए रूल्स, 1969 के रूप 8 के तहत मेजर पैनल्टी के लिए तय कर लिया गया है, निर्णय कर लिया गया है और यह होगा।

सभापति महोदय, कल जो एक, यह दूसरा इश्यू था, कल माननीय...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अब वह मामला अगर आप उठा रहे हैं...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): नहीं, नहीं, वह बात दूसरी है लेकिन मुझे मेरा खेद प्रकट करने दीजिए। आप उसको रोको मत, मेरी गलती है। मैं गलती स्वीकार कर रहा हूं इसलिए आप रोको मत।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ये पर्चियां पूरी हो जाएं, उसके बाद करो न?

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आप रोकिये मत, रोकिये मत।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): पहले ये पर्चियां पूरी हो जाएं।

स्पष्टीकरण

गृह विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन को समय पर प्रस्तुत न करने पर गृह मंत्री द्वारा खेद प्रकाशन

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैं गलती स्वीकार करता हूं,

(श्री शांती कुमार धारीवाल)
आपने भी एक बार अपने आप में गलती स्वीकार की है। आपको भी याद होगा जब सीपी जोशी ने आपके खिलाफ यह बात उठायी थी और जिस वक्त आपकी मांग चल रही थी और उसी वक्त वह प्रगति प्रतिवेदन आया था तो आपने कहा था कि बिलकुल मांग स्वीकार करता हूं, मैं अपनी गलती महसूस करता हूं और डाइरेक्टर को एपीओ करने का आदेश देता हूं। आपने भी यह कहा था। मैंने भी गलती की है, निश्चित तौर पर गलती की है और मैं खेद प्रकट करता हूं। (व्यवधान) लेकिन मेरी बात सुनिए। (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): सभापित महोदय, आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूं ...(व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): सभापति महोदय, यह आखिर चर्चा किस बात पर हो रही है?....(व्यवधान). सभापति महोदय, खेद किस बात पर प्रकट किया जा रहा है? उन्होंने किस बात पर प्रकट किया है, वजह क्या है? (व्यवधान)

श्री सभापति: आप तो विराजो। (व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): आसन की व्यवस्था होने के उपरांत... (व्यवधान) पर्चियों के बाद लेंगे.... (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): इसमें आपको आपत्ति क्या है? (व्यवधान) इसमें आपको आपत्ति क्या हो रही है? अगर मैं खेद प्रकट कर रहा हूं तो आपको आपत्ति क्या हो रही है? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): एक बार अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था तो आ जाए। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): एक विषय अभी चल रहा है उसको पूरा हो जाने दो, उसके बाद दूसरा विषय उठाओ। (व्यवधान) हम आसन की व्यवस्था चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष की जो भी व्यवस्था होगी वह सिर माथे पर है।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): ... आसन से हम इतना आग्रह करना चाहते हैं, किस नियम में, किस विषय पर खेद प्रकट करना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजो। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): .... अध्यक्ष की व्यवस्था को मैं प्रभावित नहीं करना चाहता, उनकी व्यवस्था मेरे सिर माथे पर है लेकिन मेरे द्वारा कोई गलती की गई है या मेरे विभाग की कोई गलती है.... (व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): आसन भी नियम से बंधा हुआ है... (व्यवधान) आसन इस बात की इजाजत नहीं दे पाएगा...(व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): सभापति महोदय, पहले उनको तो बिठा दो। (व्यवधान) पांच मिनट बाद पढ़ लेना क्या फर्क पड़ता है? (व्यवधान) उनको तो बिठाओ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): सभापति महोदय, क्या इस विषय पर माननीय मंत्री को अपना स्पष्टीकरण देने के लिए समय दे दिया है? (व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मैं आसन से फिर आग्रह करूंगा कि जिस विषय पर आप मंत्री महोदय को अनुमति दे रहे हैं, पहले उस विषय का उल्लेख करवाइये। जिस विषय पर खेद प्रकट करना चाहते हैं, उसका उल्लेख कराइये। और किस नियम के तहत आसन इनको स्वीकृति दे रहा है, उसका उल्लेख करें। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): समय दे दिया है क्या? अगर समय नहीं दिया और आसन से अगर इसके बारे में व्यवस्था नहीं हुई तो मंत्री महोदय को इस विषय को...

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): आसन भी नियम से बंधा हुआ है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): सभापति महोदय, आपसे प्रार्थना है कि क्या आपने इस समय माननीय मंत्री महोदय को...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर 27.08.2011 को चर्चा के दौरान...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): यह नहीं चलेगा +++ । (व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): .... इस पर प्रिविलेज मोशन मूव होता है नियम से सैक्शन 157 में। (व्यवधान) सभापति महोदय, मैं आसन से निवेदन कर रहा हूं.... (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजो तो सही। मंत्री महोदय, एक मिनट आप

(श्री सभापति)

भी विराजो। (व्यवधान) पहले मुझे हाउस को तो आर्डर में लाने दो। इतना गम्भीर विषय है, थोड़ा-सा आप विराजो। (व्यवधान) मैं एक मिनट में व्यवस्था दे दूं। एक मिनट तो विराजो आप।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मुझे मेरा खेद प्रकट तो करने दीजियेगा। सवाल व्यवस्था का थोड़े ही है, आप व्यवस्था मंगवा लीजियेगा। व्यवस्था देने दीजियेगा।

श्री सभापति: आप तो विराजो। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): सभापति महोदय, मैं आपसे इतना ही जानना चाहता हूं कि इस विषय के लिए क्या आपने मंत्री महोदय को काल कर लिया था? (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आप पूछने वाले कौन हो?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ....कि मंत्री महोदय को अपनी बात कहना है। क्या इन्होंने आपसे स्वीकृति लेकर बोलना शुरू किया है? (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय से आप पूछने वाले कौन हो कि उन्होंने मुझे दिया या नहीं दिया? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ....खड़े हुए और पढ़ना शुरू कर दिया यह तो कोई व्यवस्था नहीं होती विधान सभा की। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, यह आपसे पूछने वाले कौन हैं कि आपने मुझे काल किया या नहीं किया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): हां-हां, आसन से पूछने का है। यह क्या बेकार की बातें करते हो? (व्यवधान) यह जो मर्जी आये वो ठोक जाओ क्या? यह सदन व्यवस्था से चलता है। (व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): सभापति महोदय, जिस विषय पर मंत्रीजी वक्तव्य देना चाहते हैं, आसन की अनुमति के बगैर जिस विषय पर देना चाहते हैं, आसन को नियम के तहत ही अनुमति देनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): .... सदन व्यवस्था से चलता है और आसन द्वारा चलता है। (व्यवधान) आसन तय करेगा, बिना आसन के कहे हुए आप चाहे जो पाठ पढ़ना शुरू कर दो, यह कैसे होगा? यों-यों करने से नहीं चलेगा। (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ...कोई माफी मांगना चाहते हैं तो आप उसे माफी मांगने नहीं दोगे क्या? क्या चाहते हो आप, मेरे यह बात समझ में नहीं आ रही। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माफी मांगने की भी इजाजत नहीं दोगे क्या आप? माफी मांगना चाहते हैं, माफी मांगने की भी इजाजत नहीं दोगे क्या आप? (व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): ....गृह मंत्रालय संभालने में अगर ये असफल रहे हैं और उसकी माफी मांगते हैं तो...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : और किसकी, इसी की तो मांग रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान) सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): अगर यहां के सदस्यों पर नियम लागू हैं तो मंत्रियों पर भी नियम लागू हैं। (व्यवधान) मंत्री जब चाहे जब खड़ा होकर किसी विषय पर माफी मांग ले? या तो आप यह बता दें कि गृह मंत्रालय को चलाने में असफल रहे तब माफी मांगें...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): एक बार नहीं, कई बार हुई है। (व्यवधान) आसन से डायरेक्शन कई बार हुए हैं...(व्यवधान) एक बार नहीं, कई बार...(व्यवधान)

(अध्यक्षपीठ द्वारा अंकित नहीं करने के निर्देश)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री सभापति: किसी का अंकित नहीं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): ...(व्यवधान) सभापति महोदय, यह मैं सदन की कर रहा हूं ...(व्यवधान) यह रख रहा हूं। (व्यवधान) आपकी इजाजत से मैं टेबल कर रहा हूं इसे। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री सभापति: हां, कर दें। (व्यवधान) टेबल करने की इजाजत दी जाती है।

सदन की बैठक आधे घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13.47 बजे आधे घंटे के लिए स्थगित हुई।)

(14.17 बजे)

पुनः समवेत् होने पर

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

(सदन कूप में भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री सभापति: विराजें, विराजें। आप विराजें। श्री अब्दुल सगीर खान।

श्री मदन प्रजापत। श्री मदन प्रजापत।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

जोधपुर जिले के सीवरेज का पानी डोली (बाड़मेर) व अन्य गांवों में आने से उत्पन्न स्थिति

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं। हाल ही में बाड़मेर जिले के डोली ग्राम में जोधपुर जिले का सीवरेज का पानी... (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): ...आसन पर आक्षेप लगा रहे हैं। आसन पर आक्षेप लगा रहे हैं। यह संसदीय मर्यादाओं के खिलाफ है। (व्यवधान)

(सदन कूप में भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): ...उनका पानी बाड़मेर जिले की सीमा के डोली ग्राम, कल्याणपुर व परावा में घुस गया है और आम काश्तकारों के पशुओं को नुकसान हुआ है। मैं आपकी मार्फत ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं कि जोधपुर का गंदा पानी... (व्यवधान)... उन किसानों को मुआवजा दिया जाए और गंदा पानी फौरन निकलवाया जाए। (व्यवधान)

(सदन कूप में भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, आसन पर आरोप लगा रहे हैं। आसन पर आरोप लगा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, जोधपुर जिले का सीवरेज का गंदा पानी बाड़मेर जिले के काफी गांवों में आ रहा है, उस पानी की तुरन्त रोकथाम की जाए। इससे किसानों में आक्रोश है। यह 33 साल की समस्या है, मुझे मजबूरी में धरने पर बैठना पड़ा था। माननीय सभापति महोदय, गत साल वाली वह समस्या इस साल भी आ गई है। नेशनल हाइवे नम्बर एक बंद हो जाएगा। (व्यवधान) किसान सड़कों पर आएंगे। कल-परसों ही मैंने माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन किया और...(व्यवधान)... मौके पर आये थे। उनको भी कहा कि तीन दिन में अगर तुरन्त राहत नहीं दी गई तो आम आदमी, किसान सड़कों पर आएंगे, लोगों में भारी आक्रोश है...

(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी व व्यवधान)

कि जोधपुर के गंदा पानी से बाड़मेर जिले के काश्तकारों की फसलों को नुकसान हो रहा है, लोग सहन नहीं करेंगे। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि किसानों को मुआवजा दिया जाए। घरों में जो पानी घुसा है उनको मुआवजा दिया जाए और तुरन्त पानी बंद किया जाए ताकि किसानों को राहत मिल सके। आज नेशनल हाइवे जो बाड़मेर का मुख्य द्वार है, बाड़मेर जिले में प्रवेश के लिए मात्र एक रास्ता है नेशनल हाइवे नम्बर 112, अगर वह बंद हो जाता है तो बाड़मेर जिले में जाने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। गत साल भी एक महीने के लिए बंद हो गया था। अभी पानी भर रहा है, तुरन्त व्यवस्था नहीं की तो पानी रास्ते पर आ जाएगा, नेशनल हाइवे 112 बंद हो जाएगा। माननीय, आपके मार्फत मेरा निवेदन है कि तुरन्त उस पानी की व्यवस्था की जाए।

श्री सभापति: विराजें, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): पानी रोका जाए, किसानों को राहत दी जाए, किसानों को मुआवजा दिया जाए। परेशान होकर मैं नहीं चाहता हूं कि मैं कुछ कहूं, लेकिन माननीय मंत्रीजी भी विराजमान हैं...

श्री सभापति: सदन की कार्यवाही आधा घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 14.21 बजे आधा घंटे के लिए स्थगित हुई।)

(14.51 बजे)

पुनः समवेत् होने पर

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

व्यवस्था का प्रश्न

आसन की बिना अनुमति के गृह मंत्री द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर अपनी व्यवस्था थी दी। इस संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में पहली घटना है कि जब प्रगति प्रतिवेदन बिना मांगें पारित हो जाएं। आपके ध्यान में आते ही, मैं आभारी हूं आपका कि आपने कहा मैं इस पर व्यवस्था दूंगा। पर आज जिस तरह से गृह मंत्रीजी गैर जिम्मेदाराना तरीके से, जब पर्ची के माध्यम से माननीय सदस्य अपनी बात उठा रहे थे, स्पष्टीकरण के बहाने से उन्होंने बोलना प्रारम्भ कर दिया, आसन की अनुमति ली ही नहीं। आप संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, आपसे हम सब लोग यह महसूस करते हैं कि आप कुछ करेंगे, अनुकरणीय करेंगे। पर इस तरह गैर जिम्मेदाराना इनका व्यवहार, अध्यक्ष महोदय, जब तक इसके बारे में व्यवस्था नहीं हो जाएगी, इस संसदीय लोकतंत्र का अपमान हम किसी हालत में सहन नहीं करेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में....

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): आप तो नियमों में बोल रहे हैं न? कौन से नियमों में बात रखी है आपने? आप भी तो बता दीजिए, किन नियमों में बात रख रहे हो?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैंने तो आपकी अनुमति लेकर बात कही है।

श्री अध्यक्ष: आप बहिष्कार करेंगे? बहिष्कार कर रहे हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): इसलिए हमारी तरफ से जो प्रिविलेज का मोशन है राव राजेन्द्र सिंह जी का, घनश्याम जी का, इस पर पहले आप बताएं कि कब इस पर बहस कराएंगे? उसके बाद आप कार्यवाही से गृह मंत्री जी ...(व्यवधान)...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): भ्रष्टाचार इतना ज्वलंत मुद्दा है, यह बचना चाहते हैं ...(व्यवधान)...

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ...(व्यवधान) भ्रष्टाचार पर चर्चा नहीं कराना चाहते हैं ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: विराजें, माननीय सदस्य, विराजें।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): ...(व्यवधान) हम तो कराना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष: आपको क्या? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ...(व्यवधान)... इस उम्र में?

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): इस उम्र में ही होता है।

श्री अध्यक्ष: तो फिर पहले वह कर लें, मैं बैठ जाऊं। (व्यवधान)... आप कुछ कहना चाहते है? पर्यटन मंत्रीजी कुछ कहने के लिए खड़े हुए हैं तो मैं बैठ जाता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इतने दिन, इतनी मेहनत के बाद कुछ नहीं हुआ है तो अब क्या होगा?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): दिल-बड़ा बेइमान है अध्यक्ष महोदय, कब बदल जाए, मालूम ही नहीं होता।

श्री अध्यक्ष: नहीं, मैं आपको अवसर देने को तैयार हूं।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): ...(व्यवधान) इतने वर्ष बाद भी मुझे अवसर देने के लिए तैयार हैं और आप सबको, किसी को अवसर नहीं देना चाहते हैं वो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): है कलाकारी आप में।

श्री अध्यक्ष: अभी कुछ देर पहले सदन में उत्तेजना और इस तरह की परिस्थिति पैदा हुई कि तत्कालीन सभापति को दो बार सदन को बीच में कुछ देर के लिए व्यवधान के कारण से स्थगित करना पड़ा। मेरे चैम्बर में भी माननीय उप नेता, माननीय कटारिया जी, राजेन्द्र सिंह जी वगैरह अभी मिले थे। इससे पहले विरोध पक्ष की नेता आदरणीय वसुंधरा जी माननीय विधायकों के साथ आई थीं, मैंने उनकी बात भी सुनी। अभी चूंकि जो कुछ हुआ प्रोसीडिंग मैंने मंगवाई है, मैं देख नहीं पाया हूं तो बिना उस प्रोसीडिंग को देखे क्या घटना घटी, इस मामले में तो मेरा अभी कहना उपयुक्त नहीं होगा। पर जहां तक मैंने परसों कहा था कि गृह विभाग के प्रतिवेदन नहीं आने की परिस्थिति पैदा जो हुई, उस पर पाइन्ट आफ आर्डर के माध्यम माननीय तिवाड़ी जी ने अपनी बात कही थी, तो मैंने कहा था, मैं व्यवस्था दूंगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं उस संबंध में मेरे पास परसों यह घटना घटने के बाद प्रतिवेदन एक पत्र के साथ आया और मैंने उस प्रतिवेदन के लिए कह दिया था कि अब इस प्रतिवेदन का कोई औचित्य नहीं होता। इसलिए मैं रेकार्ड पर उसको नहीं लूंगा, जब आना चाहिए था तब नहीं आया था। उसमें यह भी लिखा था कि इसमें

(श्री अध्यक्ष)

हम आवश्यक कार्यवाही करेंगे, उन कर्मचारियों के खिलाफ जिन्होंने गलती की है। चूंकि प्रकरण इतना ज्यादा उछल गया और आज इसके लिए व्यवधान हो गया, सदन को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैंने बहुत गम्भीरता से इसको लिया है और मैंने ही नहीं, जहां तक मैंने बाहर से सुना है, ऑफ दी रेकार्ड जो मैंने सुना है, कि गृह मंत्रीजी ने भी इसको गम्भीरता से लिया है। इस परिस्थिति में मैं व्यवस्था अपनी रिजर्व रखे हुए हूं और जब तक सरकार की ओर से जवाब नहीं आ जाता है, मेरे पास में आन रेकार्ड वह जवाब अभी तक नहीं आया है। कल हमने लिखकर भी सरकार को भेज दिया था कि इसके संबंध में वस्तुस्थिति से आप अवगत करावें, वह जवाब मेरे पास आ जाएगा तब मैं व्यवस्था देने की स्थिति में रहूंगा। एक आपको आश्वासन और विश्वास देता हूं, जैसा कि आप लोगों ने मांग की थी मेरे से, मैं कम्प्लीट पत्रावली मंगवाकर भी स्वयं देख लूंगा, आप इस पर विश्वास रखें और मेहरबानी करके सदन की कार्यवाही आगे चलने दें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, आपका निर्णय शिरोधार्य है, उसमें मुझे कुछ नहीं कहना है। मुझे तो सिर्फ इतना कहना है, आपने परसों यह व्यवस्था दी थी कि सोमवार को मैं इस पर व्यवस्था कर दूंगा और आपकी व्यवस्था से पहले ही माननीय मंत्रीजी ने सदन में कोई चीज को टेबल कर दिया। यह एक तरह से हमारे नियमों की अवहेलना है। जब अपना एक बिजनस चलता हो, शून्यकाल था, पर्चियां चल रही थीं, उस समय में कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं आ सकता जो कि अध्यक्ष की व्यवस्था के अनुरूप न हो, एक बात। इस प्रकार की अध्यक्षीय परम्पराएं रही हैं। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है। सरकार ने क्या पत्र लिखा है, मेरी जानकारी में नहीं है, मैंने उसको देखा नहीं है। लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि यह सारा मामला अब माननीय गृह मंत्रीजी ने स्वीकार कर लिया है, आप भी मान रहे हैं कि गृह मंत्रीजी इस पर बहुत गम्भीरता से कार्यवाही भी करना चाहते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि सारी पत्रावली को मंगवाकर आपको स्वयं को भी देखना चाहिए। इस फाइल के मूवमेंट को भी आपको देखना चाहिए। यह आज गृह मंत्रीजी का सवाल नहीं है, घनश्याम तिवाड़ी का सवाल नहीं है, स्कोर करने का सवाल नहीं है, पहले आप सुन लीजिए ...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): स्पीकर साहब कह चुके हैं न कि पत्रावली को मंगवाऊंगा, अब क्या कह रहे हो आप? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं आपको, सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): एक मिनट, Let me complete. अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता हूं, अब सरकार कार्यवाही किसी पर भी करे, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि 16 तारीख को गृह मंत्रालय में फाइल आ गई और 23 तारीख को वापस गई है, इसके लिए अगर कोई एक आदमी जिम्मेदार है तो वह गृह मंत्री जिम्मेदार है। गृह मंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: अब आप विराजें।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): फिर आपने मेरा स्टेटमेंट क्यों नहीं सुना? मैं खुद कह रहा हूं कि उसमें निश्चित तौर पर मेरे पर भी जिम्मेदारी आती है जिसको स्वीकार करके के खेद प्रकट करना चाहता हूं। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आपके कहने से थोड़े ही इस्तीफा दे देगा कोई। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): ...(व्यवधान) लेकिन जिन अधिकारियों के द्वारा यह ...(व्यवधान) उसमें भी मैं चाहता हूं, कार्यवाही हो। क्योंकि उसमें आप लोग शामिल हो। उस षड्यंत्र में आप लोग शामिल हो, वह सारा षड्यंत्र आपके द्वारा रचा गया है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, हां, इस्तीफा दीजिए। (व्यवधान) आप जिम्मेदार हो तो देओ इस्तीफा ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ...(व्यवधान) यह कैसे हो सकता है? (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य, जब आपके ऊपर जिम्मेदारी आ रही थी तब आपने क्या किया था? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, जब मंत्रीजी ने खुद स्वीकार कर लिया है ...(व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): यह भ्रष्टाचार पर बहस नहीं करना चाहते हैं इसलिए सदन को नहीं चलाना चाहते हैं। आप भ्रष्टाचार पर बहस चलने दो न...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ...(व्यवधान) उनके कार्यालय में गड़बड़ी हुई है तो इसके लिए दोषी कौन है? (व्यवधान)

(15.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री करणसिंह (छबड़ा): ×××

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ×××

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): ×××

श्री नगराज (धरियावद): ×××

(सदन कूप में नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आसन पांवों पर है। मैं अपनी बात कह रहा हूं, थोड़ा आप लोग अपने स्थान पर पधार जाएं। आप सुन लें मेरी बात, अपने-अपने आसन पर चले जाएं। मुझे कहने का मौका नहीं? हाउस आर्डर में तो आए, मैं कुछ व्यवस्था दूं, कुछ कहूं। हाउस आर्डर में तो आए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री अध्यक्ष: एक बार आप विराजिये कृपया। अपने-अपने स्थान पर विराज जाएं। कृपया विराजें। माननीय सदस्यगण, मैंने निवेदन किया, परसों भी किया, अभी भी किया कि मैं इस प्रकरण को गम्भीर मानता हूं। इस प्रकरण की गम्भीरता को मानते हुए मैंने आपसे विश्वास के साथ यह कहा भी कि मैं व्यवस्था दूंगा। माननीय गृह मंत्रीजी ने भी इसको गम्भीरता से लिया है, जैसा उन्होंने बताया। माननीय उप नेता, भारतीय जनता पार्टी ने जैसा कहा, तो मैंने आपसे यही तो कहा है, यही तो निवेदन किया है कि जब तक मैं पूरी पत्रावली नहीं देख लूं, सरकार का जवाब नहीं देख लूं, तब तक आसन की तरफ से व्यवस्था देने में पूरा सक्षम नहीं रहूंगा। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कम्पलीट पत्रावली मंगवा कर भी देखूंगा, सरकार का जवाब भी देखूंगा। उस परिस्थिति में आज व्यवस्था देने की स्थिति में नहीं हूं। इसलिए तब तक आप इंतजार करके कृपया सदन की कार्यवाही चलने दें। आज आखिरी दिन है, माननीय सदस्यगण बोलना चाहते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): जब उन्होंने स्वीकार कर लिया, डिमाण्ड पारित करा दी, दो सौ एमएलएज को धोखा दे दिया, राजस्थान की जनता को धोखा दे दिया? फिर क्या बचा है इस्तीफा देने के अलावा?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, आपने कहा जो हमें शिरोधार्य है, आपकी जो व्यवस्था है इसमें कोई एतराज नहीं है। मैं केवल इतना-सा कहना चाह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आप अभी व्यवस्था देंगे।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): ...(व्यवधान) हुआ है पिछली बार।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): सारा रेकार्ड देखने के बाद आप व्यवस्था देंगे। जो भी आप देंगे हम स्वीकार करेंगे, कोई एतराज नहीं, पर चूंकि जो सभापति बैठे थे उन्होंने यहां पेपर ले डाउन करा दिया उसमें उन्होंने कुछ अधिकारियों को फांसी पर चढ़ा दिया।

श्री राजेन्द्र सिंह गुढा (राज्य मंत्री, आयोजना (जन शक्ति)): अध्यक्ष महोदय, दूसरे गृह मंत्री बनवा दो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अब आपकी तरफ से फाइल देखे बिना, जब तक आप फाइल नहीं देखेंगे, वास्तव में यह डिले हुआ कहां, कौन इसमें दोषी है, कौन इसमें दोषी नहीं है। आपने सी.आई. को इसमें सस्पेंड कर दिया, डीवाईएसपी का क्या लेना-देना? वो फाइल...(व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): एक मिनट, इसमे...(व्यवधान) प्रिविलेज वाले मैटर पर भी तो ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ...(व्यवधान) लाकर आपको बांटने वाले थे क्या? फाइल अगर आपके यहां तैयार नहीं हुई तो आखिर उस सी.आई. का दोष क्या है, उस डिप्टी का दोष क्या है? आप चाहे जिसके ऊपर लाद कर अपने को मुक्त करना चाह रहे हो तो ये जो यहां ले किया है पेपर, उसको भी आप न करिये। आपकी व्यवस्था के बाद जो भी जिसको सज़ा मिलनी है, वो सज़ा मिलेगी। इसके बाद भी ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): एक्सपंज कराइये उसको। हमारी मांग है कि उसको एक्सपंज करो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ...(व्यवधान) उसका तो आपने गलत कर दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): गृह मंत्रीजी ने जो पेपर ले किया उसको एक्सपंज करो आप।

श्री अध्यक्ष: मैंने आपसे निवेदन किया, शायद आप सुन नहीं पाये या मैं समझा नहीं पाया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): मैं नहीं समझ पाया।

श्री अध्यक्ष: प्रोसीडिंग बिना देखे मैं क्या निर्णय कर दूं?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): स्थगित कर दो एक घंटा, फिर रख लो।

श्री अध्यक्ष: प्रोसीडिंग मैं देख लूं उसके बाद ही तो कोई निर्णय दे पाऊंगा आपको। मैंने प्रोसीडिंग मंगवाने के लिए मेरे कार्यालय को निर्देश दे दिये हैं कि प्रोसीडिंग मेरे पास भेज दें। उसके बाद आगे की कार्यवाही क्या होती है, वो तो विश्वास रखें आप लोग। आप अभी तत्काल निर्णय चाहते हो, वो मेरे लिये सम्भव नहीं है।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। आसन जो अभी तक बात फरमा रहा है, आसन उस व्यवस्था की बात फरमा रहा है जो सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने फरमाया। मैं आसन को निवेदन करना चाहता हूं कि नियम 157 के तहत मैंने प्रिविलेज मोशन मूव कर रखा है, आसन ने अभी तक उसके बारे में नहीं दिया। आप अगर विधायी कार्य अभी चालू करवा देंगे तो सैक्शन 260 में मेरे को राइट है कि क्वेश्चन आवर के बाद और विधायी कार्य के पहले इस बारे में आसन व्यवस्था फरमाए। प्रिविलेज मोशन और सांगानेर से आने वाले व्यक्ति का अपना कथन अलग-अलग चीज हैं। आसन दोनों पर व्यवस्था फरमाएगा क्या, यह बात भी स्पष्ट कर दें।

श्री अध्यक्ष: अभी तक सारे माननीय सदस्यों को सूचित कर चुका हूं मैं बार-बार कि पूरा प्रकरण मेरे पास विचाराधीन है। मेरी व्यवस्था अभी पैंडिंग है। व्यवस्था आने के बाद अगर आपको कोई एतराज हो तो मुझे आप फरमाएं, लेकिन अभी व्यवस्था पैंडिंग है उसके पहले तो कम से कम आपको कुछ नहीं फरमाना चाहिए।

श्री राजेन्द्र सिंह गुढा (राज्य मंत्री, आयोजना (जन शक्ति)): अध्यक्ष महोदय, आपके पास पैंडिंग है तब तक गृह मंत्री दूसरा बनवा दो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): पर्यटन राज्य मंत्रीजी ने सही कहा है।

श्री पेमाराम (धोद): मंत्रिमंडल के सदस्य सही कह रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): पर्यटन राज्य मंत्रीजी ने सही कहा है।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): अध्यक्ष महोदय, पार्लियामेंट में गवर्नमेंट की जाइण्ट रेस्पांसिबिलिटी का स्टेटमेंट है यह।

श्री पेमाराम (धोद): यह मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी है। सामूहिक जिम्मेदारी है।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): आप किसी चीज को दरकिनार नहीं कर सकते। एक सम्माननीय राज्य मंत्री के मुख से...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सत्ता पक्ष का यह प्रस्ताव कि जब तक कोई दूसरा गृह मंत्री बना दो, हमको स्वीकार है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): स्वीकार है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): मंजूर है। (व्यवधान) मांग पास है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): और, अध्यक्ष महोदय, आप व्यवस्था से पहले सदन चलाएंगे, हमने कहा था कि आसन की व्यवस्था नहीं है, आप नहीं रख रहे हैं, आसन की व्यवस्था के खिलाफ पत्र लिखा है, उस पत्र को जब तक आप एक्सपंज नहीं करेंगे तब तक आपकी व्यवस्था का कोई महत्व नहीं रहेगा। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, हम आपको सुनेंगे, सदन की कार्यवाही चलेगी, आप उस पत्र को एक्सपंज कर दीजिये। वो कर दीजिये, उसके बाद कार्यवाही चलाइये।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): आप अधिकारियों को बचाना चाहते हैं, उसमें तो पांच को हटाया है इन्होंने। आप बचाना चाहते हो अधिकारियों को?

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): कार्यवाही भी चाहते हैं और कार्यवाही भी चाहते हैं अपनी मर्जी की ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): पांच अधिकारी हटा दिये, उनको बचाना चाहते हो क्या आप?

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये, माननीय सदस्य।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): फोर्सफुली चेयर को आप डाइरेक्शन नहीं दे सकते। (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): इसका मतलब यही कि आप अधिकारियों को बचाना चाहते हैं। (व्यवधान) आपकी ...(व्यवधान) जरूरत नहीं है।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी):...(व्यवधान) कल तो अध्यक्ष महोदय, ये जोर-जोर से कह रहे थे कि मैंने यहां इसी सदन में डाइरेक्टर को बर्खास्त किया था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये। केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य, आप क्या परफारमेंस दिखाना चाहते हैं?

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): कल ये खुद ही कह रहे थे ...(व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ...(व्यवधान) बार-बार आप ये बात कर रहे हो, आप पुलिस अधिकारियों को बचाना चाहते हो? (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): कल ये भी कह रहे थे कि डाइरेक्टर को मैंने यहां ससपेंड किया है।

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य, मुझे नाम लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। माननीय रघु शर्मा, आप विराज जाएं। रघु शर्मा, आप विराज जाएं। आप विराजें। आसन पांवों पर है, आप विराज जाएं।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री अध्यक्ष: आसन पांवों पर है, आप विराज जाएं।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री अध्यक्ष: पहले आप बैठेंगे तो कहूंगा इनसे। आप पहले बैठ जाइये। आप बैठ जाइये। अभी इधर से कह दिया किसी माननीय सदस्य ने कि गृह मंत्री बदल दो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री अध्यक्ष: इधर से सांगानेर से आने वाले माननीय भारतीय जनता पार्टी के उप नेता ने कह दिया, प्रस्ताव हमको स्वीकार है। मजाक मत बनाइये। न तो यह बदलने का कह सकते और न आप स्वीकार करने वाले हैं। न आप स्वीकार करने वाले हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: यदि मैंने कोई प्रस्ताव रखा होता उस पर हां-ना होती तब तो कोई स्वीकार करने की बात पैदा होती। आप तो चाहते हो, सबको बदल दो। ऐसे यहां सदन में कोई अदला-बदली नहीं होती।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री अध्यक्ष: मेरी प्रार्थना है, सदन को चलने दें, आगे माननीय सदस्यों को बोलना है, आज आखिरी दिन है। मैंने आपसे निवेदन किया कि जो प्रकरण आपने रखा, चाहे वो प्रिविलेज मोशन वाला रखा हो, चाहे काल अटेंशन के माध्यम से आपने दिया हो, चाहे पिछली बार मेरे से पहले जो कुछ घटना घट गयी उसके संबंध में हो, मुझे सारी बात देखने के बाद व्यवस्था देने के पश्चात् कोई आपका रह गया हो तब तो निश्चित रूप से आप बात कहें। मुझे व्यवस्था देने से पहले देख तो लेने दीजिये सारी। आपने पत्र का कहा, आपने फाइल का कहा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री अध्यक्ष: सदन का समय बरबाद करने से लाभ नहीं है। माननीय सदस्यों को बोलना है। आज आखिरी दिन है और बहुत सदस्यों की लम्बी सूची है इसलिए कृपया मेरी प्रार्थना है कि सदन को चलने दें। आज का बिजनेस है, इतना लम्बा बिजनेस है, सभी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं भ्रष्टाचार जैसे इश्यू पर जिस पर इतने सीरियस होकर परसों बड़ी अच्छी डिबेट हुई थी। विरोधी पक्ष की माननीय नेता भी बोलेंगी, सदन के माननीय नेता भी बोलेंगे। इसलिए उसकी गम्भीरता को समझते हुए आप मेरी प्रार्थना पर गौर कीजिए, अब आप सदन की कार्यवाही चलने दें। मैं आगे निवेदन कर रहा हूं पर्ची पर श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा। (व्यवधान) हो गया, बस बहुत हो गया, कोई अंकित नहीं होगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): ×××

श्री अध्यक्ष: बैठिए, बैठिए, माननीय सदस्य, विराजें। श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा, पर्ची पर। (व्यवधान)

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम पुकारा गया था, कैसे चला गया? कैसे चला गया? हम बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष: ...(व्यवधान) प्रोमिला कुण्डारा का कहां गया?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): किसको समय दिया है, यह आप तय करोगे। नाम पुकारा है वह बोलेंगे, बोलिए ।

श्री अध्यक्ष: केवल प्रोमिला कुण्डारा को परमिशन दी है मैंने। प्रोमिला कुण्डारा को मैंने परमिशन दी है, कृपया आप विराजें।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): मेरा नंबर नहीं गया, साहब।

श्री अध्यक्ष: कृपया आप विराजें। मैंने सचिवालय के लोगों से पूछा,

(श्री अध्यक्ष)
जानकारी ली है, उसमें प्रोमिला कुण्डारा का नाम है बोलने के लिये, कृपया उन्हें बोलने दीजिए।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): मेरा अब्दुल सगीर का नाम बुलाया है और हाउस आर्डर में नहीं था, श्रीमान जी, और जब हाउस आर्डर में आया है तो मैं बोलूंगा। मेरा पर्ची पर नाम है।

श्री अध्यक्ष: अब आप इसको चलने दीजिए।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): मैं चला रहा हूं, साहब।

श्री अध्यक्ष: आपके बाद मदन प्रजापत बोल चुके हैं। आपका नाम चला गया था।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): नहीं बोले, नहीं बोले, साहब।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): मेरा पर्ची में नाम है और हाउस आर्डर में नहीं था।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा। और किसी माननीय सदस्य का अंकित नहीं होगा।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

चाकसू में तालाबी जमीन का अनियमित आबंटन

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं तो समझ रही थी कि मुझे आज बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा। पहली बार पर्ची डाली है और पहली बार पर्ची निकली है।

अध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से मैं एक गम्भीर विषय सदन में रखना चाह रही हूं और उससे पहले एक पंक्ति मैं सदन में बोलना चाह रही हूं we need everything permanent in temporary life. हम सब इस टैम्परेरी लाइफ में वह सब चाहते हैं जो कि हमारे लिये परमानेंट हो। सबको पता है कि आज हम हैं, कल क्या होगा, किसी को नहीं मालूम, लेकिन फिर भी परिवार की सुख-सुविधा मुहैया कराने के लिये वह किसी भी हद तक जा सकता है। अब उनको यह नहीं मालूम कि परिवार की सुख-सुविधा जो हम गलत कार्य करके इकट्ठा करते हैं, वह एक तरह से पाप है । इसी संदर्भ में मैं आपको यह कहना चाहूंगी कि चाकसू विधान सभा में एक प्रभावी नेता ने लगभग 18 बीघा जमीन टोंक रोड शिव डूंगरी के बांध में दिनांक 5.5.2000 में ग्राम पंचायत....

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री अध्यक्ष: नहीं, माननीय सदस्या पहली बार बोल रही हैं।

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): चोर की दाढ़ी में तिनका।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): अध्यक्ष महोदय, चोर की दाढ़ी में तिनका, मैंने किसी का कोई नाम नहीं लिया है।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): ...(व्यवधान)... अध्यक्ष महोदय, मैंने किसी का नाम नहीं लिया है और न ही मैं चाहती हूं कि किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचे।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): और जो मैं यह मुद्दा उठा रही हूं, वह उन गरीब परिवारों पर है जिनसे जमीन छीन ली गई है।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): ग्राम पाटावाला ...(व्यवधान) के उप खण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में ...(व्यवधान) स्थानीय भूमिहीन परिवारों के नाम तालाबी भूमि सिवायचक को ...(व्यवधान) अलाटमेंट कराने का ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): ...(व्यवधान) सलाहकार समिति के अध्यक्ष सदस्य बनाये गये थे। (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): ...(व्यवधान) मिलीभगत से मिलने वालो के नाम ...(व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): अध्यक्ष जी, बहुत गम्भीर विषय है ...(व्यवधान) मैंने किसी का नाम नहीं लिया है।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): ×××

श्री अध्यक्ष: ...(व्यवधान) यह इनके विधान सभा क्षेत्र का मामला है ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री अध्यक्ष: ...(व्यवधान) नाम से नहीं है।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): ×××

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): माननीय सदस्य, मैंने आपका नाम नहीं लिया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ...(व्यवधान) कोई अनुचित शब्द हो तो आप एक्सपंज कर दें।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): यह तालाबी भूमि का मामला है इसलिए मुझे बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि ....

श्री अध्यक्ष: मैंने कह दिया, मैंने कह दिया, अंकित नहीं हो रहा। अंकित नहीं हो रहा, अंकित नहीं हो रहा कुछ भी। (व्यवधान)

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): अगर आपने तालाबी जमीन अलाट करवायी है तो आप सरकार को वापस क्यों नहीं दे देते?

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): तालाबी जमीन का रेकार्ड में... (व्यवधान) नहीं खुलता, यह न्यायालय के आदेश हैं ।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री अध्यक्ष: ...(व्यवधान) मैंने अंकित नहीं होने दिया । अंकित नहीं होने देने के अलावा हथियार आप बता दो, आप पार्लियामेंट में भी रही हो। (व्यवधान) कह दिया मैंने, अंकित नहीं होने देने का मतलब यह है कि आप कुछ भी कहो, उसका कोई मतलब नहीं है। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, चप्पल-जूते चल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही आधे घण्टे के लिये स्थगित करता हूं।

(तदनन्तर सदन की बैठक 15.19 बजे आधे घण्टे के लिये स्थगित हुई।)

(15.49 बजे)

पुनः समवेत् होने पर

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति: सदन की बैठक आधे घण्टे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 15.50 बजे आधे घण्टे के लिए स्थगित हुई।)

(16.20 बजे)

पुनः समवेत् होने पर

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति महोदय, यह महिलाओं का अपमान है। इस अपमान को हम सहन नहीं करेंगे, सभापति महोदय। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सभापति महोदय, यह राजस्थान के इतिहास में शर्मनाक घटना हुई है आज। (व्यवधान) आज जैसी शर्मनाक घटना, शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, इनके वरिष्ठ नेता बैठे हुए हैं। जिस तरह की घटना यहां पर हुई है...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 7 बजे तक बढ़ाया जाए। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): एक दलित महिला के ऊपर टिप्पणी की है।

एक माननीय सदस्या: यह सदन नहीं चलेगा। सभापतिजी, इनसे माफी मंगवाएं। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): मैंने किसी पर टिप्पणी नहीं की है। मैंने कहा, यह सदन है, यह रैम्प नहीं है। मैंने सदन के बारे में बात की। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापतिजी, पहले हमारे माननीय सदस्य माफी मांगें। (व्यवधान) महिलाओं का अपमान सहन नहीं किया जाएगा। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आप लोगों का क्या आचरण है? (व्यवधान)

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 7 बजे तक बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: क्या सदन की सहमति है कि सदन का समय 7 बजे तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय सायं 7 बजे तक बढ़ाया गया।

सदन की कार्यवाही एक घण्टे के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर 16.21 बजे सदन की बैठक एक घण्टे के लिये स्थगित हुई।)

(17.21 बजे)

पुनः समवेत् होने पर

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री सभापति: महिला तो महिला है चाहे वह दलित है, चाहे सवर्ण है, चाहे ओ.बी.सी. है, महिला तो महिला है। (व्यवधान) कोई अंकित नहीं हो।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): ×××

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री सभापति: वह देख लेंगे। बहुत ऐतिहासिक काम हुआ है। आप कह रहे हो कि चप्पल खाएं, यह ऐसे आप इस सदन में, यह सदन, डाक्टर साहब, यह राजस्थान का सदन बहुत पवित्र सदन है आज तक के इतिहास में। आप उसकी गरिमा बनाये रखो, गरिमा को मत गिराओ आप। आप गरिमा को मत गिराओ बोल-बोलकर। यह आप अपने माननीय सदस्यों को कहो कि ऐसी भाषा नहीं बोलें। उप नेता महोदय, मैं आपसे, कम से कम यह शब्द अब मत बोलो आप। यह शब्द ऐसे मत बोलो आप। यह कम से कम अब तो मत बोलो आप। अब तो मत बोलो आप ये चीजें। पर यह बोलना अच्छा है क्या? वापस कह रहे हो, ठीक है? मैं क्या कह रहा हूं आपको? वह तो देख लेंगे। वह तो अंकित हुआ ही नहीं है न। अंकित नहीं हुआ है। जिसने भी कोई अपमानजनक, किसी ने भी कहा हो, वह गलत है। किसी ने भी कहा हो, वह गलत है। किसी ने भी कहा हो। चाहे महिलाओं के खिलाफ कहा हो, चाहे अपने माननीय सदस्य, पुरुष

(श्री सभापति)

विधायक, उनके खिलाफ हो, दोनों के खिलाफ कहा गया हो, वह गलत है। गलत है न वह चीज। इसको अपने कौन एप्रीशिएट कर रहा है? कोई एप्रीशिएट कर रहा है? चाहे महिलाओं के खिलाफ टिप्पणी हो, चाहे पुरुषों के खिलाफ टिप्पणी हो, दोनों अशोभनीय हैं। दोनों अशोभनीय हैं। दोनों अशोभनीय हैं। दोनों निंदनीय हैं। जितनी निंदा की जाए उतनी कम है।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 17.27 बजे आधा घण्टे के लिए स्थगित हुई।)

(17.57 बजे)

पुनः समवेत् होने पर

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में प्रवेश एवं नारेबाजी)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): यह जो चप्पल फेंकने का काम करते हैं न, वह भी राजस्थान के इतिहास में काला अध्याय है। काला अध्याय है। (व्यवधान) बकवास करते हैं। काला अध्याय है यह। किसी पर कीचड़ उछालने की राजनीति की कोई इजाजत नहीं मिलेगी यहां। यह महिला के नाम पर किसी पर कीचड़ उछालने की दूसरी महिला ..(व्यवधान) वह जो कीचड़ उछालने की बात है, वह भी दूसरी महिला है। (व्यवधान) आप महिलाओं की ठेकेदारी नहीं है। शर्म करो कुछ। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री सभापति: प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी विधेयक, 2011 को विचारार्थ लिया जाए।

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी विधेयक, 2011

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी विधेयक, 2011 को विचारार्थ लिया जाए।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): आप पहले हमारी बात सुनिये ...(व्यवधान) गरिमामय सदन में चुनकर आने वाली महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: श्री घनश्याम तिवाड़ी, श्री राजेन्द्रजी राठौड़, डा. दिगम्बर सिंहजी, श्री कालीचरणजी सराफ, श्री पेमारामजी, श्री अमरारामजी, ...(व्यवधान) (सदस्य बोलने के लिये खड़े नहीं हुए।) (व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): सभापति महोदय, ऐसा महत्वपूर्ण बिल आया है, मैं बोल रहा हूं न। सभापति महोदय, सदन को आर्डर में लाओ, इतना महत्वपूर्ण बिल आ रहा है। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप बोलना चाह रहे हैं? माननीय सदस्य पेमारामजी, आप बोलना चाह रहे हैं?

श्री पेमाराम (धोद): हां-हां, सदन को आर्डर में लाओ। सदन को आर्डर में लाओ। सभापति महोदय, सदन को आर्डर में लाओ। इतना महत्वपूर्ण बिल आ रहा है, जिस पर चर्चा करना चाह रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि सदन को आर्डर में लाओ। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप तो बोलो।

श्री पेमाराम (धोद): क्या बोलें? आप सदन को आर्डर में तो लाओ।

श्री सभापति: आप अपने विचार रखिये। (व्यवधान) आपका जो सुझाव है, वह सदन में रखिये। (व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): मैं अपने विचार रखना चाहता हूं। राजस्थान में महत्वपूर्ण बिल आ रहा है, जिस पर विचार रखना चाहता हूं, मगर हाउस आर्डर में तो लाओ।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री सभापति: माननीय सदस्य बोलें, केवल वही अंकित होगा, बाकी कोई अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी एवं शोरगुल)

(18.00 बजे)

श्री पेमाराम (धोद): सदन को आर्डर में लेना आपका काम है। जब तक सदन आर्डर में नहीं आता...(व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ×××

श्री सभापति: श्रीमती किरण माहेश्वरी, श्री केसाराम चौधरी, श्री ओम बिरला, श्री पवन दुग्गल, श्री वासुदेव देवनानी, डा. फूलचन्द भिण्डा, श्रीमती अनिता भदेल, श्री हनुमान बेनीवाल, श्रीमती अनीता सिंह, श्री बंशीधर खण्डेला, श्री गुलाब चन्द कटारिया, श्री रमेश चन्द मीणा, श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ।

प्रश्न यह है कि राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी विधेयक, 2011 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार

खण्ड 2 से 6 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 6 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 6 स्वीकार किये गये।

खण्ड 7 श्रीमती अनिता भदेल।

प्रश्न यह है कि खण्ड 7 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 7 स्वीकार किया गया।

खण्ड 8 श्रीमती अनिता भदेल।

प्रश्न यह है कि खण्ड 8 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 8 स्वीकार किया गया।

खण्ड 9 से 11 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 9 से 11 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 9 से 11 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि- कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

(श्री सभापति)

विधेयक का पारण

श्री शांती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी विधेयक, 2011 को पारित किया जाए।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी विधेयक, 2011 को पारित किया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी विधेयक, 2011 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी विधेयक, 2011 पारित किया गया।

(सदन कूप में भारतीय जनता पार्टी माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी एवं शोरगुल)

विधेयक पर विचार

राजस्थान किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2011

श्री शांती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2011 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2011 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र राठौड़, डा. दिगम्बर सिंह, श्री रोहिताश कुमार, श्री राधेश्याम गंगानगर, श्री ओम बिरला, श्री कालीचरण सराफ, श्रीमती किरण माहेश्वरी, श्री घनश्याम तिवाड़ी, श्री पेमाराम...

श्री पेमाराम (धोद): मैं बोलना चाहता हूं।

श्री सभापति: बोलो।

श्री पेमाराम (धोद): आप सदन को आर्डर में लाओ। मैं मेरे सुझाव रखना चाहता हूं।

श्री सभापति: आप बोलें, मैं सुन रहा हूं। आपका सब कुछ अंकित होगा।

श्री पेमाराम (धोद): क्या बोलें? सभापति महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए। (व्यवधान) सदन को आर्डर में लाओ।

श्री सभापति: मैं तो आर्डर के लिए सबको प्रार्थना कर रहा हूं, आप अपनी सीटों पर पधारो।

श्री पेमाराम (धोद): हाउस आर्डर में नहीं आ रहा है। (व्यवधान)

श्री सभापति: मैंने तो तब भी यही निवेदन किया और अब भी यही निवेदन है कि आप अपने आसन पर पधारो, अपनी कुर्सियों पर पधारो और सदन को अच्छी तरह से चलने दो आप। मैं तो आपसे बार-बार यही निवेदन कर रहा हूं कि आप पधारो। श्री अमरा रामजी। श्री वासुदेवजी देवनानी, पवनजी दुग्गल, श्रीमती अनिता भदेल।

प्रश्न यह है कि राजस्थान किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2011 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार

खण्ड 2 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 स्वीकार किया गया।

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि- कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किए जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

विधेयक का पारण

श्री शांती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2011 को पारित किया जाए।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2011 को पारित किया जाए।

(सदन कूप में भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री सभापति: कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें तो उन्हें अनुमति होगी।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): मुझे बोलना है। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप बोलें। (व्यवधान) आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आप इनको सीटों पर लाइये। आप कहिए कि आप आसन पर जाएं।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): माइक ही चालू नहीं है। हाउस को आर्डर में लाओ तब तो मैं सुन्दर विचार रखूं और अच्छी सलाह दूं। हाउस को आर्डर में लाओ। (व्यवधान)

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2011 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2011 पारित किया गया।

(सदन कूप में भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी एवं शोरगुल)

विधेयक पर विचार

राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011

श्री शांती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति: श्री गुलाब चन्द कटारिया, श्री घनश्याम तिवाड़ी, श्री राजेन्द्र राठौड़, डा. दिगम्बर सिंह, श्री कालीचरण सराफ, श्रीमती किरण माहेश्वरी, श्री अमराराम, श्री पेमाराम, श्री ओम बिरला, श्री वासुदेव देवनानी, श्री पवन दुग्गल, श्रीमती अनिता भदेल।

श्री पेमाराम (धोद): सभापति महोदय, हाउस को आर्डर में लाओ। मैं बोलना चाह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार

खण्ड 2 से 10- कोई संशोधन नहीं।

(श्री सभापति)

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 10 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 10 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि- कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

विधेयक का पारण

श्री शांती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 को पारित किया जाए।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 को पारित किया जाए।

श्री सभापति: जो भी माननीय सदस्य बोलना चाहें उन्हें, अनुमति होगी।

श्री पेमाराम (धोद): मैं बोल रहा हूं। सभापति महोदय, सदन को आर्डर में लाओ, साहब।

श्री सभापति: मैं पांच बार निवेदन कर चुका हूं। (व्यवधान) मेरी ओर से मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी है। (व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): हम अपने विचार रखना चाहते हैं। जब तक सदन आर्डर में नहीं आएगा हम क्या बोलेंगे? (व्यवधान) आप तो हां-ना करवाओगे। सभापति महोदय, लोकतंत्र का गला मत घोंटो। (व्यवधान)

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 को पारित किया गया।

(सदन कूप में भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

(श्री सभापति)

विधेयक पर विचार

राजस्थान नगरीय पथ विक्रेता (जीविका का संरक्षण और पथ विक्रय का विनियमन) विधेयक, 2011

श्री शांती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान नगरीय पथ विक्रेता (जीविका का संरक्षण और पथ विक्रय का विनियमन) विधेयक, 2011 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरीय पथ विक्रेता (जीविका का संरक्षण और पथ विक्रय का विनियमन) विधेयक, 2011 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्रजी राठौड़। डा. दिगम्बर सिंहजी। श्री राजकुमारजी रिणवा। श्री रामहेत सिंहजी। श्री रोहिताश कुमारजी। श्री राधेश्यामजी गंगानगर। श्री ओम बिरलाजी। श्री कालीचरणजी सराफ। श्रीमती किरण माहेश्वरी। श्री घनश्यामजी तिवाड़ी। श्री पेमारामजी। श्री अमरामजी। श्री वासुदेव देवनानीजी। श्री पवनजी दुग्गल। श्रीमती अनिताजी भदेल। श्री केसारामजी चौधरी।

(सदन कूप में भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री पेमाराम (धोद): सभापति महोदय, सदन को आर्डर में लाओ। सभापति महोदय, मैं मेरे बहुमूल्य विचार रखना चाहता हूं, सदन को आर्डर में लाओ। (व्यवधान) सभापति महोदय, प्रश्न यह है कि जब तक सदन आर्डर में नहीं आता ...(व्यवधान)

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरीय पथ विक्रेता (जीविका का संरक्षण और पथ विक्रय का विनियमन) विधेयक, 2011 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड-2 से 24 – कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से 24 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 से 24 स्वीकार किये गये।

(श्री सभापति)

खण्ड-1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि- कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

(सदन कूप में भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी एवं भाषण)

श्री शांती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान नगरीय पथ विक्रेता (जीविका का संरक्षण और पथ विक्रय का विनियमन) विधेयक, 2011 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरीय पथ विक्रेता (जीविका का संरक्षण और पथ विक्रय का विनियमन) विधेयक, 2011 को पारित किया जाए।

श्री सभापति: जो भी माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे उन्हें अनुमति होगी।

श्री पेमाराम (धोद): सदन जब तक आर्डर में, सभापति महोदय, मैं बहुमूल्य सुझाव देना चाहता हूं, मैं खूब तैयारी करके आया हूं।

श्री सभापति: सदन सुनना चाहता ...(व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): लेकिन, सभापति महोदय, जब तक सदन आर्डर में नहीं आएगा, मैं समझता हूं कि इस तरह से बिल पास करवाना लोकतंत्र के लिए, राजस्थान की जनता के लिए और यह लोकतंत्र का गला घोंटना, मैं समझता हूं, अच्छी बात नहीं है। सभापति महोदय, सदन को आर्डर में लाओ।

(सदन कूप में भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरीय पथ विक्रेता (जीविका का संरक्षण और पथ विक्रय का विनियमन) विधेयक, 2011 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान नगरीय पथ विक्रेता (जीविका का संरक्षण और पथ विक्रय का विनियमन) विधेयक, 2011 को पारित किया गया।

(श्री सभापति)

शासकीय संकल्प

नैदानिक स्थापना (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 का राजस्थान राज्य में अंगीकरण

शासकीय संकल्प, श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, संकल्प विचार एवं पारण हेतु प्रस्तुत करेंगे।

(सदन कूप में भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी एवं भाषण)

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित संकल्प विचार एवं पारण हेतु प्रस्तुत करता हूं।

यतः राजस्थान विधान सभा ...

श्री सभापति: जो माननीय सदस्य बोलना चाहें, उन्हें अनुमति होगी।

श्री पेमाराम (धोद): सभापति महोदय, राजस्थान में जो डाक्टर्स की फीस है, चाहे ग्रामीण इलाके का हो चाहे शहरी इलाके का हो, सभापति महोदय, बोल रहा हूं, आपकी आज्ञा से बोल रहा हूं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप बोलना चाह रहे हैं?

श्री पेमाराम (धोद): क्या बोलें? सभापति महोदय, सदन को आर्डर में लेओ।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यतः राजस्थान विधान सभा यह समझती है कि देश में नैदानिक स्थापनों के रजिस्ट्रीकरण और विनियमन के लिए तथा इससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिए सम्पूर्ण भारत में समान विधि होना वांछनीय है।

और यतः, संविधान के अनुच्छेद 249 और 250 में यथा उपबंधित के सिवाय उपरोक्त विषयों के सम्बन्ध में संसद को राज्यों के लिए विधियां बनाने की शक्ति नहीं है;

और यतः, संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अनुसरण में, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम राज्यों के विधान मण्डलों के समस्त सदनों द्वारा इस प्रस्ताव के संकल्प पारित किये गये हैं कि उन राज्यों में उपरोक्त विषय संसद द्वारा विधि द्वारा विनियमित किये जाने चाहिए:

(सदन के कूप में भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान)

और यतः, नैदानिक स्थापना (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 23) का विस्तार प्रथमतः सम्पूर्ण अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम राज्यों तथा संघा राज्य क्षेत्रों में है:

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): और यतः, उक्त अधिनियम ऐसे अन्य राज्यों पर लागू होगा जो संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अनुसरण में इस निमित्त पारित संकल्प द्वारा उक्त अधिनियम को अंगीकृत करते हैं:

और यतः, राजस्थान विधान सभा को यह वांछनीय प्रतीत होता है कि नैदानिक स्थापना (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 23) राजस्थान राज्य में भी अंगीकृत किया जाना चाहिए।

(सदन कूप में भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

अतः अब संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अनुसरण में राजस्थान विधान सभा इसके द्वारा यह संकल्प पारित करती है कि नैदानिक स्थापना (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 23) राजस्थान राज्य में भी अंगीकृत किया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत संकल्प पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

संकल्प पारित किया गया।

सदस्य का निलम्बन

भवानी सिंह राजावत, श्री, सदस्य का एक वर्ष के लिए निलम्बन

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, आज दिनांक 29 अगस्त, 2011 को सदन की कुछ समय के लिए स्थगित कार्यवाही को पुनः प्रारम्भ करने हेतु आसन पर सभापति तालिका में मनोनीत सभापति श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत आसन पर पीठासीन हुए, तब प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य वैल में नारे लगाते हुए इकट्ठे हुए और उन्हें जबरन अपना निर्णय थोपने हेतु बाध्य करने का प्रयास किया तथा सभापति को धमकाते हुए कहा कि तुमने गृह मंत्री के वक्तव्य को मेज पर कैसे रख दिया, हम तुम्हें इस चेयर पर नहीं

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

बैठने देंगे। जिसके फलस्वरूप उन्हें सदन की कार्यवाही आधे घण्टे के लिए स्थगित करनी पड़ी। इसके पश्चात भी सदन के कुछ समय के लिए स्थगित कार्यवाही को पुनः प्रारम्भ करने से सभापति महोदय को चेयर पर जाने से रोकने हेतु प्रतिपक्ष के उप नेता के नेतृत्व में प्रतिपक्ष के सदस्यों ने मानव श्रृंखला के रूप में खड़े होकर उन्हें आसन पर आरूढ़ होने से रोकने का प्रयास किया। लेकिन मार्शल द्वारा अध्यक्ष महोदय के आने की सूचना देने तथा अध्यक्ष महोदय के आने पर प्रतिपक्ष के उप नेता की अगुवाई में प्रतिपक्ष के सदस्य अपने-अपने आसन पर वापस चले गये।

सदन के आर्डर में आने पर अध्यक्ष महोदय ने श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा को पर्ची के माध्यम से बोलने का अवसर दिया। श्रीमती कुण्डारा ग्राम पंचायत काठावाला, पंचायत समिति चाकसू में जमीन सम्बन्धी अपने विचार रख रही थीं, उसी दौरान सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य श्री रघु शर्मा व श्रीमती कुण्डारा के बीच कहासुनी होने पर प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य पुनः वैल में आ गये।

(सदन कूप में भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

इतना ही नहीं, प्रतिपक्ष की ओर से सत्तापक्ष की ओर एक चप्पल फेंकी गई। प्रतिपक्ष के सदस्य का उक्त कृत्य अमर्यादित, अशिष्ट तथा संसदीय प्रक्रियाओं का खुला उल्लंघन व निंदनीय तथा राजस्थान विधान सभा के इतिहास में शायद यह पहली दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। (व्यवधान).

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): ×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): प्रतिपक्ष के श्री भवानी सिंह राजावत, लाडपुरा से आने वाले माननीय सदस्य का उक्त कृत्य निंदनीय है व उनका यह आचरण सदन की गरिमा को गिराने वाला है।

अतः मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य श्री भवानी सिंह राजावत को उनके इस कृत्य के फलस्वरूप एक वर्ष की अवधि के लिए सदन की सदस्यता से निलम्बित किया जाए। (व्यवधान)

(सदन कूप में भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सरकारी मुख्य सचेतक ने श्री भवानी सिंह राजावत, सदस्य को एक वर्ष की अवधि के लिए सदन की सदस्यता से निलम्बित किये जाने का जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया, उसे स्वीकार किया जाए? (व्यवधान)

(श्री सभापति)

(स्वीकृत)

श्री भवानी सिंह राजावत, सदस्य को एक वर्ष की अवधि के लिए सदन की सदस्यता से निलम्बित किये जाने का प्रस्ताव सदन द्वारा स्वीकृत किया गया।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): ×××

(सदन कूप में भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री सभापति: कथित रूप से बढ़ रहे भ्रष्टाचार की रोकथाम के उपायों पर अग्रेत्तर विचार। (व्यवधान)

कोई माननीय सदस्य इस पर अपने विचार व्यक्त करना चाहें? (व्यवधान)

कथित रूप से बढ़ रहे भ्रष्टाचार-इस पर कोई माननीय सदस्य इस पर अपने विचार व्यक्त करना चाहें- श्री प्रभुलालजी सैनी, डाक्टर दिगम्बर सिंहजी, डाक्टर जसवन्त सिंहजी यादव, श्री गजेन्द्र सिंहजी खींवसर, श्री राजेन्द्र सिंहजी, श्रीमती किरण माहेश्वरी, श्री राधेश्यामजी गंगानगर, श्री विजय बंसल, श्री वासुदेव देवनानी, श्रीमती कमला कस्वांजी, श्री अभिषेक मटोरिया, श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, श्री रामहेत यादव, श्री हरिसिंहजी रावत, श्री बनवारीजी सिंघल, श्री विट्ठल अवस्थीजी, श्री अब्दुल सगीर खानजी, श्री बंशीधर खण्डेला, श्री ज्ञानदेवजी आहूजा, श्री कैलाश चन्दजी भंसाली, श्री सुखरामजी कोली, श्री छोटू सिंहजी भाटी, श्री हेमसिंहजी भड़ाना, श्रीमती कमसा मेघवाल, श्री केसाराम चौधरी, श्री फूलचन्दजी भिण्डा, श्री ग्यारसारामजी कोली, श्री रमेशचन्द्रजी मीणा, श्री घनश्यामजी तिवाड़ी, श्री अजय सिंहजी ...

राष्ट्र गान

जन गण मन अधिनायक जय हे,
भारत भाग्य विधाता।
पंजाब सिन्धु गुजरात मराठा,
द्राविड़ उत्कल बंगा।
विन्ध्य हिमाचल यमुना गंगा,
उच्छल जलधि तरंगा।
तव शुभ नामे जागे,

तव शुभ आशिष मांगे।

गाहे तव जय गाथा।

जन गण मंगलदायक जय हे,

भारत भाग्य विधाता।

जय हे जय हे जय हे,

जय जय जय जय हे।

सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18.22 बजे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई।)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

माण्डकलां (टोंक) के जर्जर सरोवर की मरम्मत

64. श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा) : क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्रामीण क्षेत्र में स्थित पुराने तथा रियासतकालीन तालाब एवं एनिकटों के जर्जर हो जाने एवं इनमें बरसाती पानी की आवक के रास्ते अवरुद्ध हो जाने व भूमिगत जलसतह में आई गिरावट से पानी खारा तथा उच्च टी.डी.एस. वाला हो जाने से सरकार उक्त के पुनर्निर्माण तथा पानी आवक के रास्ते की बहाली के लिए महानरेगा तथा अन्य योजनान्तर्गत कार्य करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार से तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत चल रही विभिन्न योजनाओं से पंचायतीराज विभाग के जरिये उक्त तालाबों तथा एनिकटों की तरफ बरसाती पानी का बहाव बढाये जाने के लिए अतिरिक्त एनिकट का निर्माण तथा पुराने एनीकटों के पुनर्निर्माण कार्य एवं पानी बहाव के रास्ते से अवरोध हटाये जाने की कार्यवाही करने का सरकार विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार से कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या माण्डव ऋषि की तपोभूमि माण्डकलां (टोंक) स्थित पवित्र सरोवर के जर्जर हो जाने एवं इसमें बरसाती पानी के आवक के रास्ते अवरुद्ध हो जाने से सरकार अतिक्रमण हटाकर पानी आवक के रास्ते बहाल करने एवं बरसाती पानी की आवक बढ़ाई जाने के लिए समीप से निकल रहे नाले पर एनिकट निर्माण का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की अनुसूची 1 के पैरा 1 (v) के अनुसार परम्परागत जल स्त्रोतों के जीर्णोद्वार के कार्य महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कराये जा सकते हैं। इन कार्यों को कराये जाने हेतु कार्य का योजना की वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है। राज्य सरकार द्वारा इस संबन्ध में सभी जिलों को इस प्रकार के कार्य वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित किये जाने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं।

(ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री)

(2) महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत पुराने एनिकटों की मरम्मत/जीर्णोद्वार का कार्य कराया जा सकता है। इसी प्रकार पानी बहाव के रास्ते में आ रही गाद/सिल्ट की निकासी का कार्य भी कराया जा सकता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि कार्य को योजना की वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित कराया जाकर अनुमोदित कराया जावे। अन्य जल संग्रहण स्ट्रक्चर के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में नवीन एनिकट राज्य सरकार के निर्देशों के अधीन बनाये जा सकते हैं।

(3) वर्तमान में कोई अतिक्रमण/अवरोध उक्त सरोवर में बरसाती पानी के आवक की दिशा में नही है। महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत जल संरक्षण/संग्रहण स्ट्रक्चर बनाये जा सकते हैं परन्तु नवीन एनिकट निर्माण के सम्बन्ध में राज्य सरकार के जल संसाधन विभाग की शर्तों के अनुसार ही बनाये जा सकते हैं। उक्त सरोवर वर्तमान में पूर्ण भराव क्षमता तक भरा हुआ है।

राजसमंद जिले में खेत-तलाइयों के निर्माण हेतु अनुदान

65. **श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला राजसमंद में खेत तलाइयों के निर्माण के क्या लक्ष्य रखे गये हैं?

(2) उक्त जिले में वर्ष 2010-11 में तहसील अनुसार कितनी खेत तलाइयां बन गई थीं और इनमें से कितने खेत तलाइयों के लिए अनुदान वितरित कर दिया गया?

(3) राज्य में खेत तलाई के लिए अनुदान योजना क्या है तथा प्रति तलाई कितना अनुदान दिया जाता है और अनुदान वितरण के क्या प्रावधान हैं?

(4) उक्त जिले में लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो पाने के क्या कारण रहे हैं?

उत्तर

(1) वर्ष 2010-11 में जिला राजसमंद में खेत तलाइयों के निर्माण के कोई लक्ष्य आबंटित नहीं थे ।

(2) वर्ष 2010-11 में जिला राजसमंद में खेत तलाइयों के निर्माण के कोई लक्ष्य आबंटित नहीं होने के कारण किसी भी तहसील में किसी भी कृषक को अनुदान नहीं दिया गया है ।

(कृषि मंत्री)

तहसील राजसमंद में कृषि विज्ञान केन्द्र, राजसमंद पर एक माडल खेत तलाई का निर्माण कराया गया जिसकी साइज 30x30x3 मीटर व कुल इकाई लागत 1,35,000/- थी ।

(3) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत वर्ष 2011-12 में खेत तलाई पर अनुदान उन्हीं कृषकों को देय है जिनके नाम पर भूमि का स्वामित्व/नोशनल भू स्वामित्व है । फार्म पौण्ड जिसका न्यूनतम आयतन 1200 घन मीटर है का निर्माण करने पर लघु, सीमान्त, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला कृषकों को लागत का 75 प्रतिशत एवं सामान्य श्रेणी के कृषकों को लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रुपये 50,000/- जो भी कम हो, अनुदान देय है । फार्म पौण्ड के भौतिक सत्यापन उपरान्त लाभार्थी कृषक को अनुदान राशि का भुगतान केवल आदाता के खाते में देय (A/C payee only) चैक अथवा डी.डी. से किया जाता है ।

(4) वर्ष 2010-11 में जिला राजसमंद में खेत तलाइयों के निर्माण के कोई लक्ष्य आबंटित नहीं थे ।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत तहसील टोडाभीम एवं नादौती के लम्बित विद्युत कनेक्शन

66. श्री रमेश चन्द मीणा (टोडाभीम) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला करौली की तहसील टोडाभीम तथा नादौती के लिये राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में निविदाकार विद्या टेलीलिंक लिमिटेड कम्पनी को कार्य के बदले कितनी-कितनी राशि का भुगतान कब-कब किया गया?

(2) उक्त राशि के भुगतान के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई गई तथा क्या इस प्रक्रिया का जिलों में सभी जगह पालन किया गया है?

(3) निविदाकार कम्पनी को कितने विद्युत कनेक्शन का ठेका दिया गया था व इनमें से कितने विद्युत कनेक्शन कम्पनी ने दिये तथा कितने विद्युत कनेक्शन देना शेष हैं एवं शेष विद्युत कनेक्शन कब तक दे दिये जायेंगे?

उत्तर

(1) जिला करौली की राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में

(ऊर्जा मंत्री)

निविदाकार मैं. विद्या टेलीलिंक लिमिटेड कम्पनी को कार्य आदेश दो लोट में दियें गये हैं। प्रथम लोट में पंचायत समिति टोडाभीम, नादौती एवं हिन्डौन को सम्मिलित किया गया है। द्वितीय लोट में करौली एवं सपोटरा पंचायत समिति को सम्मिलित किया गया है। ठेकेदार फर्म द्वारा सामग्री आपूर्ति लोट अनुसार किए जाने का प्रावधान है।

पंचायत समिति नादौती एवं टोडाभीम में सामग्री आपूर्ति एवं इसके इरेक्शन के बाबत् अब तक किए गये भुगतान का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार से है:-

उपखण्ड का नाम	**सामग्री के आपूर्ति के तहत भुगतान (रुपये)**		**इरेक्शन कार्य के बदले भुगतान (रुपये)**	**कुल भुगतान की गयी राशि (रुपये)**
	65%	30%	95%	
नादौती	9501918	1462810	1715780	12680508
टोडाभीम	18076706	6656221	3362278	28095205
योग	**27578624**	**8119031**	**5078058**	**40775713**

(2) भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार से है:-

(i) आपूर्तिकर्ता से की गई सामग्री की प्राप्ति का सत्यापन संबंधित नोडल आफिसर (अधिशासी अभियन्ता) द्वारा किया जाकर प्रमाणित बिल वरिष्ठ लेखाधिकारी (सी.पी.सी.) को भुगतान हेतु प्रेषित किए जाते हैं। साथ ही कार्यादेश के प्रावधानों के अनुसार प्राप्त सामग्री में से नमूने केन्द्रीय परीक्षण शाला (सी.टी.एल.) में भेजे जाते हैं एवं सफल जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्य में लेने योग्य सामग्री की कीमत का 65% भुगतान वरिष्ठ लेखाधिकारी (सी.पी.सी.) द्वारा किया जाता है।

(ii) कार्य में लेने योग्य सामग्री ठेकेदार फर्म द्वारा स्थापित (इरेक्शन) किये जाने पर किये गये कार्य का भौतिक सत्यापन संबंधित कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा किया जाता है। तत्पश्चात सहायक अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता द्वारा पुष्टी किये जाने पर भुगतान वरिष्ठ लेखाधिकारी (सीपीसी) द्वारा किया जाता है:-

(a) स्थापित सामग्री की आपूर्ति के बाबत 30% राशि का भुगतान

(ऊर्जा मंत्री)

(b) सामग्री के इरेक्शन बाबत 95% राशि का भुगतान

(iii) आपूर्ति व इरेक्शन के एवज में शेष बची 5 प्रतिशत राशि का भुगतान समस्त कार्य पूर्ण होने व किये गये कार्य की सफल निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर अन्तिम समायोजन के उपरान्त किया जाता है।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के आदेश जिन-जिन जिलों में जारी किये गये हैं उनमें भुगतान की प्रक्रिया एक समान है एवं उसकी पालना की जा रही है।

(3) निविदाकार मै. विद्या टेलीलिंक लिमिटेड, नई दिल्ली को जिला करौली की पंचायत समिति टोडाभीम एवं नादौती में कुल बीपीएल परिवारों के घरेलू कनेक्शनों का कार्यादेश व प्रगति निम्न है:-

क्र. सं.	पंचायत समिति का नाम	कार्यादेश अनुसार बीपीएल परिवारों के घरेलू कनेक्शनों की प्रस्तावित संख्या	प्रगति दिनांक 31.07.11
1	टोडाभीम	5664	3887
2	नादौती	2271	3580
3	योग	7935	7467

करौली जिले में उपरोक्त योजना के तहत शेष रहे कार्यों का आंकलन करवाए जाने पर पाया गया कि उपरोक्त प्रगति के उपरान्त भी लोट-प्रथम में बीपीएल कनेक्शन जारी किये जाने हैं। अतः पूर्व में स्वीकृत राशि रुपये 1437.68 लाख के स्थान पर संशोधित प्रस्ताव कुल राशि रुपये 2433.49 लाख भारत सरकार की वित्तीय स्वीकृति जारी करवाने हेतु दिनांक 30.05.2011 को ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को भेजा गया है। स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही समय सीमा बताया जाना सम्भव हो सकेगा।

स्वीकृति प्राप्त होने पर पंचायत समिति टोडाभीम व नादौती में निम्न बीपीएल कनेक्शन जारी किये जा सकेंगे:-

क्र. सं.	पंचायत समिति का नाम	शेष बीपीएल कनेक्शन
1	टोडाभीम	1994
2	नादौती	2994

नगर के किसान क्रेडिट कार्ड सम्बन्धित प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही

67. श्रीमती अनीता सिंह (नगर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र नगर में किसानों को ट्रैक्टर क्रय करने के लिए ऋण दिया जा रहा है? यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में किन-किन किसानों को कितना-कितना? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि किसान क्रेडिट कार्ड बैंकों के मार्फत बनाए जाते हैं? यदि हां, तो बैंक द्वारा इसका निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार को किसान क्रेडिट कार्ड बनाये जाने के संबंध में बैंकों द्वारा की जा रही अनियमितताओं के संबंध में किसानों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र नगर में प्राप्त शिकायतों पर सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र नगर में गत तीन वर्षों में दिये गये ट्रैक्टर क्रय करने के ऋण का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है ।

(2) जी हां। बैंक/ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा अपने कार्य क्षेत्र के किसान, जिन्हें फसली ऋण की आवश्यकता होती है, उन्हें बैंक अथवा पैक्स में निर्धारित हिस्सा राशि एवं प्रवेश/सदस्यता शुल्क जमा कराने पर नियमानुसार सदस्य बनाया जाता है। सदस्य द्वारा अपनी भूमि का विवरण क्षेत्र के पटवारी से प्रमाणित करवाकर बैंक/समिति को प्रेषित किया जाता है। तदनुसार सदस्य की भूमि के आधार पर सहकारी विभाग/शीर्ष बैंक एवं जिला स्तरीय तकनीकी कमेटी द्वारा समय-समय पर कृषि ऋण हेतु निर्धारित मापदण्डों के अनुसार 3 वर्ष के लिए साख सीमा स्वीकृत की जाकर सदस्य को उसकी फोटो लगा किसान क्रेडिट कार्ड जारी कर दिया जाता है।

(3) जी नही।

परिशिष्ट-1

प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक लि. भरतपुर द्वारा विधान सभा क्षेत्र नगर में किसानों को ट्रैक्टर क्रय करने हेतु किये गये गत तीन वर्षों के ऋण वितरण का विवरण

वर्ष	क्र. सं.	कृषक का नाम व पता	ऋण वितरण	
			दिनांक	राशि
2008-09	1.	श्री जीतराम/सुगनी गूजर ग्राम रामबाग तह. डीग	02.01.09	4,00,000
	2.	श्री पीतम/गनेशी श्री श्यामो/राधेश्याम ग्राम जटेरी तह. डीग	23.01.09	4,25,000
2009-10	1.	श्री अब्दुलसत्तार/आसीन मेव ग्राम सोमसी तह. नगर	08.09.09	4,00,000
2010-11	1.	श्री मंगतू/भगवत गूजर ग्राम आरसी तह. नगर	22.07.10	3,50,000
	2.	श्री रामलाल, रमेश, हरभान, बल्लू/छिग्गा गूजर ग्राम अढावली तह. डीग	22.07.10	4,50,000
	3.	श्रीमती प्रेमवती/नारायन जाट ग्राम बढेसरा तह. डीग	16.10.10	4.70,000

कठूमर में मनरेगा योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को रोजगार

68. श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर) : क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत वर्ष 2010-11 में सरकार द्वारा अनुसूचित जाति हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया है?

(2) उक्त योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र कठूमर में कितने अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को उक्त अवधि में रोजगार दिलाया गया? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री बाबूलाल बैरवा)

(3) उक्त क्षेत्र की अनूसूचित जाति हेतु इस योजना में जल संरक्षण एवं जल संग्रहण हेतु क्या-क्या उपाय किये गये?

उत्तर

(1) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना ग्रामीण क्षेत्र के समस्त परिवारों, जो कि अकुशल कार्य करने के लिए तैयार है, के लिए लागू होती है। अतः इस योजना में अनुसूचित जाति विशेष के लिए कोई प्रावधान नही किया है। एमआईएस पर उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 2010-11 में अनुसूचित जाति के 933536 परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया जाकर 457.18 लाख मानव दिवस सृजित किये गये है, जो कुल सृजित मानव दिवसों का 18.14 प्रतिशत है।

(2) उक्त योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र कठूमर में वर्ष 2010-11 में अनुसूचित जाति के 6388 श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। जिसका विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) कठूमर विधान सभा क्षेत्र की अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना में शामिल जल संरक्षण एवं जल संग्रहण के कार्य यथा- तालाब खुदाई कार्य, एनिकट निर्माण कार्य आदि स्वीकृत कर संपादित किये गये हैं।

परिशिष्ट "अ"

क्र. सं.	ग्राम पंचायत	अनुसूचित जाति के श्रमिकों की संख्या जिनको वित्तीय वर्ष 2010-11 में रोजगार उपलब्ध कराया गया
1	2	3
1.	अडोली	87
2.	अरूवा	66
3.	इसरोता	143
4.	कठूमर	573
5.	कालवाडी	161
6.	खेडा कल्याणपुर	62

1	2	3
7.	खेडा मैदा	130
8.	खेरली रेल	192
9.	खोखर	176
10.	खोह	198
11.	गारु	97
12.	जटवाडा	142
13.	जहाड़	128
14.	जोडला	180
15.	टोडा	215
16.	टीकरी	158
17.	टीटपुरी	275
18.	डोरोली	53
19.	तसई	48
20.	तिगावा	5
21.	दातिया	78
22.	दारोदा	117
23.	नूरपुर	130
24.	नाटोज	257

1	2	3
25.	नाहर खोहरा	40
26.	बडोदाकान	182
27.	बसेठ	158
28.	बहतुकलां	280
29.	बहरामपुर	87
30.	भनोखर	65
31.	मैथना	98
32.	मथुरा हेडा	136
33.	मसारी	262
34.	रेटा	117
35.	रोनीजाथान	160
36.	समूची	197
37.	सहाडी	143
38.	सालवाडी	197
39.	सोंखर	186
40.	सोंखरी	279
41.	सोख	130
कुल		**6388**

खरीफ की फसल को फड़के से बचाव हेतु उपाय

69. श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

वर्तमान में सरकार द्वारा खरीफ की फसल को फड़के व फसल के हानिकारक किटाणु से बचाव के क्या-क्या उपाय किये और निजी स्तर पर व्यवस्था करने पर कितने-कितने प्रतिशत छूट देय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

खरीफ की फसलों को फडके व अन्य हानिकारक कीड़े- बिमारियों से बचाने के लिए विभिन्न प्रचार-प्रसार के माध्यमों यथा आकाशवाणी, दूरदर्शन, किसान गोष्ठी, तकनीकी साहित्य आदि के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है।

कीट-व्याधि नियंत्रण हेतु कृषकों को कार्य योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं आइसोपाम योजना के अन्तर्गत डस्ट कीटनाशी रसायनों हेतु अधिकतम 100 रुपये एवं तरल कीटनाशी रसायनों हेतु अधिकतम 200 रुपये प्रति हैक्टेयर या कीमत का 50 प्रतिशत जो भी कम हो, अनुदान देय है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं आइसोपाम योजनान्तर्गत मंहगे अधिक प्रभावी तथा खण्ड की विभागीय सिफारिशों में शामिल कीटनाशी रसायनों पर कीमत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 500 रुपये तक अनुदान कृषकों को उपलब्ध कराये जाने के प्रावधान हैं।

फसलों में कीट एवं व्याधियां लगने पर किसानों द्वारा निजी स्तर पर राजफैड के वितरण केन्द्रों यथा क्रय विक्रय सहकारी समिति/ग्राम सेवा सहकारी समिति से क्रय करने पर अनुदान देय है।

राजफैड, कृषि विभाग व हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लि. (एच.आई.एल.) नई दिल्ली के मध्य हुए समझौते के तहत मैसर्स हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लि. (एच.आई.एल.) नई दिल्ली द्वारा राजफैड को सम्पूर्ण सहकारी व राजस संघ के लिए फरवरी, 2011 से 31 मार्च, 2012 तक कीटनाशक दवाइयों की आपूर्ति पर कृषकों को विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत अनुदान दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लि. (एच.आई.एल.) के द्वारा जो उत्पाद राजफैड को उपलब्ध नहीं करवाये जा रहे हैं उनके लिए राजफैड से अनुपलब्धता प्रमाण पत्र जारी करने की दशा में विभाग

(कृषि मंत्री)

द्वारा ए एवं बी श्रेणी में चिन्हित किये गये निर्माताओं के उत्पाद सहकारी समितियां नियमानुसार क्रय कर कृषकों को अनुदान पर कीटनाशी रसायन उपलब्ध करा रही हैं।

चित्तौड़गढ़ जिले में लम्बित कृषि विद्युत कनेक्शन

70. श्री राजेन्द्र सिंह विधूड़ी (बेगूं) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्तमान में सरकार द्वारा किसानों को किस वर्ष तक के कृषि कनेक्शन आवेदकों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाये जा रहे हैं?

(2) सरकार द्वारा किसानों को नये कृषि विद्युत कनेक्शन देने की क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 2008 के बाद जिला चित्तौड़गढ़ में किस तहसील में कितने किसानों ने कृषि विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन किया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार वर्ष 2008 के बाद के आवेदक किसानों को कृषि विद्युत कनेक्शन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में वर्तमान में दिनांक 1 जनवरी, 2008 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2008 तक प्राप्त आवेदनों पर विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

(2) किसानों को इस वित्तीय वर्ष में नये कृषि विद्युत कनेक्शन प्रपत्र 'अ' के अनुसार दिये जा रहे हैं।

(3) वर्ष 2008 के बाद जिला चित्तौड़गढ़ में तहसीलवार प्राप्त आवेदकों का विवरण प्रपत्र 'ब' पर उपलब्ध है।

(4) इस वित्तीय वर्ष में 65000 कृषि कनेक्शन देने का प्रावधान है। विद्युत एवं संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आगामी वर्षों में कनेक्शन दिए जा सकेंगे।

(प्रपत्र विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

सहकारी बैंकों का कम्प्यूटरीकरण प्रकरण

71. श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला) व श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सहकारी बैंकों के कम्प्यूटरीकरण हेतु सरकार द्वारा कम्प्यूटर खरीद के लिए कोई भी निविदा आमंत्रित नहीं की गई? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि सहकारी बैंकों के कम्प्यूटरीकरण हेतु साफ्टवेयर खरीद से पहले ही कम्प्यूटर हार्डवेयर की खरीद की गई थी? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि साफ्टवेयर खरीद हेतु विभाग द्वारा टेण्डर जारी किया गया है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त कम्प्यूटरीकरण हेतु हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर खरीद पर कुल कितनी लागत आई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त बैंकों के कम्प्यूटरीकरण का कार्य किस कम्पनी को दिया गया? क्या उक्त कम्पनी के पास बैंकों के कम्प्यूटरीकरण कार्य का अनुभव था? यदि नहीं, तो उक्त कार्य किस आधार पर दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि वर्ष 2004 में बैंकों के कम्प्यूटरीकरण हेतु पहले चरण के लिए टेण्डर निकाला गया था? यदि हां, तो पहले चरण का काम जब एक एजेंसी कर रही है तो पुनः टेण्डर निकालने की जरूरत क्यों हुई?विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सहकारी बैंकों के कम्प्यूटरीकरण का कार्य सहकारी बैंकों के स्तर से ही निष्पादित किया जाता है।

(2) जी नहीं। सहकारी बैंकों हेतु सीमित कम्प्यूटर हार्डवेयर की खरीद कम्प्यूटरीकरण हेतु आवश्यक मास्टर डेटा प्रविष्टि के कार्य को पूरा करने एवं बैंकों के कर्मचारियों की कम्प्यूटर पर कार्य करने की क्षमता में वृद्धि हेतु की गई थी। साथ ही उक्त हार्डवेयर पर सहकारी बैंकों में पूर्व से उपलब्ध एम एस आफिस व स्माल स्केल के बैंक आफिस सोफ्टवेयर को काम में लिया जा रहा है।

(3) जी नहीं। सहकारी बैंकों के कम्प्यूटरीकरण का कार्य सहकारी बैंकों के स्तर से ही निष्पादित किया जाता है ।

(सहकारिता मंत्री)

(4) उक्त कम्प्यूटरीकरण हेतु 23 केन्द्रीय सहकारी बैंकों की 273 शाखाओं में हार्डवेयर उपलब्ध करवाने पर कुल व्यय रुपये 277.66 लाख की लागत आई है।

(5) बैंकों के कम्प्यूटरीकरण का कार्य राजस्थान इलेक्ट्रोनिक एण्ड इन्स्ट्रूमेन्ट्स लि. जयपुर (रील) को राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लि. (अपेक्स बैंक), जयपुर द्वारा दिया गया है ।

बैंक द्वारा उक्त कम्पनी को सहकारी बैंकों हेतु कोर बैंकिंग सोफ्टवेयर के वेण्डर के चयन का कार्य ही दिया गया है। रील, जयपुर को इस प्रकार के कार्य के निष्पादन करने का लम्बा अनुभव है।

(6) जी नहीं। वर्ष 2003 में बैंक व डीओईएसीसी के मध्य एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया गया जिसके अन्तर्गत डीओईएसीसी द्वारा निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर एल-1 वेण्डर मै. इन्प्रासाफट को शीर्ष बैंक, इसकी 13 शाखाओं, 5 क्षेत्रीय कार्यालयों व 27 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों के प्रधान कार्यालय व प्रत्येक जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक की एक-एक शाखा कुल 73 स्थानों हेतु कोर बैंकिंग सोफ्टवेयर के लिए क्रयादेश दिया गया। पूर्व में दिया गया कार्य चयनित वेण्डर द्वारा 50 सप्ताह में पूर्ण किया जाना था परन्तु आज दिनांक तक पूर्ण नहीं हुआ है।

पूर्व की एजेन्सी निर्धारित समय में कार्य को पूर्ण करने में असफल रही है। उक्त एजेन्सी को 73 स्थानों के सीबीएस क्रियान्वयन का कार्य दिया गया था, जिसमें से मात्र 29 स्थानों पर ही कम्प्यूटरीकरण का कार्य आंशिक रूप से पूर्ण हो सका है। अब 29 केन्द्रीय सहकारी बैंकों के प्रधान कार्यालय, शेष सभी शाखाओं एवं शीर्ष बैंक के प्रधान कार्यालय व 5 क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु सीबीएस को शीघ्रता से नवीनतम तकनीक के इस्तेमाल करते हुए सहकारी बैंकों हेतु केन्द्रीकृत डेटा सेन्टर प्रतिरूप में कोर बैंकिंग सोफ्टवेयर के क्रियान्वयन करवाने हेतु पुनः प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है।

विराटनगर की पंचायतों को आबंटित एवं व्यय राशि का सामाजिक अंकेक्षण

72. **डा. फूलचन्द भिण्डा** (विराटनगर) : क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में गत दो वर्षों

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

में नरेगा के तहत जो राशि आबंटित की गई तथा जो राशि व्यय की गई, उसमें अन्तर है? यदि हां, तो किस-किस पंचायत में कितनी-कितनी राशि आबंटित हुई तथा कितनी-कितनी राशि व्यय की गई?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2008-09 से 2010-11 तक का सामाजिक अंकेक्षण सभी ग्राम पंचायतों का हो चुका है? यदि नहीं, तो किन-किन का क्यों शेष है?

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र की छापुडा खुर्द ग्राम पंचायत की सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें तथा आक्षेपों का क्या समाधान किया गया?

उत्तर

(1) महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत राशि का आबंटन सन्बन्धित ग्राम पंचायत, पंचायत समिति में रोजगार की मांग के आधार पर किया जाता है। अतः राशि का आबंटन ग्रा.प.प. समितिवार नहीं किया जाता है। विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में पिछले दो वर्षों में व्यय की गई राशि का विवरण MIS की सूचना के अनुसार परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में समस्त ग्राम पंचायतों का सामाजिक अंकेक्षण हो चुका है।

(3) विधान सभा क्षेत्र विराटनगर की ग्राम पंचायत छापुडा खुर्द की सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट की प्रतियां परिशिष्ट-ब पर संलग्न हैं। सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट के अनुसार नरेगा योजनान्तर्गत कराए कार्यों पर कोई आक्षेप नही है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

राष्ट्रीय कृषि विकास/राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत वितरित बायो फर्टीलाइजर की जांच

73. डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर) व **श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में चयनित जिलों में किसानों को मुफ्त में वितरित किये जाने वाले बाजरा बीज में टेण्डर प्रक्रिया व टेण्डर की तिथि को कई बार बदला गया है? यदि हां, तो क्यों? उक्त योजना अन्तर्गत कुल कितना बाजरे का बीज खरीदना था, कुल कितना खरीदकर किसानों को वितरित किया गया?

(डा. दिगम्बर सिंह)

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार ने किसानों को उन्नत किस्म का मक्का बीज वितरित किये जाने हेतु बहुराष्ट्रीय कम्पनी मोनसेंटो, बिस्को बायो साइंस के साथ करार किया है? यदि हां, तो इन कम्पनियों से किस-किस दर पर कितना-कितना बीज खरीदा गया?

(3) सरकार ने वर्ष 2010-11 में कीटनाशक दवाइयों के कितने नमूने जांच हेतु लिए तथा इन नमूनों में कितने अवमानक पाये गये और अवमानक पाये गये नमूनों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई?

(4) क्या किसानों को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना व राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अर्न्तगत बायो फर्टीलाइजर वितरित किया जाता है? यदि हां, तो वितरित करने से पूर्व क्या इसको प्रयोगशाला में जांच का प्रावधान है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में चयनित जिलों में किसानों को नि:शुल्क वितरित किये जाने वाले बाजरा बीज में टेण्डर प्रक्रिया व टेण्डर की तिथि में किये गये बदलाव का विवरण निम्नानुसार है-

- खरीफ 2011 में संकर बाजरा बीज क्रय हेतु विभाग द्वारा प्रथम बार दिनांक 24.03.2011 को खुली निविदा प्रकाशन हेतु जारी की गई जिसमें बाजरा बीज की दरें पीपीपी एवं नान-पीपीपी आधार पर आमंत्रित की गई थी।
- निविदा जारी होने के बाद भारत सरकार द्वारा पत्र दिनांक 30.03.2011 से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत उपयोजना यथा त्वरित चारा उत्पादन कार्यक्रम लागू किया गया, जिसके तहत बाजरा व ज्वार की द्वि-उद्देशीय किस्मों के बीज की आपूर्ति कृषकों को की जानी थी।
- उक्त योजना क्रियान्वित करने के लिए बाजरा व ज्वार की द्वि-उद्देशीय किस्मों को भी निविदा में सम्मिलित करने हेतु दिनांक 04.04.2011 को संशोधन पत्र जारी किया गया।
- यह निविदा पीपीपी एवं नान-पीपीपी दोनों आधार पर आमंत्रित की गई थी, जिसे राज्य सरकार द्वारा निरस्त कर एकल पद्धति पर निविदा आमंत्रित करने हेतु निर्देशित किया गया, जिस कारण नान-पीपीपी

(कृषि मंत्री)

(एकल पद्धति) के आधार पर पुनः नवीन अल्पकालीन निविदा दिनांक 27.05.2011 को जारी की गई, जिसके अन्तर्गत राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक (बाजरा बीज प्रजनक) द्वारा दी गई राय अनुसार राज्य की भूमि व जलवायुवीय परिस्थितियों के अनुरूप निविदा में बाजरा की पकाव अवधि व उपज आदि से संबंधित शर्तें सम्मिलित की गईं।

- दिनांक 27.05.2011 को जारी अल्पकालीन निविदा के संदर्भ में दिनांक 01.06.2011 को राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक (बाजरा बीज प्रजनक) द्वारा दी गई राय के मद्देनजर उपज की तुलना के संदर्भ में आंशिक संशोधन जारी किया गया।
- निविदा द्वारा लगभग 25000 क्विंटल बाजरा बीज क्रय किया जाना प्रस्तावित था।
- प्राप्त निविदा प्रस्ताव, मापदण्डों के अनुरूप नहीं पाये जाने तथा स्पर्धा के अभाव में निविदा द्वारा बाजरा बीज का क्रय नहीं किया गया।
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उपयोजना - पोषण सुरक्षा के लिये सघन कदन संवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत 7612 क्विण्टल बाजरा प्रमाणित बीज राजस्थान राज्य बीज निगम तथा 228 क्विंटल बाजरा प्रमाणित बीज राजफैड के माध्यम से उपलब्ध कराया जाकर योजनान्तर्गत चयनित जिलों हेतु आवश्यक बाजरा बीज (कुल 7840 क्विंटल) की आपूर्ति सुनिश्चित की गई। इसी प्रकार त्वरित चारा विकास कार्यक्रम में 99.99 क्विण्टल बाजरा प्रमाणित बीज राजस्थान राज्य बीज निगम के माध्यम से आपूर्ति कराया गया है।

(2) राज्य के जनजाति उपयोजना क्षेत्र (उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ एवं सिरोही) के जनजाति एवं गैर-जनजाति बीपीएल किसानों एवं बारां जिले के किशनगंज एवं शाहबाद तहसील के सहरिया जनजाति कृषकों को खरीफ 2011 में मक्का की संकर किस्मों का बीज वितरित किये जाने हेतु खुली निविदा आमंत्रित की जाकर सफल निविदादाताओं यथा - मैसर्स मोनसेंटो इण्डिया लि. एवं मैसर्स बिस्को बायो साईंसेज से निविदा शर्तों के अनुसार करार किया जाकर बीज की आपूर्ति कराई गई। इन कम्पनियों से निम्नानुसार मात्रा/दर से बीज खरीदा गया-

(कृषि मंत्री)

क्र. सं.	नाम कम्पनी	क्रय दर (रु. प्रति क्वि.)	मात्रा (क्वि.)
1.	मोनसेंटो इण्डिया लि.	7200	20174.70
2.	बिस्को बायो साइंसेज	7800	4568.50

(3) वर्ष 2010-11 में कीटनाशकों की जांच हेतु 3868 नमूने विश्लेषण हेतु लिये गये, जिनके विश्लेषण उपरान्त 121 नमूने अमानक पाये गये। अमानक पाये गये सभी 121 प्रकरणों में कारण बताओ नोटिस जारी किये गये। तत्पश्चात 8 प्रकरणों में न्यायालय में वाद दायर, 23 प्रकरण वाद दायर करने की प्रक्रियाधीन, 15 प्रकरण लिखित स्वीकृति जारी करने की प्रक्रिया में तथा शेष 75 नमूने पुनः विश्लेषण प्रक्रिया अन्तर्गत है।

(4) जी हां। प्रयोगशाला से मानक घोषित होने पर ही अनुदान का भुगतान किया जाता है।

रोहट तहसील (पाली) के लम्बित विद्युत कनेक्शन

74. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला पाली की रोहट तहसील में जनवरी, 2010 से जुलाई, 2011 तक किस-किस गांवों के किस-किस व्यक्ति ने घरेलू विद्युत संबंध लेने हेतु कब-कब आवेदन किया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त तहसील में किस-किस व्यक्ति को कितनी-कितनी राशि का मांग पत्र किस-किस तारीख को जारी किया गया एवं आवेदक द्वारा मांग पत्र की राशि कब-कब जमा कराई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि अनेकों प्रकरणों में घरेलू विद्युत संबंध की राशि का अलग-अलग मांग पत्र जारी किया गया? यदि हां, तो किन-किन कारणों से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि विद्युत संबंध जारी करने में काफी विलम्ब हुआ? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला पाली की रोहट तहसील में माह जनवरी, 2010 से माह जुलाई, 2011 तक गांववार घरेलू आवेदकों के नाम एवं आवेदन करने की तारीख का विवरण प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

(ऊर्जा मंत्री)

(2) विभाग द्वारा मांग पत्र जारी करने की तारीख, मांग पत्र की राशि एवं मांग पत्र जमा करवाने की तारीख का विवरण प्रपत्र 'अ' में उपलब्ध है।

(3) जी हां। ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू कनेक्शन हेतु Terms & Conditions for Supply of Electricity-2004 में वर्णित Part-II के तहत प्रार्थना-पत्र शुल्क एवं सुरक्षा राशि के अलावा प्रार्थना-पत्र के साथ 1500/- रुपये एवं छितराई हुई ढाणियों में घरेलू कनेक्शन हेतु जोधपुर डिस्काम द्वारा जारी वाणिज्यिक आदेश संख्या 523 दिनांक 18.01.10 में वर्णित निर्देशानुसार प्रार्थना-पत्र शुल्क एवं सुरक्षा राशि के अलावा प्रार्थना-पत्र के साथ 3500/- रुपये के मांग पत्र जारी किये जाते हैं। उक्त आदेशो की प्रतिलिपी प्रपत्र 'ब' व 'स' पर उपलब्ध है।

(4) सर्विस लाइन से होने वाले आवेदकों के मीटर लगाकर तुरन्त प्रभाव से कनेक्शन दिये जा रहे हैं। जिन आवेदकों के विद्युत संबंध हेतु एल.टी. लाइन के विस्तार की आवश्यकता होती है, उन्हें सेन्ट्रल लेबर रेट कान्ट्रेक्ट के तहत ठेकेदारों द्वारा विद्युत लाइन का विस्तार करने पर विद्युत संबंध जारी किये जाते हैं, ऐसे प्रकरणों में विद्युत संबंधों में ठेकेदारों द्वारा कार्य देरी से किये जाने के कारण कुछ विलम्ब होता है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीगंगानगर जिले में मनरेगा योजनान्तर्गत विकास कार्य

75. श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला श्रीगंगानगर में गत एक वर्ष में नरेगा के अन्तर्गत कितने कार्य हुए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में कुल कितने जॉब-कार्ड धारी हैं तथा कितनों को गत एक वर्ष में कार्य दिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) श्रीगंगानगर जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत वर्ष 2010-11 में, पिछले वर्षों में रहे अधूरे कार्य एवं नये स्वीकृत कार्यों को मिलाकर कुल 10649 कार्य करवाये गये। इनमें से 3166 कार्य पूर्ण हो गये तथा 7483 कार्य प्रगतिरत रहे।

(2) श्रीगंगानगर जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत वर्ष 2010-11 तक 261462 जाबकार्ड जारी किये गये हैं तथा वर्ष 2010-11 में 191798 परिवारों को कार्य दिया गया।

शेरगढ़ तहसील(जोधपुर) में लम्बित विद्युत कनेक्शन

76. **श्री बाबूसिंह राठौड़** (शेरगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील शेरगढ़ (जोधपुर) में ''मुख्य मंत्री सबके लिए विद्युत योजना'' में घरेलू कनेक्शन के लिए जमा आवेदकों के विद्युत कनेक्शन बकाया हैं? यदि हां, तो कितने?

(2) क्या सरकार उक्त लम्बित बकाया घरेलू कनेक्शन कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त योजना में घरेलू कनेक्शन के लिए निकाले गये मांग-पत्र की राशि समय सीमा में जमा नहीं करवाने वाले आवेदकों को पुनः जीवित शुल्क लेकर कनेक्शन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार योजना अनुसार वर्तमान में साध्य लेकिन असाध्य मानकर आवेदकों की घरेलू कनेक्शनों की निरस्त की पत्रावलियों का पुनः मौका मुआयना कर कनेक्शन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि वर्तमान में खातेदारी व गैर मुमकिन आबादी स्वामित्व वाली ढ़ाणियों व घरों के स्थानों पर घरेलू कनेक्शन देना बन्द कर दिया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार बी.पी.एल. परिवारों को निःशुल्क व ए.पी.एल. परिवारों को खातेदारी व गैर मुमकिन आबादी स्वामित्व वाले स्थानों पर कनेक्शन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(7) क्या सरकार ''मुख्य मंत्री सबके लिए विद्युत योजना'' को पुनः शुरू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां । तहसील शेरगढ (जोधपुर) में "मुख्य मंत्री सबके लिये विद्युत योजना" में उपखण्ड बालेसर की 173 ढाणियों में 1632 आवेदन एवं उपखण्ड देचू में 220 ढाणियों में 1584 आवेदन लम्बित हैं।

(2) जी हां। उक्त लम्बित घरेलू कनेक्शन करने हेतु वर्तमान में मांग पत्र जारी करने की कार्यवाही की जा रही है। मांग पत्र जमा होने पर निगम नियमानुसार व सामान की उपलब्धतानुसार विद्युत संबंध इसी वितीय वर्ष 2011-12 में दिया जाना संभावित है।

(ऊर्जा मंत्री)

(3) वर्तमान में उक्त योजना में घरेलू कनेक्शन के लिए निकाले गये मांग पत्र की राशि समय सीमा में जमा नहीं कराने वाले आवदकों को पुन:जीवित शुल्क लेकर कनेक्शन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(4) प्रश्न संख्या 3 के उत्तर के अनुसार।

(5) कृषि भूमि एवं गैर आबादी भूमि पर स्थित घरों पर घरेलू कनेक्शन उन सभी आवेदकों को दिये जा रहे हैं, जिनके आवेदन "मुख्य मंत्री सबके लिए विद्युत योजना" के अन्तर्गत प्राप्त हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त जो ढाणी "राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना" में विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत है, उनमें स्थित घरेलू कनेक्शन दिये जा रहे हैं। शेष स्थानों के लिये छीतराये हुये घरों के कनेक्शन के लिए स्थापित सिंगल फेज ट्रांसफार्मर से अधिकतम 5 घरेलू कनेक्शन एवं अधिकतम दूरी 500 मीटर तक, एवं स्वपोषित योजना के तहत आवेदकों को कनेक्शन दिये जा रहे हैं।

(6) जोधपुर डिस्काम में वर्तमान में चालू राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में सम्मिलित एवं मुख्य मंत्री सबके लिए विद्युत योजना में दिनांक 31.3.10 तक प्राप्त आवेदनों में बीपीएल परिवारों को नि:शुल्क विद्युत संबंध प्रदान किये जा रहे हैं। ए.पी.एल. परिवारों के संबंध में बिन्दु संख्या 5 में वर्णित आदेशों के अनुरूप घरेलू आवेदकों को खातेदारी व गैर मुमकिन आबादी स्वामित्व वाले स्थानों पर कनेक्शन की कार्यवाही की जाती है।

(7) जी नहीं।

प्रतापगढ़ जिले में विधायक अनुशंषित विकास कार्यों की वित्तीय/ प्रशासनिक स्वीकृति

77. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में विधायक स्थानीय विकास कोष से किन-किन कार्यों के लिए कितनी-कितनी राशि की अनुशंसा की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में विधायक मद से अनुशंषित कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां कब-कब जारी की गई? क्या कार्यों की अनुशंषित राशि तथा वित्तीय स्वीकृतियों की राशि में अंतर है? यदि हां, तो किन-किन कार्यों की स्वीकृतियों में? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री नन्दलाल मीणा)

(3) उक्त अवधि में विधायक मद से अनुशंषित कार्यों में से कितने तथा कौन-कौन से कार्य अब तक पूर्ण हो चुके हैं तथा कितने कार्य अपूर्ण हैं एवं कौन-कौन से कार्य जून, 2011 तक चालू ही नहीं हुए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में स्थानीय विधायक कोष से अनुशंषित कार्यो की वर्षवार सूची संलग्न परिशिष्ट के कालम संख्या 1 से 7 पर वर्णित है 1

(2) उक्त अवधि में जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियों का विवरण परिशिष्ट के कालम संख्या 8 से 15 पर वर्णित है। वर्ष 2010- 11 में एक कार्य सामुदायिक भवन मोटाकुआं, ग्राम पंचायत लालगढ़ पंचायत समिति अरनोद कार्य की अनुशंषित राशि 4.98 लाख की थी, परन्तु तकनीकी स्वीकृति 4.97 लाख की प्राप्त होने पर वित्तीय स्वीकृति 4.97 लाख की जारी की गई है, शेष कार्यों की राशि में अन्तर नहीं हैं ।

(3) उक्त अवधि में स्वीकृत कार्यों में से पूर्ण अपूर्ण एवं अप्रारम्भ कार्यों का विवरण परिशिष्ट के कालम संख्या 16 पर वर्णित है 1

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

धौलपुर शहर की नजूल सम्पत्तियों पर काबिज बी.पी.एल./ अल्पसंख्यक परिवारों को राहत

124. श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर) : क्या सम्पदा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में नजूल सम्पत्ति को बेचने की प्रक्रिया एवं मानदण्ड क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) धौलपुर शहर में नजूल सम्पत्ति कितनी है? क्या धौलपुर शहर में नजूल सम्पत्ति बेचने की योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो कौन-कौनसी?विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त सम्पत्तियों में गरीब बीपीएल परिवार के व्यक्ति एवं अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति लगभग 25-25 साल से निवास कर रहे हैं?

(4) क्या यह भी सही है कि सम्बन्धित विभाग ने उक्त व्यक्तियों एवं अल्पसंख्यकों को गत 6 माह में नोटिस जारी किये हैं और जिसकी सुनवाई सक्षम अधिकारी के विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति रखने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) रिक्त नजूल सम्पत्तियों को खुली नीलामी एवं किरायेदार/अतिक्रमियों को नजूल सम्पत्ति निस्तारण नियम 1971 के अनुसार कीमत जमा कर जिला नजूल निस्तारण कमेटी की स्वीकृति के पश्चात बेचने का प्रावधान है।

(2) धौलपुर शहर में 53 नजूल सम्पत्तियां हैं। धौलपुर शहर में निम्न सम्पत्तियां विक्रय किया जाना विचाराधीन है:-

क्र. सं.	सम्पत्ति का नाम	सम्पत्ति संख्या
1.	तबेला मोहल्ला, धौलपुर	5
2.	कचहरी अहाता	1
3.	बाडा नाना साहब, धौलपुर	1

(राज्य मंत्री, सम्पदा)

(3) जी हां। कुछ सम्पत्तियो में गरीब श्रेणी एवं अल्पसंख्यक परिवार रहते है।

(4) ऐसे व्यक्ति जिनके द्वारा किराया अदा नहीं किया गया है और सम्पत्ति पर काबिज हैं एवं अतिक्रमी की श्रेणी में आते है, के विरुद्व सम्पत्ति खाली करने के सम्बन्ध में वाद न्यायालय सम्पदा अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर में दायर कराये गये हैं। न्यायालय सम्पदा अधिकारी के निर्णय अनुसार कार्यवाही की जाती है।

प्रदेश की जेलों से कैदियों की फरारी पर रोक हेतु कार्य योजना

125. श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) : क्या कारागार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गत पांच वर्षों में राज्य की जेलों से कई कैदी फरार हुये हैं? यदि हां, तो किस-किस जेल से किस-किस तिथि को कौन-कौन से कैदी फरार हुये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार राज्य की जेलों से कैदियों के फरार होने की घटनाओं को रोकने के लिये पुख्ता प्रबंध करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि गत पांच वर्षो में राज्य की जेलों से कैदी फरार हुये हैं। गत पांच वर्षो (2006 से जुलाई 2011 तक) की अवधि में कारागृहों से फरार हुये बंदियों का जेलवार व तिथिवार एवं कैदियों के नाम सहित विवरण परिशिष्ट-ए पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। जेलों से कैदियों की फरारी की रोकथाम हेतु सुरक्षा एवं तकनीकी उपकरण यथा 8 केन्द्रीय कारागृहों पर 8 डोर मेटल डिटेक्टर एवं समस्त केन्द्रीय एवं जिला कारागृहों पर 40 हैण्ड होल्ड मेटल डिटेक्टर आदि उपलब्ध कराये गये हैं।

इसके अतिरिक्त वर्ष 2009-10 में 246 प्रहरियों की भर्ती की गई एवं रिक्त पदों के दृष्टिगत रखते हुये राज्य सरकार द्वारा 300 सीमा गृह रक्षा स्वयं सेवक एवं 100 ग्रामीण/शहरी गृह रक्षा स्वयं सेवकों के नियोजन की स्वीकृति दी गयी है।

राज्य सरकार के द्वारा विधान सभा के बजट सत्र 2009-10 में 250

(राज्य मंत्री, कारागार)

एवं 2010-11 मे 300 सुरक्षा कर्मियों के रिक्त पदों को भरने की स्वीकृति की गई है, जिनको भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2011-12 मे कारागृह भवनों की मरम्मत के लिये राशि 3 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। इस राशि से भवनों में सुधार/मरम्मत कार्य पूर्ण होने से फरारी होने की संभावना घटेगी।

राज्य की जेलों की स्थिति में सुधार हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति के प्रतिवेदन में नई जेलों के निर्माण के साथ-साथ आधुनिक उपकरण/आधुनिक हथियार उपलब्ध कराने, स्टाफ बढ़ाने आदि सिफारिशों के क्रियान्वयन की कार्यवाही की जा रही है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

ग्राम पंचायत ख्यावदा (बारां) में चयनित कृषि मित्र

126. श्रीमती निर्मला (किशनगंज) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि जिला बारां को तहसील किशनगंज की ग्राम पंचायत ख्यावदा में कृषि मित्रों का चयन किया गया है?यदि हां, तो कृषि मित्रों की चयन प्रक्रिया का ब्यौरा एवं सोयाबीन वृहद प्रदर्शन जी एस 9305 के प्रदर्शन तथा ब्लाक जलवाड़ा में लाभार्थियों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जिला बारां की तहसील किशनगंज की ग्राम पंचायत ख्यावदा में ग्राम पंचायत द्वारा दो कृषक मित्रों की पहचान की गई है। कृषक मित्रों की पहचान का ब्यौरा परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। सोयाबीन फसल किस्म जी एस 9305 के ग्राम पंचायत ख्यावदा में 13 कृषकों तथा ग्राम पंचायत जलवाड़ा में 10 कृषकों कुल 23 कृषकों के यहां वृहद प्रदर्शन आयोजित किये गये हैं, जिनके लाभार्थियों की सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(ब्यौरा विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

कोटा जिले में खाद्य निगम द्वारा समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद प्रकरण

127. श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री भवानी सिंह राजावत)

(1) वर्तमान सत्र में गेहूं की समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद हेतु जिला कोटा में कितने केन्द्र स्थापित किये एवं प्रति केन्द्र कितने किसानों से कितने गेहूं की खरीद की गई और गेहूं के समर्थन मूल्य एवं बाजार भाव क्या रहे?

(2) क्या यह सही है कि भामाशाह कृषि उपज मण्डी कोटा में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद में भारी गड़बड़ी पाई गई है और इस घोटाले की जांच सीबीआई द्वारा की गई है? यदि हां, तो खरीद में क्या-क्या गड़बड़ियां सामने आई और क्या इसके लिए दोषी लोगों को चिन्हित किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि खाद्य निगम द्वारा इस वर्ष सीधे किसानों के बजाय व्यापारियों के माध्यम से गेहूं की खरीद की गई है?क्या उक्त का लाभ उठाकर व्यापारियों ने किसानों से कम कीमत पर गेहूं खरीदकर समर्थन मूल्य पर सरकार को बेच दिया? यदि हां, तो क्या इसके लिए दोषी अधिकारियों अथवा अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान सत्र में गेहूं की समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद हेतु जिला कोटा में 21 केन्द्र स्थापित किए गए हैं। गेहूं का समर्थन मूल्य 1120+50 (बोनस) = 1170.00 रु. प्रति क्विंटल था। सचिव, कृषि उपज मण्डी (अनाज), कोटा से प्राप्त सूचना के अनुसार गेहूं का बाजार भाव का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। प्रति केन्द्र किसानों से गेहूं की खरीद का विवरण निम्नानुसार है:-

भारतीय खाद्य निगम:-

क्र. सं.	खरीद केन्द्र का नाम	वजन (मि. टन)	किसानों की संख्या
1.	भामाशाह मण्डी, कोटा	51133	5606
2.	सुल्तानपुर	14444	2417
3.	खातौली	3425	524
4.	इटावा	10803	1210
	योग	**79805**	**9757**

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री)

तिलमसंघः-

क्र. सं.	खरीद केन्द्र का नाम	वजन (मै. टन)	किसानों की संख्या
1.	अयाना	1000.000	62
2.	बोरखेडा	250.000	32
3.	गण्डावद	500.000	49
4.	झालीपुरा	1750.000	217
5.	कैथून	750.000	126
6.	कवरपुरा	1250.000	226
7.	भीमपुरा	871.000	174
8.	खेडलीमहाद्वीत	1000.000	138
9.	किशनगंज	1250.000	163
10.	मण्डावरा	2000.000	313
11.	मुडला	1800.000	177
12.	मुडली	1250.000	131
13.	पीपल्दाकलां	719.600	91
14.	सारोला	1382.550	271
15.	सीमल्या	1746.450	188
16.	तोरण	1000.000	161
17.	सांगोद (के.वी.एस.एस.)	2422.350	374
	योग	**20941.95**	**2893**
	महायोग	**100746.95**	**12650**

(2) जी नहीं। सी.बी.आई. द्वारा इस संबंध में की जा रही जांच अभी विचाराधीन है।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री)

(3) जी नहीं। विभाग के समक्ष इस प्रकार का कोई तथ्य सामने नहीं आया है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीद किए जाने के लिए भारत सरकार की नीति निर्धारित की हुई है तथा उस नीति के तहत राज्य सरकार द्वारा जिला कलक्टर्स को खरीद की कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए अधिकृत किया हुआ है।

परिशिष्ट-1

सचिव

कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) कोटा

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) विशिष्ट श्रेणी कोटा (राजस्थान) दिनांक 10.04.2011 से 28.08.2011 तक गेहूं की भावक (वि.व. में) दर प्रति विवरण

क्रमांक	दिनांक	आवक (क्वि. में)	न्यूनतम दर (प्रति क्वि.)	अधिकतम दर (प्रति. क्वि.)	औसत दर (प्रति क्वि.)
1	2	3	4	5	6
1.	19/04/2011	70340	1081	1485	1290
2.	20/04/2011	56920	1061	1522	1300
3.	21/04/2011	0	मण्डी बन्द	रही	
4.	22/04/2011	45585	1070	1375	1170
5.	23/04/2011	0	मण्डी बन्द	रही	
6.	24/04/2011	0	रविवार		
7.	25/04/2011	70150	1056	1332	1170
8.	26/04/2011	40780	1071	1266	1170
9.	27/04/2011	0	मण्डी बन्द	रही	
10.	28/04/2011	51400	1071	1193	1130
11.	29/04/2011	30120	1055	1155	1130
12.	30/04/2011	25340	1065	1479	1170
13.	1/5/2011	0	रविवार		

1	2	3	4	5	6
14.	02/05/2011	34915	1081	1451	1180
15.	03/05/2011	35240	1071	1442	1200
16.	04/05/2011	17840	1081	1401	1200
17.	05/05/2011	18620	1085	1261	1150
18.	06/05/2011	0	मण्डी बन्द	रही	
19.	07/05/2011	14380	1061	1351	1185
20.	08/05/2011	0	रविवार		
21.	09/05/2011	25990	1080	1340	1175
22.	10/05/2011	25374	1061	1451	1230
23.	11/05/2011	31720	1061	1251	1150
24.	12/05/2011	26456	1041	1300	1200
25.	13/05/2011	22482	1041	1244	1100
26.	14/05/2011	20380	1041	1251	1150
27.	15/05/2011	0	रविवार		
28.	16/05/2011	11375	1075	1260	1200
29.	17/05/2011	9870	1175	1326	1185
30.	18/05/2011	8770	1071	1475	1295
31.	19/05/2011	24970	1075	1230	1180
32.	20/05/2011	31570	1075	1460	1200
33.	21/05/2011	40994	1015	1241	1200
34.	22/05/2011	0	रविवार		
35.	23/05/2011	35680	1051	1253	1200

1	2	3	4	5	6
36.	24/05/2011	30268	1051	1200	1185
37.	25/05/2011	28558	1035	1253	1200
38.	26/05/2011	23963	1051	1246	1085
39.	27/05/2011	20280	1051	1241	1190
40.	28/05/2011	12490	1055	1190	1170
41.	29/05/2011	0	रविवार		
42.	30/05/2011	12360	1052	1206	1175
43.	31/05/2011	13560	1051	1146	1100
44.	01/06/2011	11850	1054	1164	1150
45.	02/06/2011	12480	1054	1174	1140
46.	03/06/2011	11921	1065	1174	1150
47.	04/06/2011	10945	1051	1167	1130
48.	05/06/2011	0	रविवार		
49.	06/06/2011	10525	1041	1150	1130
50.	07/06/2011	7910	1053	1165	1140
51.	08/06/2011	8274	1051	1150	1100
52.	09/06/2011	8826	1051	1165	1130
53.	10/06/2011	9413	1041	1150	1120
54.	11/06/2011	8920	1151	1161	1155
55.	12/06/2011	रविवार			
56.	13/06/2011	8435	1051	1156	1080

नवीन राशन कार्ड वितरण हेतु प्रस्तावित योजना

128. श्रीमती जाहिदा खान (कामां) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में 2010 तक जारी किये गये राशन कार्डों के स्थान पर पुन: नये राशन कार्ड जारी करने की योजना प्रक्रिया में है? यदि हां, तो नये राशन कार्ड कब तक बना दिये जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि प्रदेश में सरकार द्वारा वर्ष 2010 तक जारी किये गये राशन कार्ड 2011 में भी मान्य किये जा रहे हैं? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि प्रदेश में वर्ष 2000-2001 में 10 वर्ष की अवधि के लिए सभी श्रेणी के राशनकार्ड जारी किए गए थे, जो वर्तमान में भी प्रभावी है। खाद्य विभाग के जिला रसद अधिकारी जिला मुख्यालय के नगरपालिका क्षेत्र के लिए, स्वायत्त शासन विभाग के अधिशासी अधिकारी अन्य नगरपालिका क्षेत्रों के लिए तथा ग्रामीण विकास विभाग के विकास अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए राशनकार्ड बनाते हैं। भारत सरकार द्वारा नए बीपीएल सर्वेक्षण नवम्बर, 2011 में कराया जाने का प्रस्ताव है। उक्त प्रक्रिया के साथ-साथ आदिनांक स्थिति के अनुसार नए राशनकार्ड बनाए जाने का निर्णय लिया जाना प्रक्रियाधीन है।

(2) राज्य सरकार द्वारा मार्च, 2011 तक की अवधि के लिए राशनकार्ड जारी किए गए थे, जो कि वर्तमान में ही प्रचलित हैं। राज्य में नवीन राशनकार्ड बनाए जाने तक पुराने राशनकार्ड मान्य हैं।

वर्तमान में सामान्य श्रेणी (एपीएल) के राशनकार्ड बनाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यह सतत् प्रक्रिया है, जिनके राशनकार्ड नहीं बने हुए हैं, उनके राशनकार्ड निरन्तर बनाए जा रहे हैं।

बारां जिले के प्रस्तावित ग्रिड सब-स्टेशन

129. श्री पानाचन्द (बारां-अटरू) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बारां में दिसम्बर, 2008 से जुलाई, 2011 तक विधान सभा क्षेत्रवार कितने-कितने के.वी. के ग्रिड सब-स्टेशन किस-किस दिनांक को स्वीकृत किए गए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री पानाचन्द)

(2) उक्त स्वीकृत ग्रिड सब-स्टेशनों में से किस-किस ग्रिड सब-स्टेशन के लिए किस-किस जगह कितनी-कितनी भूमि आवंटित की गई? आबंटन आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त स्वीकृत ग्रिड सब-स्टेशनों का निर्माण किस स्टेज पर चल रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त स्वीकृत किस-किस ग्रिड सब-स्टेशन के लिए कितनी-कितनी राशि किस-किस दिनांक को स्वीकृत की गई? आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बारां जिले में माह दिसम्बर, 2008 से माह जुलाई, 2011 तक केवल विधान सभा क्षेत्र अंता में 2 निम्न ग्रिड सब-स्टेशन स्वीकृत किये गये हैं :-

1. 765 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन अंता दि. 24.7.2009 को स्वीकृत किया गया है। जिसका विवरण परिशिष्ट -1 पर उपलब्ध है।
2. 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन मांगरोल दि. 22.3.11 को स्वीक़्त किया गया है। जिसका विवरण परिशिष्ट -2 पर उपलब्ध है।

बारां जिले में माह दिसम्बर, 2008 से माह जुलाई, 2011 33/11 के.वी. के 25 सब-स्टेशन स्वीकृत किये गये हैं, उनका विवरण परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।

(2) 765 केवी ग्रिड सब-स्टेशन, अंता के लिए ग्राम बटावदा में 17.21 हैक्टेयर सरकारी भूमि तथा 73.41 हैक्टेयर निजी खातेदारी की भूमि कुल 90.62 हैक्टेयर भूमि आवंटित की गई है जिसके आबंटन आदेश की प्रति परिशिष्ट-4 पर उपलब्ध है।

132 केवी ग्रिड सब-स्टेशन मांगरोल के लिए 3.5 हैक्टेयर चरागाह भूमि का ग्राम बोरदा तह. मांगरोल में चयन कर आबंटन हेतु प्रस्ताव जिला कलक्टर बारां को भिजवाया गया था, परन्तु जिला कलक्टर, बारां ने उक्त परियोजना हेतु ग्राम मऊ में स्थित सिवायचक भूमि का प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाया, परन्तु ग्राम मऊ की भूमि का, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण करने पर पाया गया कि उक्त भूमि 132 केवी ग्रिड सब-स्टेशन के निर्माण हेतु उपयुक्त नहीं है अत: 132 केवी ग्रिड सब -स्टेशन के निर्माण हेतु उपयुक्त भूमि का चयन किया जा रहा है।

(ऊर्जा मंत्री)

बारां जिले में स्वीकृत किये गये 33/11 केवी सब-स्टेशन के लिए आबंटित भूमि का विवरण परिशिष्ट-5 पर उपलब्ध है।

(3) 765 केवी ग्रिड सब-स्टेशन, अंता के लिए कुल आबंटित 90.62 हैक्टेयर भूमि का विभाग द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है तथा उक्त भूमि पर बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

132 केवी ग्रिड सब-स्टेशन मांगरोल बनाये जाने के लिए भूमि का चयन किया जा रहा है।

बारां जिले में स्वीकृत किये गये 33/11 केवी सब-स्टेशनों के निर्माण का विवरण परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।

(4) 765 केवी ग्रिड सब-स्टेशन, अंता के निर्माण हेतु अनुमानित 50463.53 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं जिसकी प्रति विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

132 केवी ग्रिड सब-स्टेशन मांगरोल के निर्माण हेतु (मय लाइन) अनुमानित 1618.38 लाख रुपये दिनांक 22.3.2011 को स्वीकृत किये गये हैं जिसका विवरण प्रति परिशिष्ट 2 पर उपलब्ध है।

33/11 केवी सब-स्टेशनों के लिए स्वीकृत राशि का विवरण परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

सूरसागर में अनियमित विद्युत आपूर्ति

130. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में विद्युत वितरण व्यवस्था के लिए कुल कितने ट्रांसफार्मर स्थापित हैं तथा उक्त प्रत्येक ट्रांसफार्मर की वास्तविक क्षमता कितनी है और इसके विरुद्ध उन पर वर्तमान में कितना लोड है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रत्येक ट्रांसफार्मर द्वारा किन-किन क्षेत्रों में कितने-कितने उपभोक्ताओं को और कितनी परिधि के क्षेत्र तक विद्युत आपूर्ति की जा रही है? उक्त में से कितने क्षेत्रों के अन्तिमतम बिन्दुओं पर कम विद्युत प्रवाह की समस्या है और इसके निराकरण के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

(3) गत दो वर्षों में विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में विद्युत प्रवाह में

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)
आकस्मिक अत्यधिक परिवर्तन से घरेलू विद्युत उपकरण जलने के कितने मामले सामने आये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त प्रकार की घटना का कारण विद्युत प्रवाह नियंत्रण के लिए पर्याप्त क्षमता के ट्रांसफार्मर की कमी है? क्या जोधपुर डिस्काम द्वारा ऐसे प्रकरणों में पीड़ित उपभोक्ताओं को मुआवजा प्रदान किया गया है?यदि हां, तो किस-किस को कितना-कितना? विवरण सदन की मेज पर रखें एवं नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में विद्युत वितरण व्यवस्था के सुचारु संचालन हेतु नये ट्रांसफार्मर लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं कहां-कहां?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में विद्युत वितरण व्यवस्था हेतु कुल 466 ट्रांसफार्मर स्थापित हैं। प्रत्येक ट्रांसफार्मर की वास्तविक क्षमता एवं लोड का विवरण प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) प्रत्येक ट्रांसफार्मर पर उपभोक्ताओं की संख्या, क्षेत्र एवं विद्युत आपूर्ति की परिधि का विवरण भी प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है। उपलब्ध प्रपत्र में ही समस्याग्रस्त स्थानों को अंकित करते हुए इन स्थानों पर विद्युत आपूर्ति हेतु नये लगाये जाने वाले ट्रांसफार्मर का विवरण भी दर्शाया गया है।

(3) सूरसागर विधान सभा क्षेत्र में घरेलू विद्युत उपकरण जलने के 5 मामले निम्न स्थानों के सामने आये हैं। (1) सूथला (2) चौपासनी हाउसिंग बोर्ड (3) पीएफ आफिस के पास (4) शोभावतों की ढाणी एवं (5) उमराव खां पैट्रोल पम्प के पीछे

(4) विद्युत आपूर्ति से होने वाले नुकसान ट्रांसफार्मर की क्षमता के कारण नहीं बल्कि आंधी तूफान के मौसम में तार टूटने, तारों पर पेड़ की टहनियों के गिरने के कारण होता है। किसी भी उपभोक्ता को किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया गया है, क्योंकि उपरोक्त घटनाओं में प्रभावित उपभोक्ताओं द्वारा नुकसान होने की कोई सूचना निगम कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है।

(5) विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में सुचारु विद्युत व्यवस्था बनाये रखने हेतु 38 नये वितरण ट्रांसफार्मर लगाने के प्रस्ताव हैं। जिनका विवरण प्रपत्र 'अ' में दर्शाया गया है। उक्त ट्रांसफार्मरों को लगाने का कार्य इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक पूर्ण करने की योजना है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय जोधपुर में कार्यरत लाइनमैन/हैल्पर

131. **श्री कैलाश चन्द भंसाली** (जोधपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अधीक्षण अभियन्ता विद्युत (सिटी) जोधपुर शहर के अन्तर्गत कितने विद्युत लाइनमैन/हैल्पर कार्य कर रहे हैं? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त में से आधे से अधिक लाइनमैन/हैल्पर कार्यालय में ही लिपिक या अन्य कार्य सम्पादित कर रहे हैं? क्या उक्त कर्मी फील्ड में जाते ही नहीं जिस कारण विद्युत फाल्ट आने पर उसको दुरूस्त करने में काफी परेशानी एवं अधिक समय लगता है? यदि हां, तो ऐसे कितने लाइन मैन/हैल्पर हैं और उन्हें फील्ड में नहीं भेजने के क्या कारण रहे हैं? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि जोधपुर शहर में कई ट्रांसफार्मर जमीन तल से 4 से 5 फुट ही ऊंचे हैं? क्या उक्त कारण कई बार यहां पर गायें एवं आमजन उसकी चपेट में आकर मृत्य या घायल हुये हैं? यदि हां, तो ऐसे कितने ट्रांसफार्मर कहां-कहां स्थित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार ऐसे ट्रांसफार्मरों की ऊंचाई बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(5) गत दो वर्षों में उक्त ट्रांसफार्मर से दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति या पशु मालिक को कितना मुआवजा दिया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अधीक्षण अभियन्ता (नगर वृत) जोधपुर शहर के अन्तर्गत कुल 29 लाइनमैन तथा 549 हैल्पर कार्यरत हैं।

(2) जी नहीं। उक्त में से केवल 36 हैल्पर ही मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कमी के कारण उपभोक्ताओं को अच्छी सेवाएं प्रदान करने हेतु विभिन्न उपखण्ड/उपचौकियों से विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत हैं। इस कारण विद्युत फाल्ट आने पर उसको दुरूस्त करने में अधिक समय नहीं लग रहा है।

(3) जोधपुर शहर में 5 फुट से कम ऊंचाई पर लगे ट्रांसफार्मरों की सूची प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है। जिन्हें सुरक्षित ऊंचाई पर रखने के निर्देश जारी

(ऊर्जा मंत्री)

कर दिये गये हैं। इस कारण ऐसी विद्युत दुर्घटना की कोई सूचना विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।

(4) जी हां। ऐसे ट्रांसफार्मरों की ऊंचाई बढ़ाने का कार्य शीघ्रतिशीघ्र कर दिया जायेगा।

(5) गत दो वर्षों में उक्त ट्रांसफार्मरों से कोई व्यक्ति/पशु दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ है। अतः कोई मुआवजा नहीं दिया गया है।

अनुलग्नक "अ"

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर

जोधपुर शहर के अधीन 5 फीट से कम ऊंचाई पर लगे ट्रान्सफार्मर की सूची

1. 100 केवीए सांसी कालोनी भदवासिया
2. 100 केवीए खेतानाड़ी
3. 100 केवीए पन्नालाल गौशाला मंडोर
4. 100 केवीए पिथालालजी का बाग मंडोर
5. 100 केवीए छगाणी वाला मसूरिया फिल्टर हाउस के पास
6. 100 केवीए के. के. कालोनी
7. 100 केवीए सेक्टर 2 कूड़ी भगतासनी
8. 100 केवीए उद्योग नगर बासनी फेस II
9. 100 केवीए गली नं. 6 सिद्धि केमिकल के सामने
10. 2 100 गली नं. 6 बासनी II
11. 100 केवीए गली नं. 6 नेशनल मेटल के सामने बासनी II
12. 1 250 केवीए महेन्द्र हैण्डीक्राफ्ट के सामने बासनी II

ह./-

प्रा. स. अधीक्षण अभियन्ता (नगर वृत्त)

जोधपुर डिस्काम, जोधपुर

श्रीगंगानगर शहर के आवासीय क्षेत्र की विद्युत लाइनें

132. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्रीगंगानगर शहर के श्रीकरणपुर मार्ग पर घरों के ऊपर से गुजरती हाइटेंशन लाइन नागरिकों के लिये परेशानी का कारण बनी हुई है तथा करंट लगने से दो-तीन लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है? क्या सरकार उक्त लाइनों को वहां से हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या उक्त हाइटेंशन लाइन को हटाने के लिये विधायक कोटे से पांच लाख रुपये भी दे दिये गये हैं? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत सरकार द्वारा इसको शिफ्ट नहीं किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार नियमों में संशोधन कर विधायक कोटे से लाइन शिफ्टिंग व ट्रांसफार्मर शिफ्टिंग के कार्य करवाने हेतु राशि जारी करने के आदेश जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) श्रीगगांनगर शहर के श्रीकरणपुर मार्ग पर जा रही 11 केवी लाइन लगभग 20 वर्ष पहले खींची गई थी। लोगों द्वारा उक्त लाइन के नीचे मकानों का निर्माण कर लिया गया, जिससे उक्त लाइन की ग्राउण्ड क्लीयरेंस कम हो गयी। इस लाइन से करन्ट लगने से कोई दुर्घटना नहीं हुई है। लाइन के नीचे रहने वाले निवासियों अथवा संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा उक्त लाइन के शिफ्टिंग हेतु आवेदन करने पर, तकनीकी रूप से साध्य होने एवं राइट आफ वे मिलने पर तथा डिस्काम, द्वारा नियमानुसार जारी मांग पत्र की राशि जमा करवाने पर ही लाइन शिफ्टिंग हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(2) जी नहीं। उपरोक्त लाइनों को हटाने के लिए विधायक कोटे से कोई राशि जोधपुर डिस्काम को प्राप्त नहीं हुई है। इस लाइन की शिफ्टिंग हेतु माननीय विधायक महोदय द्वारा संबंधित सहायक अभियन्ता (शहर-II), जोधपुर डिस्काम, श्रीगंगानगर से व्यय का एस्टीमेट बनाकर भिजवाने के अनुरोध पर सहायक अभियन्ता ने उक्त कार्य हेतु रुपये 5,27,725 की अनुमानित राशि का तकमीना माननीय विधायक महोदय को प्रेषित किया है। उक्त अनुमानित व्यय के संदर्भ में माननीय विधायक महोदय ने जिला परिषद, श्रीगंगानगर से रुपये 5.00 लाख की राशि उपरोक्त कार्य हेतु स्वीकृत करने की अनुशंसा की है।

(ऊर्जा मंत्री)

किन्तु उक्त राशि जिला परिषद से प्राप्त नहीं होने के कारण उक्त लाइन को शिफ्ट नहीं किया जा सका है।

(3) लाइन शिफ्टिंग हेतु तकमीने के अनुसार एम.एल.ए.एल.एडी. योजना के अन्तर्गत राशि स्वीकृत कराकर जमा कराने पर लाइन शिफ्टिंग के कार्य किये जा रहे हैं।

बस्सी में लम्बित बी.पी.एल. विद्युत कनेक्शन

133. श्रीमती अंजु खन्गवाल (बस्सी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बस्सी में अब तक बीपीएल विद्युत कनेक्शन नहीं हुए हैं? यदि नहीं, तो विगत दो वर्षों में कितने बीपीएल कनेक्शन कौन-कौन सी तिथि में जारी किये गये हैं और कितने कनेक्शन होने शेष हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अब सरकार उक्त शेष रहे कनेक्शन कितने समय में जारी करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि बस्सी में पदस्थापित कनिष्ठ अभियंताओं की लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं? यदि हां, तो क्या-क्या शिकायतें प्राप्त हुई व सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र बस्सी जिला जयपुर में विगत दो वर्षों में बीपीएल के कुल 3403 विद्युत कनेक्शन जारी करने थे, उनमें से 3314 विद्युत कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं जिनका तिथिवार विवरण प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है। 89 कनेक्शन जारी करना शेष हैं।

(2) शेष कनेक्शन एक महीने की अवधि में जारी करना प्रस्तावित है।

(3) जी नहीं। बस्सी उपखण्ड में वर्तमान में 4 कनिष्ठ अभियन्ता कार्यरत हैं जिनमें से केवल एक कनिष्ठ अभियन्ता बांसखो श्री आर.के. परेवा के विरुद्ध कनेक्शनों बाबत शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिसकी जांच अधिशाषी अभियन्ता (जिला खण्ड प्रथम), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर के द्वारा करने पर शिकायतें सही नहीं पाई गई। शेष तीन कनिष्ठ अभियन्ताओं के खिलाफ कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

गैर आबादी क्षेत्र के घरेलू विद्युत कनेक्शनों पर रोक में छूट

134. डा. जसवन्त सिंह यादव (बस्सी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्र में आबादी क्षेत्र के बाहर अपने खेत पर निवास कर रहे किसानों को घरेलू विद्युत कनेक्शन पर सरकार द्वारा रोक लगाई हुई है? यदि हां, तो किस नियम/आदेश के तहत एवं कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त कनेक्शनों पर लगी रोक हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों के समीप आबादी क्षेत्र के बाहर छीतराये हुये घरों के कनेक्शन के लिए स्थापित सिंगल फेज ट्रांसफार्मर से अधिकतम 5 घरेलू कनेक्शन एवं अधिकतम दूरी 500 मीटर तक एवं स्वपोषित योजना के तहत आवेदकों को कनेक्शन दिये जा रहे हैं।

(2) उपरोक्तानुसार।

मारवाड़ जंक्शन में स्वीकृत ग्रिड सब-स्टेशन

135. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत तीन वर्षों में विधान सभा क्षेत्र मारवाड जंक्शन में 33/11 एवं 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन कहां-कहां स्वीकृत किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि 33/11 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन सारण एवं चवाडिया में स्वीकृत हुए हैं? यदि हां, तो उक्त दोनों का कार्य कब तक शुरू कर दिया जायेगा?

(3) क्या सरकार द्वारा 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन वोल्टेज की समस्या को देखते हुए ग्राम व्यापारी अथवा माण्डा में बनाने का विचार रखती है, यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) गत तीन वर्षों में विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के अन्तर्गत चौकडिया, दूदौड, गुडाकेसरसिंह, सारण, चिरपटिया, गादाणा (चेलावास),

(ऊर्जा मंत्री)

पांचेटिया, बिठोडा कलां एवं चवाडिया ग्राम में 33/11 केवी विद्युत उपकेन्द्र स्वीकृत किए गये हैं तथा कोई भी 132 केवी ग्रिड सब-स्टेशन स्वीकृत नहीं किया गया है।

(2) जीं हां। वित्तीय वर्ष 2010-11 में 33/11 केवी सब-स्टेशन सारण एवं चवाडिया में स्वीकृत हुए हैं। इन दोनों सब-स्टेशनों का निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2011-12 में किया जाना प्रस्तावित है।

(3) विधान सभा क्षेत्र मारवाड जंक्शन के अन्तर्गत ग्राम वौपारी अथवा माण्डा में एक 132 केवी ग्रिड सब-स्टेशन के निर्माण हेतु तकनीकी साध्यता की जांच की जा रही है। तकनीकी रूप से साध्य पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

अलवर जिले में खराब विद्युत मीटरों का परिवर्तन

136. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला अलवर में विगत दो वर्षों में कितने उपभोक्ताओं के मीटर खराब होने की वजह से बदले गये? वर्षवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) बिजली उपभोक्ताओं से मीटर खराब होने पर औसत राशि वसूले जाने के क्या मानदण्ड/नियम निर्धारित किये गये हैं? मानदण्ड/नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अलवर जिले में विगत दो वर्षों में उपभोक्ताओं के मीटर खराब होने की वजह से बदले गये मीटरों का विवरण निम्न प्रकार है:-

वर्ष	बदले गये मीटरों की संख्या
2009-10	31562
2010-11	42800

(2) विद्युत उपभोक्ताओं से विद्युत आपूर्ति शर्तें एवं निबन्धन-2004 के क्लाज संख्या 27(1), (i&ii) व 27(2) के तहत मीटर खराब हो जाने की स्थिति में औसत राशि लिये जाने के प्रावधान हैं तथा कृषि श्रेणी के

(ऊर्जा मंत्री)

उपभोक्ताओं से निगम आदेश संख्या जेपीआर 5-237 के तहत मीटर के खराब होने की स्थिति में फ्लेट दर से राशि वसूल की जाती है। आदेश की छायाप्रति प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' पर उपलब्ध है।

(प्रति विधान सभा पुसतकालय में रखी गयी)

पीपल्दा में अभियन्ताओं के रिक्त पद

137. श्री प्रेमचन्द (पीपल्दा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में सहायक अभियन्ता (ओ एण्ड एम) इटावा एवं सहायक अभियन्ता (ओ एण्ड एम) सुल्तानपुर तथा जयपुर विद्युत वितरण निगम में कर्मचारियों/अधिकारियों के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं एवं कितने पद रिक्त हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधीन सहायक अभियन्ता (पवस), इटावा में सहायक अभियन्ता का एक पद स्वीकृत पद है जो कि 17.08.2011 से रिक्त चल रहा है। कनिष्ठ अभियन्ता के नवसृजित 1 पद को सम्मिलित करते हुए 3 पद स्वीकृत हैं 3 पदों में से 2 पदों पर कनिष्ठ अभियन्ता पदस्थापित है। सहायक अभियन्ता (पवस), सुल्तानपुर में सहायक अभियन्ता पदस्थापित है जहां पर कनिष्ठ अभियन्ता के नवसृजित 2 पदों को सम्मिलित करते हुए 5 पद स्वीकृत हैं 5 पदों में से 2 पदों पर कनिष्ठ अभियन्ता पद स्थापित हैं।

जयपुर विद्युत वितरण निगम में अधिकारियों/कर्मचारियों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' पर उपलब्ध है।

(2) सहायक अभियन्ता (पवस), इटावा का पद जो कि दिनांक 17.08.2011 से रिक्त चल रहा है उसको शीघ्र भरे जाने की कार्यवाही की जा रही है एवं कनिष्ठ अभियन्ताओं के रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती प्रकिया जारी है। इस वित्त वर्ष में भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने पर कनिष्ठ अभियन्ताओं के रिक्त पदों पर पदस्थापन कर दिया जायेगा।

जयपुर विद्युत वितरण निगम में मंत्रायलिक संवर्ग में कामर्शियल असिस्टेन्ट-I/II के 311 नव-सृजित पद एवं तकनीकी सहायक के 2930 रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है।

प्रपत्र "अ"

JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED

STATEMENT SHOWING THE SANCTION/WORKING STRENGTH AND VACANCIES OF THE OFFICERS OF JAIPUR DISCOM AS ON 23.08.2011

(Including newly created posts.)

Name of Post	Sanctioned Strength	Working	Vacancy	Remark if any
1	2	3	4	5
Technical Wing				
Chief Engineer	02	-	02	
Dy. Chief Engineer	02	-	02	
Superintending Engineer (E & M)	19	11	08	
SE (Civil)	01	01	-	
Executive Engineer (E & M)	120	81	39	
Executive Engineer (Civil)	02	01	01	
Assistant Engineer (E & M)	321	230	91	
Feeder Manager	22	16	06	
Assistant Engineer (Civil)	07	07	-	
Accounts Wing				
Chief Accounts Officer	03	03	-	
Sr. Accounts Officer	09	06	03	
Accounts Officer	22	14	08	
Asstt. Accounts Officer	44	27	17	
Personnel Wing				
Chief Personnel Officer	01	01	-	
Sr. Personnel Officer	03	01	02	
Personnel Officer	19	17	02	

1	2	3	4	5
Administrative Wing				
Company Secretary	01	01	-	
Dy. Secy./Sr. E.O.	02	01	01	
Asstt. Secretary/Esstt. Officer	05	02	03	
Sr. Statistical Officer	01	01	-	
Statistical Officer	02	01	01	
Non-Gazetted				
Junior Engineer (E&M)	879	613	266	
Junior Engineer (Civil)	27	21	06	
Junior Engineer (IT)	10	10	—	
Personnel Assistant	21	14	07	
Steno Grade-I	17	14	03	
Steno Grade-II	38	30	08	
Statistician	12	06	06	
Stat. Assistant	20	19	01	
Computer	41	42	+01	

प्रपत्र "ब"'

स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण

पद नाम	सहायक अभियन्ता (ओएण्डएम), इटावा			सहायक अभियन्ता (ओएण्डएम), सुल्तानपुर			जे.वी.वी.एन.एल.		
	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
सहायक कार्मिक अधिकारी							11	11	0
अनुभागाधिकारी							16	16	0
कार्यालय अधीक्षक	1	0	1	1	0	1	185	80	105
वरिष्ठ लिपिक	2	1	1	3	0	3	1440	780	660
कनिष्ठ लिपिक	3	2	1	6	4	2	1301	1301	0
चतुर्थ श्रेणी	6	1	5	6	1	5	1104	988	116
तकनीकी कर्मचारी	44	44	0	65	65	0	16666	11542	5124
लेखाकार							303		95
कनिष्ठ लेखाकार							350		66

केन्द्रीय सहकारी बैंकों में जमा प्रोत्साहन राशि भुगतान

138. श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने किसानों को समय पर ऋण चुकाने पर एक प्रतिशत प्रोत्साहन राशि वापस भुगतान करने का प्रावधान कर रखा है? यदि हां, तो कब से?

(2) राज्य के जिला सेन्ट्रल सहकारिता बैंकों को कितनी-कितनी प्रोत्साहन राशि का भुगतान गत 10 वर्षों में किया है? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार से जो राशि जिला सेंट्रल सहकारी बैंकों को प्राप्त हुई उस राशि का वितरण किस-किस ग्राम सेवा सहकारी समिति को कितना-कितना किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार से प्राप्त प्रोत्साहन राशि में से कोई राशि जिला सेंट्रल सहकारिता बैंकों के पास शेष है? यदि हां, तो राज्य के सेंट्रल सहकारी बैंकों का शाखावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) भारत सरकार द्वारा दी गयी अतिरिक्त ब्याज सहायता एवं राज्य सरकार द्वारा दी गयी ब्याज अनुदान सहायता का बैंकवार विवरण परिशिष्ट-1 से 2 पर संलग्न है ।

(3) जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों को उपलब्ध कराई गयी राशि का ग्राम सेवा सहकारी समितिवार विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है ।

(4) जी नहीं।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

आसीन्द के कृषकों हेतु विशेष योजना

139. श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र आसीन्द में वर्ष 2009-10 व 2010-11 में ग्राम सेवा सहकारी समितिवार कितना-कितना ऋण, खाद व बीज वितरण किया गया?

(श्री रामलाल गुर्जर)

(2) क्या सरकार उक्त जिले के कृषकों को कोई विशेष योजना से लाभान्वित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार से व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र आसीन्द में विभाग द्वारा वर्ष 2009-10 व 2010-11 में प्रत्येक वर्ष में ग्राम सेवा सहकारी समितिवार वितरित किये गये ऋण, खाद व बीज का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है ।

(2) ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट-1

दी सेन्ट्रल को आपरेटिव बैंक लि. भीलवाड़ा

Fax 01482-220090 ई-मेल : *ccbbhl.bank@yahoo.co.in*
BCCB प्रबन्ध निदेशक प्र. का. टेलीफोन : 232662, 220090 पो.बा. नं. 10,
भीलवाड़ा—311001 (राजस्थान)

क्र. सं.	समिति का नाम	2009-10 में वितरित				2010-11 में वितरित			
		ऋण	खाद मात्रा	राशि	बीज मात्रा व राशि	ऋण	खाद मात्रा	राशि	बीज मात्रा व राशि
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	आगूचा	42.00	186 टन	14.58		94.06	45 टन	4.48	
2.	बोरखेडा	65.90	129 टन	11.71		142.38	126 टन	10.52	
3.	बराठिया	50.87	48 टन	4.54		124.37	42 टन	3.98	
4.	सरेरी	26.34	54 टन	5.11		49.16	22 टन	1.59	
5.	दांतड़ा	77.91	82 टन	6.22		189.06	75 टन	6.04	
6.	फलामादा	55.63	79 टन	6.13		174.72	52 टन	5.06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	गुलाबपुरा	31.61	125 टन	11.13	189.06	92 टन	7.89		
8.	गागेडा	76.44	43 टन	3.24	174.72	55 टन	5.13		
9.	डूडा	94.75	186 टन	18.85	73.61	132 टन	10.68		
10.	जालमपुरा	100.32	75 टन	6.03	145.46	103 टन	8.60		
11.	खजेड़ी	71.11	45 टन	3.43	186.27	87 टन	6.61		
12.	कोटड़ी	42.70	88 टन	6.62	236.42	41 टन	4.26		
13.	कवलियास	71.19	178 टन	14.16	177.03	185 टन	18.78		
14.	रूपाहेली	60.10	59 टन	5.89	87.45	51 टन	5.00		
15.	तस्वारिया	42.65	52 टन	4.97	127.04	47 टन	4.55		
16.	टोकड़वाड़	25.35	45 टन	3.43	111.41	35 टन	2.73		
17.	मोड़ का निम्बोहेड़ा	36.99	0.85 टन	0.09	127.28	1.35 टन	0.17		
18.	करजालिया	11.85	31.50 टन	2.01	91.28	36.90 टन	6.82		
19.	पालडी	11.32	0 टन	0	40.56	14.00 टन	1.72		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	बदनोर	11.46	0	0		29.12	0	0	
21.	डी. के. बाडिया	34.76	0	0		79.56	0	0	
22.	बी. के. सरेरी	22.75	2.05	0.20		64.69	4.90	0.28	
23.	परासोली	20.38	54.70	4.16		42.50	186.80	10.07	
24.	आसीन्द	17.37	0	0		29.00		0	
25.	गांगलास	51.27	11.00	1.07		119.10	0	0	
26.	तिलोली	22.30	30.55	2.38		67.84	41.40	2.97	
27.	पुआलिया	47.16	35.00	3.22		78.20	80.00	6.07	
28.	कावलास	56.16	0	0		166.14	0	0	
29.	दौलतगढ़	41.73	41.30	2.72		84.38	105.55	7.85	
30.	रतनपुरा	22.40	31.05	2.44		48.7	41.70	3.03	
31.	चैनपुरा	15.00	28.00	1.70		71.00	31.00	2.10	
32.	प्रतापपुरा	21.49	0	0		25.07	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33.	लाछूडा	36.91	28.00 टन	1.70		33.63	42.35 टन	3.55	
34.	बाजून्दा	21.75	20.00 टन	1.60		37.80	41.50 टन	2.65	
35.	भोजपुरा	13.16	12.00 टन	1.03		34.90	8.70 टन	0.60	
36.	पाटन	24.60	24.50 टन	2.16		45.08	64.00 टन	4.44	
37.	मोटरास	39.54	55.00 टन	3.77		70.53	106.55 टन	10.31	
38.	सापोला	39.88	35.55 टन	2.33		66.19	35.00 टन	2.42	
39.	अन्टाली	40.81	138. टन	4.46		85.66	403.00 टन	29.68	
40.	के. के. बाडिया	2.09	0 टन	0		12.12	0 टन	0	
41.	शंभूगढ़	20.67	0 टन	0		56.42	0 टन	0	
42.	जगपुरा	60.27	90.00 टन	3.18		65.00	21.00 टन	7.50	
43.	बरसनी	61.78	13.50 टन	11.50		130.00	142.00 टन	11.40	
44.	आकड़सादा	29.09	59.00 टन	3.95		63.38	125.00 टन टन	8.56	
	योग :-	**1772.81**	**2215.90**	**181.71**		**3864.88**	**2772.70**	**228.09**	

शेरगढ़ ग्राम पंचायत (जोधपुर) के तत्कालीन सरपंच द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच

140. श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील शेरगढ़ (जोधपुर) की ग्राम पंचायत शेरगढ़ में वर्ष 2004 में तत्कालीन सरपंच द्वारा अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों व हितबद्ध व्यक्तियों के नाम से पंचायत व सरकारी सम्पत्ति को हड़प करने व फर्जीवाड़ा करने की अनियमितता पाई गई? यदि हां, तो क्या-क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रकरण में की गई अनियमितताओं के लिए कौन-कौन अधिकारी व कर्मचारी दोषी पाये गये तथा दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

(3) क्या यह सही है कि उक्त प्रकरण में दोषी के विरुद्ध पुलिस थाना शेरगढ़ में दर्ज मुकदमा सं. 53/2007 दिनांक 09-08-2007 में पुलिस द्वारा अनुसंधान कर प्रकरण में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई? यदि हां, तो अन्तिम रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि जिला परिषद् जोधपुर द्वारा उक्त प्रकरण में की गई जांच में अनियमितता होने के प्रमाण सामने आये हैं? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त प्रकरण में प्रस्तुत अन्तिम रिपोर्ट के विरुद्ध अपील दायर करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(6) क्या सरकार उक्त पट्टा प्रकरण की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से करवाकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। तत्कालीन सरपंच, ग्राम पंचायत शेरगढ़ द्वारा अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों व हितबद्ध व्यक्तियों के नाम से पट्टे जारी किये गये थे। पंचायत सरकारी सम्पत्ति को हड़प करने व फर्जीवाड़ा करने की जांच जिला परिषद्, जोधपुर के सहायक अभियन्ता एवं पंचायत प्रसार अधिकारी द्वारा की गई जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(पंचायती राज मंत्री)

(2) उक्त प्रकरण में तत्कालीन विकास अधिकारी, सरपंच एवं ग्राम सेवक दोषी है जिनके विरुद्ध पुलिस थाना शेरगढ़ में मुकदमा संख्या 53/2007 दिनांक 9.8.2007 को दर्ज कराया गया। जिस पर पुलिस थाना शेरगढ़ ने अंतिम रिपोर्ट (एफआर) माननीय सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) एवं न्यायायिक मजिस्ट्रेट बालेसर में प्रस्तुत की है जो विचाराधीन है।

(3) जी हां। पुलिस थाना शेरगढ़ में दर्ज मुकदमा संख्या 53/2007 दिनांक 9.8.2007 में पुलिस द्वारा अनुसंधान कर प्रकरण में अंतिम रिपोर्ट (एफआर) माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) एवं न्यायायिक मजिस्ट्रेट बालेसर में प्रस्तुत की है जो विचाराधीन है। अंतिम रिपोर्ट (एफआर) की प्रति संलग्न है।

(4) जी हां। जिला परिषद् जोधपुर के सहायक अभियन्ता एवं पंचायत प्रसार अधिकारी द्वारा की गई जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट 'अ' संलग्न है।

(5) उक्त प्रकरण में प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट (एफआर) माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) एवं न्यायायिक मजिस्ट्रेट बालेसर में विचाराधीन है। इसलिए माननीय न्यायालय के निर्णयोपरान्त गुणावगुण के आधार पर अपील के बारे में निर्णय लिया जा सकेगा।

(6) पुलिस थाना शेरगढ़ में दर्ज मुकदमा संख्या 53/2007 दिनांक 9.8.2007 की पत्रावली भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर को अनुसंधान हेतु भिजवाई गई थी, परन्तु उक्त पत्रावली को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा पुनः अनुसंधान हेतु पुलिस थाना शेरगढ़ को प्रकरण लौटा दिया गया है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

प्रदेश में ग्राम सेवक एवं सहायक ग्राम सेवकों की भर्ती में नियुक्त अल्प संख्यक अभ्यर्थी

141. श्री अमीन खां (शिव) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में वर्ष 2009 से जुलाई, 2011 की अवधि में कुल कितने ग्राम सेवक एवं सहायक ग्राम सेवक भर्ती किये गये? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में राज्य में अल्पसंख्यक वर्ग के कितने ग्राम सेवक व सहायक ग्राम सेवक भर्ती किये गये? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री अमीन खां)

(3) उक्त अवधि में राज्य में अल्प संख्यकों के उक्त पदों हेतु कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुये? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में वर्ष 2009 से 2011 की अवधि में ग्राम सेवक सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से कुल 703 ग्राम सेवकों की भर्ती की गई । जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है । इस अवधि में राज्य में सहायक ग्राम सेवक भर्ती नहीं किये गये । सहायक ग्राम सेवक नाम का कोई पद नहीं है।

(2) उक्त अवधि में राज्य में ग्राम सेवक सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से अल्पसंख्यक वर्ग के 12 ग्राम सेवक भर्ती किये गये । जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है । इस अवधि में राज्य में सहायक ग्राम सेवक भर्ती नहीं किये गये ।

(3) उक्त अवधि में राज्य में ग्राम सेवक की भर्ती हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों में अल्पसंख्यक वर्ग हेतु आरक्षण का प्रावधान नहीं होने के कारण इस प्रकार की सूचना का कोई कॉलम नहीं रखे जाने से ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

परिशिष्ट "अ"

क्र. सं.	नाम जिला	वर्ष 2009 से 2011 की अवधि में सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा द्वारा भर्ती किये ग्राम सेवकों की संख्या	उक्त अवधि में अल्पसंख्यक वर्ग के भर्ती किये गये ग्राम सेवकों की संख्या
1	2	3	4
1.	अजमेर	25	0
2.	अलवर	21	1
3.	बांसवाड़ा	35	0
4.	बाड़मेर	32	0
5.	बारां	20	0
6.	भरतपुर	30	0
7.	भीलवाड़ा	30	0
8.	बीकानेर	25	0
9.	चित्तौड़गढ़	39	1
10.	दौसा	11	1
11.	धौलपुर	15	0
12.	डूंगरपुर	27	0
13.	जैसलमेर	11	0
14.	जालौर	44	0
15.	झालावाड़	33	2

1	**2**	**3**	**4**
16.	झुन्झुनूं	13	0
17.	जोधपुर	34	0
18.	करौली	27	3
19.	नागौर	46	0
20.	पाली	47	1
21.	राजसमन्द	42	1
22.	सीकर	13	0
23.	सिरोही	25	1
24.	टोंक	12	1
25.	उदयपुर	46	0
	कुल योग	**703**	**12**

श्रीनगर पंचायत समिति (अजमेर) में प्रशासन गांवों के संग अभियानांतर्गत प्राप्त प्रस्ताव

142. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रशासन गावों के संग अभियान 2010 के अन्तर्गत अजमेर की पंचायत समिति श्रीनगर की विभिन्न ग्राम पंचायतों द्वारा पानी, बिजली, सड़क, नाली, आबादी विस्तार, खेल मैदान आदि के संबंध में कितने एवं कौन-कौन से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रस्तावों में से कितने/कौन-कौन से प्रस्तावों पर संबंधित विभागों द्वारा आवश्यक कार्यवाही की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त प्रस्तावों में आवश्यक कार्यवाही से शेष रहे कितने/कौन-कौन से प्रस्ताव किस स्तर पर लम्बित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त महत्वपूर्ण अभियान में ग्राम पंचायतों से प्राप्त लम्बित प्रस्तावों पर आवश्यक कार्यवाही कराने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रशासन गांवों के संग अभियान 2010 के अन्तर्गत अजमेर की पंचायत समिति श्रीनगर की विभिन्न ग्राम पंचायतों द्वारा पानी, बिजली, सड़क, नाली, आबादी विस्तार, खैल मैदान आदि के संबंध में प्राप्त प्रस्तावों का ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट-क)

(2) उक्त प्रस्तावों में से जिन प्रस्तावों पर संबंधित विभागों द्वारा आवश्यक कार्यवाही की गई है उनका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट-ख)

(3) उक्त प्रस्तावों में आवश्यक कार्यवाही से शेष रहे प्रस्ताव पी.डब्ल्यू.डी. अजमेर, पी.एच.डी. अजमेर, उपखण्ड/तहसील, अजमेर व नसीराबाद, नगर सुधार न्यास, अजमेर, अधिशासी अभियन्ता बीसलपुर परियोजना, अजमेर तथा ग्राम पंचायत के स्तर पर लम्बित है, जिनका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट-ख)

(4) जी हां। लम्बित रहे प्रस्तावों पर नियमानुसार शीध्र कार्यवाही कराने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अजमेर व विकास अधिकारी, पंचायत समिति, श्रीनगर को निर्देशित कर दिया गया है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

रायपुर पंचायत समिति (पाली) के विकास अधिकारी के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

143. श्री मदन प्रजापत (पचपदरा) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला पाली की पंचायत समिति रायपुर में विकास अधिकारी पद पर वर्तमान में कौन अधिकारी कब से कार्यरत है? उक्त अधिकारी पूर्व में किन-किन पदों पर कहां-कहां कब तक कार्यरत रहे? सम्पूर्ण सेवाकाल का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अधिकारी के सम्पूर्ण कार्यकाल में कार्य व्यवहार, राजकार्य में अनियमितता, अनुशासनहीनता, आम जनता एवं अधीनस्थ कर्मचारियों व उच्चाधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार की कितनी शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं और उक्त शिकायतों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई?

(3) क्या उक्त विकास अधिकारी, रायपुर गबनकर्ता सरपंच कानूजा की जिला कलक्टर पाली के मार्फत प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही नहीं करने दे रहा है? क्या उक्त अधिकारी व जनता एवं जन प्रतिनिधियों तथा शिकायतकर्ताओं के साथ टेलिफोनिक एवं व्यक्तिगत रूप से अभद्र व्यवहार कर रहा है?

(4) क्या सरकार सरपंच कानूजा के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की निष्पक्ष जांच करवाने तथा इन्हें निरन्तर बचाने वाले विकास अधिकारी रायपुर के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) श्री ओम प्रकाश फुलवारिया, दिनांक 20.4.2011 से विकास अधिकारी, पंचायत समिति रायपुर जिला पाली के पद पर कार्यरत है । श्री फूलवारिया को तहसीलदार सेवा से राजस्थान प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति उपरान्त दिनांक 5.10.2009 से 7.4.2011 तक विकास अधिकारी पंचायत समिति सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर के पद पर कार्यरत रहे हैं।

(2) श्री ओम प्रकाश फुलवारिया आर ए एस के विरुद्ध राजकार्य में अनियमितता, अनुशासनहीनता, आम जनता एवं अधिनस्थ कर्मचारियों एवं उच्चाधिकारियों से दुर्व्यवहार की कोई शिकायत प्राप्त नही हुई है ।

(3) जी नहीं। सरपंच कानूजा के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की जांच सहायक अभियन्ता, रायपुर जिला पाली से करवाई गई जिसमें शिकायत झूठी

(पंचायती राज मंत्री)

पाई गई है। विकास अधिकारी के विरूद्व जनप्रतिनिधियों एवं शिकायतकर्ता के साथ अभद्र व्यवहार करने संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नही हुई है।

(4) सरपंच कानूजा के विरूद्व शिकायत की जांच सहायक अभियन्ता, पंचायत समिति रायपुर जिला पाली से कराई गई जिसमें शिकायत झूठी पाई गई है। इसलिए कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

केन्द्र द्वारा आपदा राहत कोष में प्राप्त राशि का उपयोग

144. श्री ओम बिरला (कोटा-दक्षिण) : क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जनवरी, 2009 से जुलाई, 2011 तक राज्य को केन्द्र द्वारा आपदा राहत कोष में कितनी-कितनी धनराशि कब-कब प्राप्त हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त राशि में से राज्य सरकार द्वारा कब-कब किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? जिला व तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में कितनी धनराशि राज्य सरकार के आपदा राहत कोष में जमा है और आपदा राहत कोष की कितनी धनराशि खर्च नहीं होने के कारण लौटा दी गई/लैप्स हो गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) संलग्न परिशिष्ट-1 की सारणी 1 के अनुसार।

(2) संलग्न परिशिष्ट-1 की सारणी 2 व परिशिष्ट-2 के अनुसार।

(3) संलग्न परिशिष्ट-1 की सारणी 3 के अनुसार।

(सारणी विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

विराटनगर में निर्मित इंदिरा आवासों का भौतिक सत्यापन

145. डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) इन्दिरा आवास योजना के तहत विराटनगर की ग्राम पंचायत ढाणी जयसिंहपुरा, रामपुरा बागावास अहीरान, मैड, बडनगर, प्रागपुरा, ऑजकला में योजना लागू होने से अब तक कितने-कितने एवं किस-किस व्यक्ति को इन्दिरा आवास दिया गया?

(2) विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में योजना लागू होने से अब तक

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

कितने इन्दिरा आवास बने एवं कितने आबंटित हुए? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जयसिंहपुरा पंचायत में योजना लागू होने से अब तक स्वीकृत सभी इन्दिरा आवास बन चुके हैं? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसका भौतिक सत्यापन कराने का विचार रखती है।

उत्तर

(1) इन्दिरा आवास योजना के तहत विराटनगर की ग्राम पंचायत ढाणी जयसिंहपुरा में 83, रामपुरा में 55, बागावास अहीरान में 96, मैड में 61, बडनगर में 112, प्रागपुरा में 83 एवं ऑजकला में 46 व्यक्तियों को इन्दिरा आवास योजना लागू होने से अब तक स्वीकृति जारी की गयी है। लाभार्थियों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में योजना लागू होने से अब तक 2739 इन्दिरा आवास स्वीकृत किये गये जिनमें से 1698 आवासों का निर्माण पूर्ण हो गया है। संख्या विवरण सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) जयसिंहपुरा पंचायत में योजना लागू होने से अब तक 83 इन्दिरा आवास में से 24 पूर्ण हो चुके हैं, 29 निर्माणाधीन हैं एवं 30 का कार्य प्रारम्भ किया जाना है। योजना में प्रथम किश्त के उपयोग का भौतिक सत्यापन प्राप्त होने के बाद ही द्वितीय किश्त जारी की जाती है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

टांकरड़ा ग्राम (जयपुर) में सार्वजनिक शमशान भूमि पर चारदीवारी निर्माण

146. श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ग्राम पंचायत टांकरड़ा, पंचायत समिति गोविन्दगढ़ जिला जयपुर के ग्राम टांकरडा में ख.नं. 850/1024, 835/1 व 835/2 रकबा 0.77 सार्वजनिक शमशान भूमि पर चारदीवारी बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या यह सही है कि उक्त चारदीवारी के निर्माण से शमशान भूमि पर अतिक्रमण से मुक्ति मिल सकेगी? यदि हां, तो सरकार उक्त कार्य कब से शुरु करवाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। उक्त कार्य का वर्तमान में कोई प्रस्ताव इस विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है।

(2) इस विभाग द्वारा ग्रामीण जन भागीदारी विकास योजना संचालित की जा रही है। जिसका उद्देश्य कब्रिस्तान/शमशान घाट की चारदीवारी निर्माण कार्य करवाकर उनकी भूमि पर होने वाला अतिक्रमण रोकना है। उक्त योजनान्तर्गत प्रस्ताव प्राप्त होने पर जिला परिषद द्वारा योजना के दिशा-निर्देशानुसार स्वीकृतियां जारी की जा सकेंगी।

राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एण्ड एनिमल साइंसेस द्वारा प्री वेटरनरी टेस्ट का आयोजन

147. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वेटरनरी काउंसिल आफ इण्डिया ने एक साल पहले से वेटरनरी कालेजों में प्रवेश बंद कर दिया था? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि वेटरनरी कालेजों में प्रवेश बंद होने के बावजूद इस वर्ष राजस्थान यूनिवर्सिटी आफ वेटरनरी एण्ड एनिमल साइंसेज द्वारा प्रदेश स्तर पर प्री वेटरनरी टेस्ट (पीवीटी) का आयोजन किया गया एवं मैरिट जारी की गई है? यदि हां, तो किस आदेश के तहत? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त परीक्षा में सफल हुए विद्यार्थियों को कालेज में प्रवेश देने संबंधी विश्वविद्यालय द्वारा अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी नहीं। माह अगस्त 2010 तक भारतीय पशु चिकित्सा परिषद ने अपोलो कालेज आफ वेटेरीनरी मेडिसिन, जयपुर, जिसमें पूर्व से ही छात्रों के प्रवेश पर रोक लगा रखी थी, के अतिरिक्त किसी अन्य कालेज में प्रवेश बन्द हेतु नहीं लिखा गया था।

(2) जी नहीं। जिन वेटेरीनरी कालेजों में भारतीय पशु चिकित्सा परिषद ने प्रवेश पर रोक नहीं लगाई गई थी, उनमें वर्ष 2011-12 में प्रवेश हेतु राजस्थान यूनिवर्सिटी आफ वेटेरीनरी एण्ड एनिमल साइंसेस द्वारा प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया है एवं मेरिट जारी की गई है।

(पशु पालन मंत्री)

(3) उक्त परीक्षा में सफल हुए विद्यार्थियों को बीकानेर स्थित वेटेरीनरी कालेज में प्रवेश देने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा काउन्सिलिंग की कार्यवाही की गई है।

स्ववित्तपोषित व निजी महाविद्यालयों का अधिग्रहण

148. श्री राजेन्द्र सिंह विधूड़ी (बेगूं) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में स्ववित्तपोषित व निजी महाविद्यालयों को सरकार द्वारा अधिग्रहित करने की क्या प्राथमिकताएं हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा वर्ष 1985 के बाद कितने स्ववित्तपोषित व निजी महाविद्यालयों को अधिग्रहित करके राजकीय महाविद्यालय घोषित किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बेगूं के रावतभाटा में संचालित स्ववित्तपोषित महाराणा प्रताप महाविद्यालय व बेगूं में संचालित शहीद रूपाजी कृपाजी महाविद्यालयों को अधिग्रहित कर राजकीय महाविद्यालय घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) स्ववित्तपोषी योजनाओं की प्रबंध समिति का विघटन हो जाने पर राजस्थान संस्थान रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1958 के प्रावधानों के अनुसार महाविद्यालय की चल-अचल सम्पति हस्तान्तरित हो जायेगी। प्रदेश में स्थित निजी शैक्षणिक संस्थान द्वारा प्रबन्धन सुचारु रूप से नहीं किये जाने तथा संस्थान बन्द हो जाने के कारण छात्र हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण की कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है।

(2) राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1985 के बाद बिडला महाविद्यालय भवानी मंडी एवं नेहरू मेमोरियल कालेज हनुमानगढ़ का अधिग्रहण किया गया है।

(3) जी नहीं। विभाग की वार्षिक योजना में बजट प्रावधान नही होने के कारण स्ववितपोषी महाराणा प्रताप महाविद्यालय, रावतभाटा व शहीद रूपा जी कृपा जी महाविद्यालय, बेगूं को अधिग्रहीत कर राजकीय महाविद्यालय घोषित किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

सादुलपुर (चूरू) में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

149. श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला चूरू में कुल कितने अनुदानित महाविद्यालय हैं, जिनके व्याख्याता-कर्मचारी राजकीय महाविद्यालयों में समायोजित किए गए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में केवल एक अनुदानित महाविद्यालय व निजी (छात्रा) महाविद्यालय सादुलपुर स्थित है? यदि हां, तो क्या अनुदानित महाविद्यालय के व्याख्याताओं का समायोजन कर लेने से महाविद्यालय में स्टाफ की कमी है व छात्रों की शिक्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है?

(3) क्या सरकार सादुलपुर में राजकीय महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला चूरू में कुल 4 अनुदानित महाविद्यालय हैं। विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न कर सदन की मेंज पर रख दी है।

(2) जी हां। सादुलपुर में एक अनुदानित एवं एक सहशिक्षा महाविद्यालय स्थित है। अनुदानित महाविद्यालय के व्याख्याताओं का राजस्थान ग्रामीण स्वेच्छया सेवा नियम 2010 द्वारा समायोजन करने से न ही महाविद्यालय में स्टाफ की कमी हुई है व न ही छात्रों की शिक्षा पर विपरीत प्रभाव पड रहा है। इस संबध में महाविद्यालय प्रंबधन द्वारा अवगत कराया है कि समायोजित व्याख्याताओं/कार्मिकों के एवज में व्याख्याताओं/कार्मिकों की नियुक्ति कर दी गयी है। विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न कर सदन की मेंज पर रख दी हैं।

(3) जी नहीं। विभाग की वार्षिक योजना में बजट प्रावधान नहीं होने के कारण सादुलपुर (चूरू) में नवीन राजकीय महाविद्यालय प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित नहीं हैं।

परिशिष्ट “अ”

चूरू में संचालित अनुदानित महाविद्यालयों की सूची

1. चूरू बालिका महाविद्यालय, चूरू

2. मोहता कालेज, सादुलपुर, चूरू
3. सोना देवी सेठिया कन्या महाविद्यालय, सुजानगढ़, चूरू
4. श्रीमती कमला देवी गौरी दत्त मित्तल महिला महाविद्यालय, सरदार शहर, चूरू

परिशिष्ट "ब"

मोहता स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पोस्ट-सादुलपुर 331023 (चूरू) राज.

(बीकानेर विश्वविद्यालय बीकानेर से सम्बद्ध एवं राजस्थान सरकार द्वारा अनुदानित)

क्रमांक :—MCS/CE/2011/103   दिनांक :23/08/2011

श्रीमान् आयुक्त

कालेज शिक्षा विभाग

जयपुर (राजस्थान)

विषय :—दूरभाष पर विधान सभा प्रश्न के सन्दर्भ में आप द्वारा चाही गई सूचनाएं प्रेषित करने के सन्दर्भ में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस महाविद्यालय में अनुदानित कर्मियों का समायोजन निम्न प्रकार से हुआ है :—

1. शैक्षणिक स्टाफ :- कार्य. प्राचार्य तथा पांच प्रवक्तागण (कुल छः)
2. अशैक्षणिक स्टाफ :- एल.डी.सी. 3, बुक लिफटर-1, तथा च.श्रे.क.-6 (कुल 10)

महाविद्यालय प्रबन्धन ने इन कर्मियों के समायोजन से पूर्व ही इनकी एवज में निर्धारित योग्यताधारी कर्मियों के नियुक्ति की सम्पूर्ण प्रक्रिया सम्पन्न कर ली थी तथा समायोजन के पश्चात् सभी पदों पर इन चयनित कर्मियों को नियुक्ति प्रदान कर सेवा में लिया गया है।

इस प्रकार महाविद्यालय में समस्त शैक्षणिक व शिक्षणेत्तर गतिविधियां सूचारु रूप से संचालित हैं।

सधन्यवाद,

Sd/-
Principal
Mohta (P.G.) College
P.O. Sadulpur (Churu)

राजसमन्द जिले में स्वीकृत/कार्यरत राजीव गांधी सेवा केन्द्र

150. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला राजसमंद की विभिन्न पंचायत समितियों में कितने राजीव गांधी सेवा केन्द्रों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है एवं इनके लिए कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई है?

(2) उक्त जिले में अब तक कितनी पंचायत समिति मुख्यालयों एवं कितनी ग्राम पंचायतों में सेवा केन्द्रों का निर्माण पूर्ण हो चुका है और कितने सेवा केन्द्रों का निर्माण शेष है?

(3) उक्त जिले में अब तक विभिन्न पंचायत समितियों में कितने सेवा केन्द्रों पर सेवा कार्य प्रारम्भ हो चुका है और शेष सेवा केन्द्रों पर सेवा कार्य शीघ्र प्रारम्भ करवाने हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

उत्तर

(1) जिला राजसमंद की विभिन्न पंचायत समितियों में पंचायत समिति स्तर के 7 एवं ग्राम पंचायत स्तर के 205 राजीव गांधी सेवा केन्द्रों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। इन कार्यों के लिए पंचायत समिति स्तरीय के 7 केन्द्रों के निर्माण हेतु रु. 153.60 लाख एवं ग्राम पंचायत स्तर के 205 केन्द्रों के निर्माण हेतु रु. 1701.50 लाख की राशि स्वीकृत की गई है।

(2) जिले में अब तक 4 पंचायत समिति मुख्यालयों एवं 61 ग्राम पंचायत मुख्यालयों में सेवा केन्द्रों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। शेष 3 पंचायत समिति स्तर के केन्द्रों में से 2 केन्द्रों का निर्माण फिनिशिंग स्तर एवं 1 केन्द्र का निर्माण लिन्टल स्तर की प्रगति पर है तथा 144 ग्राम पंचायत स्तरीय सेवा केन्द्रों में से 57 फिनिशिंग स्तर, 25 छत पूर्ण स्तर, 34 छत स्तर, 31 लिन्टल स्तर, 2 प्लिंथ स्तर एवं 1 कार्य नींव की गिट्टी स्तर की प्रगति पर है।

(3) जिले में एक पंचायत समिति स्तरीय सेवा केन्द्र पर सेवा कार्य प्रारम्भ हो चुका है। शेष केन्द्रों पर कार्य शीघ्र प्रारम्भ करने हेतु कार्यक्रम अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है।

मनरेगा योजनांतर्गत जिला सीकर में स्वीकृत कार्य

151. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

(1) जिला सीकर में मनरेगा योजनान्तर्गत 1 अप्रैल, 2011 से 31 जुलाई, 2011 तक विभिन्न कार्यकारी एजेन्सियों के माध्यम से कितने व कौन-कौन से पक्के कार्य कितनी राशि के स्वीकृत किये गये व उक्त में से कितने कार्य चालू हुये एवं कितने व कौन-कौन से चालू नहीं हुये? विधान सभा क्षेत्र वार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला सीकर में उक्त अवधि में व्यक्तिगत लाभ के कितने व कौन से पक्के कार्य स्वीकृत हुये तथा उनमें से कितने चालू हुये?विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला सीकर में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत 01 अप्रैल, 2011 से 31 जुलाई, 2011 तक विभिन्न कार्यकारी एजेन्सियों के माध्यम से 267 पक्के कार्य राशि रु. 2352.10 लाख के स्वीकृत किये गये, जिनकी सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। स्वीकृत कार्यों में से 171 कार्य चालू हो गये एवं 96 कार्य अभी तक चालू नहीं हो पाये। विधान सभा क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) जिला सीकर में उक्त अवधि में व्यक्तिगत लाभ के 42 पक्के कार्य स्वीकृत हुए उनमें से 8 कार्य चालू हुए व 34 कार्य अभी तक चालू नहीं हो पाये, जिनकी सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

महानरेगा योजनांतर्गत ग्रेवल/मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण

152. कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू) : क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि महानरेगा के तहत स्थाई कार्य करवाये जाते हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि महानरेगा के तहत ग्रेवल सड़कों का कार्य भी करवाया जा रहा है? क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्र में मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण में अर्थ वर्क एवं ग्रेवल डालने तक का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत स्थायी कार्य कराये जाते हैं।

(2) जी हां। महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत अनुमत कार्यों की सूची में ग्रेवल सड़कों का कार्य सम्मिलित है एवं ग्रेवल सडकों का कार्य योजनान्तर्गत कराये जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मिसिंग लिंक सडकों का कार्य योजनान्तर्गत वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित होने की स्थिति में नियमानुसार कराया जा सकता है। इसके लिए सम्बन्धित ग्राम पंचायत/विभाग द्वारा कार्य को वार्षिक कार्य योजना में प्राथमिकता से सम्मिलित कराये जाने की आवश्यकता है।

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या 62 का विवरण)

परिशिष्ट-"ए"

केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर में वर्ष 2010-11 (01.04.2010 से 31.3.2011) में मिले मोबाइल एवं सिम का विवरण

मोबाइल/सिम जिससे बरामद की गई उसका नाम	बरामदगी की तिथि	मोबाइल मय (संख्या)	सिम कार्ड मय (संख्या)	बंदी व अन्य के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण
1	**2**	**3**	**4**	**5**
लावरिस बरामद हुये	18.4.10	1	1	अनुसंधान हेतु पुलिस विभाग को भेजा गया
लावरिस बरामद हुये	21.4.10	1	—	अनुसंधान हेतु पुलिस विभाग को भेजा गया
लावरिस बरामद हुये	2.5.10	10	3	अनुसंधान हेतु पुलिस विभाग को भेजा गया
बंदी श्रवण उर्फ श्यामा से	3.5.10	2		15 दिवस मुलाकात से वंचित किया गया
लावरिस बरामद हुये	3.5.10	1	—	अनुसंधान हेतु पुलिस विभाग को भेजा गया
बंदी बनवारीलाल से	4.5.10	1	—	15 दिवस परिहार जप्त किया गया
बंदी दीपक से	21.5.10	—	4	04 दिवस अर्जित परिहार जप्त किया गया

1	2	3	4	5
बंदी कैलाश पुत्र खुशालचन्द	21.5.10	1	1	8 दिवस परिहार जब्त किया गया
बंदी महेन्द्रसिंह पुत्र मेशाराम	13.6.10	1	1	35 दिवस मुलाकात से वंचित किया गया
लावरिस बरामद हुये	13.6.10	1	—	अनुसंधान हेतु पुलिस विभाग को भेजा गया
लावरिस बरामद हुये	26.6.10	2	—	अनुसंधान हेतु पुलिस विभाग को भेजा गया
लावरिस बरामद हुये	27.6.10	3	—	अनुसंधान हेतु पुलिस विभाग को भेजा गया
लावरिस बरामद हुये	14.7.10	3	1	अनुसंधान हेतु पुलिस विभाग को भेजा गया
लावरिस बरामद हुये	23.7.10	8	6	अनुसंधान हेतु पुलिस विभाग को भेजा गया
लावरिस बरामद हुये	27.7.10	5	4	अनुसंधान हेतु पुलिस विभाग को भेजा गया
लावरिस बरामद हुये	7.8.10	3	3	अनुसंधान हेतु पुलिस विभाग को भेजा गया
लावरिस बरामद हुये	18.8.10	2	1	अनुसंधान हेतु पुलिस विभाग को भेजा गया
लावरिस बरामद हुये	29.8.10	1	1	अनुसंधान हेतु पुलिस विभाग को भेजा गया
वि. बं. रणजीत पुत्र जोधाराम	5.9.10	1	—	एक माह की मुलाकात रोकी गई
लावरिस बरामद हुये	18.9.10	4	1	अनुसंधान हेतु पुलिस विभाग को भेजा गया

1	2	3	4	5
लावरिस बरामद हुये	20.9.10	4	4	अनुसंधान हेतु पुलिस विभाग को भेजा गया एवं राशि राज्यकोष में जमा की गई
लावरिस बरामद हुये	23.9.10	1	—	अनुसंधान हेतु पुलिस विभाग को भेजा गया
लावरिस बरामद हुये	24.9.10	—	1	अनुसंधान हेतु पुलिस विभाग को भेजा गया
लावरिस बरामद हुये	25.9.10	2	1	अनुसंधान हेतु पुलिस विभाग को भेजा गया
लावरिस बरामद हुये	27.9.10	5	2	अनुसंधान हेतु पुलिस विभाग को भेजा गया
लावरिस बरामद हुये	28.9.10	3	1	अनुसंधान हेतु पुलिस विभाग को भेजा गया एवं राशि राज्यकोष में जमा की गई
लावरिस बरामद हुये	4.10.10	2	1	अनुसंधान हेतु पुलिस विभाग को भेजा गया
लावरिस बरामद हुये	6.10.10	3	2	अनुसंधान हेतु पुलिस विभाग को भेजा गया एवं राशि राज्यकोष में जमा की गई
लावरिस बरामद हुये	7.10.10	9	9	अनुसंधान हेतु पुलिस विभाग को भेजा गया एवं राशि राज्यकोष में जमा की गई
लावरिस बरामद हुये	10.10.10	1	—	अनुसंधान हेतु पुलिस विभाग को भेजा गया

1	2	3	4	5
दं.बं. सोहनलाल पुत्र भबुताराम	9.12.10	1	—	चार दिन का जेल परिहार जप्त किया गया
लावरिस बरामद ह्ुये	13.12.10	4	—	अनुसंधान हेतु पुलिस विभाग को भेजा गया
दं. बं. विजयपाल पुत्र रामचरण	16.12.10	1	2	एक माह तक पृथक सुरक्षा वार्ड में रखा गया
वि. बं. मंगलाराम पुत्र बुधाराम	23.12.10	1	—	एक माह की मुलाकात से वंचित किया गया
लावरिस बरामद ह्ुये	28.12.10	3	—	अनुसंधान हेतु पुलिस विभाग को भेजा गया
लावरिस बरामद ह्ुये	31.12.10	2	—	अनुसंधान हेतु पुलिस विभाग को भेजा गया
दं. बं. कैलाश पुत्र गणपति	27.01.11	1	—	बंदी को सात दिवस सुरक्षा वार्ड में रखा गया
दं. बं. भीखा पुत्र लाला	29.01.11	1	1	बंदी को एक माह की मुलाकात से वंचित किया
दं. बं. मोतीराम पुत्र भेराराम	29.01.11	1	—	बंदी का सात दिवस परिहार जप्त किया गया
लावरिस	5.2.11	12	5	अनुसंधान हेतु सूची पुलिस को भिजवायी गई
दं. बं. शरीफ मो. पुत्र पीर मो.	8.2.11	1	—	4 दिवस परिहार जप्त किया गया
दं. बं. बबलू उर्फ केसरीलाल	8.2.11	1	—	4 दिवस परिहार जप्त किया गया
लावरिस	9.2.11	5	7	मो. की सूची अनुसंधान हेतु पुलिस को भिजवायी गई

1	2	3	4	5
दं. बं. भरत कुमार पुत्र सबताजी	20.2.11	1	—	45 दिवस मुलाकात से वंचित किया गया
दं. बं. नबाव पुत्र मीरू खां	20.2.11	1	—	45 दिवस मुलाकात से वंचित किया गया
दं. बं. केसाराम उर्फ हापुराम	24.2.11	1	1	15 दिवस परिहार जप्त किया गया
लावरिस	26.2.11	55	8	अनुसंधान हेतु सूची पुलिस को भिजवायी गई
लावरिस	28.2.11	4	—	अनुसंधान हेतु सूची पुलिस को भिजवायी गई
दं. बं. ईमीलाल पुत्र माङूराम	1.3.11	1	—	4 दिवस परिहार जप्त किया गया
वि. बं. बहादुर, रामनिवास, बद्रीराम के निशान देही पर जमीन में से	1.3.11	2	—	3 बंदियों को 15 दिवस मुलाकात से वंचित किया गया
बंदी श्यामलाल के पेशी से आने	19.3.11	1	1	अनुसंधान हेतु सूची पुलिस को भिजवायी गई
लावारिस	17.3.11	1	—	अनुसंधान हेतु सूची पुलिस को भिजवायी गई